

शांति का आधार अस्त्र-बल
The Force Behind Peace

44वाँ वार्षिक विवरण
44th Annual Report
2013-14



भारत डायनामिक्स लिमिटेड
Bharat Dynamics Limited

कंचनबाग Kanchanbagh
हैदराबाद Hyderabad - 500 058.

भविष्य-दृष्टि VISION:

रक्षा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना.
To be a world-class enterprise producing international standard quality products for the defence industry.

मिशन MISSION:

वांतरिक्ष तथा अंतर्जल अस्त्र-प्रणाली उद्योग क्षेत्र में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की सुरक्षा प्रणाली एवं ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बनकर उभरना.
To establish itself as a leading manufacture in the aerospace & underwater weapons industry and emerge as a world class sophisticated, state-of-the-art, global enterprise, providing solutions to the security system needs of the country.

उद्देश्य OBJECTIVES:

- (ए) संचलित प्रक्षेपास्त्र तथा अंतर्जल संचलित शस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी एवं स्वावलंबी बनना.
- (बी) वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना.
 - a) To become self-reliant and competitive in Guided Missile and Underwater Guided Weapon Technology and Production.
 - b) To maximise utilisation of existing production capacities.



बी डी एल के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक



डॉ. बी डी नागचौधरी
अध्यक्ष
22-09-1970 से 29-09-1975



प्रो. एम जी के मेनन
अध्यक्ष
29-09-1975 से 30-12-1977



एवीएम वी एस नारायणन
पविसेमे, अविसेमे, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष
06-10-1978 से 01-04-1980



डॉ. राजा रामन्ना
अध्यक्ष
30-01-1981 से 30-08-1982



डॉ. वी एस अरुणाचलम
अध्यक्ष
30-08-1982 से 30-08-1990



एवीएम एस जे दस्तूर (नि.)
प्रबंध निदेशक
22-09-1970 से 10-04-1974



ब्रिगेडियर जे पी अन्थोनी (नि.)
प्रबंध निदेशक
11-04-1974 से 31-08-1977



विंग कमांडर वी एम चितले (नि.)
प्रबंध निदेशक
01-09-1977 से 30-09-1980



श्री जेड पी मार्शल
प्रबंध निदेशक
01-10-1980 से 07-11-1988



एयर कमांडोर आर गोपालस्वामी
अविसेमे, विसेमे (नि.)
प्रबंध निदेशक (1988-90)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
10-09-1990 से 30-06-1994



कमांडोर एस राव, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-07-1994 से 08-01-2000



श्री एस गोविंदराजन
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
09-01-2000 से 31-08-2000



श्री वी वी गंगाधर राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-09-2000 से 30-06-2002



श्री जी वी वी वी शर्मा
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-07-2002 से 23-07-2002



मेजर जनरल पी मोहनदास, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
24-07-2002 से 27-04-2005



मेजर जनरल राजनीश गोसाईं (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
28-04-2005 से 30-04-2008



कमांडोर पी के सामंता, विसेमे (नि.)
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-05-2008 से 30-06-2008



मेजर जनरल रवि खेतरपाल
विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-07-2008 से 31-03-2012



लेखापरीक्षा समिति

1.	श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	श्री पी के मिश्र सरकारी निदेशक	-	सदस्य
3.	श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन)	-	सदस्य
4.	श्री एम लक्ष्मीनारायण कंपनी सचिव	-	सदस्य

प्रधान कार्यपालक गण

श्री एम ईश्वर, आई टी एस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. एन के राजू
अधिशासी निदेशक (का. एव प्रशा.)

श्री एल धनंजय
अधिशासी निदेशक (डी अण्ड ई) (दि. 31 अक्टूबर 2013 तक)

श्री पी माधव राव
अधिशासी निदेशक (सैम) (दि. 30 नवंबर, 2013 तक)

श्री पी आर वी प्रसाद
अधिशासी निदेशक (भानूर इकाई) (दि. 28 फरवरी, 2014 तक)

श्री आर बालकृष्णन
महाप्रबंधक (सी सी एवं सी पी) (दि. 31 मई, 2013 तक)

श्री बी शिव राम प्रसाद
महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएँ)

श्री पी के दिवाकरन
महाप्रबंधक (अग्नि-बडामाफ़ी)

श्री वी नरसिंहा रेड्डी
महाप्रबंधक (एम एन आर)

श्री जी जयराम रेड्डी
महाप्रबंधक (आकाश - जीएस एवं पी एम जी)

श्री जी दत्तु कुमार
महाप्रबंधक (आकाश - जी एस डी)

श्री ई एस मोहन रेड्डी
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री एन पी दिवाकर
महाप्रबंधक (आकाश)

श्री वी गुरुदत्त प्रसाद
महाप्रबंधक (भानूर इकाई)

लेखापरीक्षक

मेसर्स लक्ष्मीनिवास नीठ अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
हैदराबाद

Audit Committee

1.	Shri AK Kapoor Part Time Non Official Director	-	Chairman
2.	Shri PK Mishra Government Director	-	Member
3.	Shri V Udaya Bhaskar Director (Production)	-	Member
4.	Shri M Lakshmi Narayana Company Secretary	-	Secretary

Principal Executives

Shri M Eshwar, ITS
Chief Vigilance Officer

Dr. N K Raju
Executive Director (P&A)

Shri L. Dhananjay
Executive Director (D&E) [upto 31 Oct 2013]

Shri P. Madhava Rao
Executive Director (SAM) [upto 30 Nov 2013]

Shri PRV Prasad
Executive Director (Bhanur Unit) [upto 28 Feb 2014]

Shri R Balakrishnan
General Manager (CC & CP) [upto 31 May 2013]

Shri B Siva Rama Prasad
General Manager (Technical Services)

Shri PK Divakaran
General Manager (AGNI – BM)

Shri V Narsimha Reddy
General Manager (MNR)

Shri G Jai Ram Reddy
General Manager (AKASH – GS & PMG)

Shri G Dattu Kumar
General Manager (AKASH – GSD)

Shri ES Mohan Reddy
General Manager (Finance)

Shri NP Diwakar
General Manager (AKASH)

Shri V Gurudatta Prasad
General Manager (Bhanur Unit)

Auditors

M/s. Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants,
Hyderabad



आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एम भास्कर राव अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
मेसर्स राममूर्ति (एन) अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
मेसर्स नरसिंह राव अण्ड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स

कर परामर्शदाता

बन्सल अण्ड दवे
चार्टर्ड अकाउण्टंट्स

विधि सलाहकार

श्री के श्रीनिवास मूर्ति
श्री डी रवि शंकर राव

बैंकर्स

आंध्र बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
एक्सिस बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद-500058
तेलंगाना, भारत
ईपीएबीएक्स - 040-24587466 एवं 040-24587777
फैक्स : 040-24340464

ई-मेल

bdlitd@ap.nic.in

वेबसाइट

<http://bdl.ap.nic.in>

Internal Auditors

M/s. M. Bhaskara Rao & Co., Chartered Accountants
M/s. D.V.Ramana Rao & Co., Chartered Accountants
M/s. Ramamoorthy (N) & Co., Chartered Accountants
M/s. Narasimha Rao & Associates, Chartered Accountants

Tax Consultants

Bansal & Dave,
Chartered Accountants

Legal Advisers

Shri K Srinivasa Murthy
Shri D Ravi Shankar Rao

Bankers

Andhra Bank
State Bank of India
Axis Bank

Registered Office

Kanchanbagh Post
Hyderabad - 500 058
Telangana, India
Epabx 040-24587466 & 040-24587777
Fax - 040 24340464

E-Mail

bdlitd@ap.nic.in

Website

<http://bdl.ap.nic.in>



दस वर्षों पर दृष्टिपात TEN YEARS AT A GLANCE

(₹ करोड़ Crore)

विवरण Particulars	इकाई Units	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री Sales	₹ करोड़ Cr.	450.98	531.53	433.51	454.38	464.82	627.23	939.16	959.12	1074.71	1779.89
निर्माणाधीन कार्य / संव्यवहाराधीन भण्डार में परिवर्तन Changes in WIP/SIT	₹ करोड़ Cr.	14.81	2.75	(47.67)	51.47	58.24	4.38	(28.18)	33.82	100.81	24.60
उत्पादन मूल्य Value of Production	₹ करोड़ Cr.	465.79	534.28	385.84	505.85	523.06	631.61	910.98	992.94	1175.52	1804.49
सामग्री की खपत Material Consumption	₹ करोड़ Cr.	313.47	329.01	239.89	351.99	364.84	438.01	580.14	633.53	779.57	1226.01
परिवर्द्धित मूल्य Value Added	₹ करोड़ Cr.	152.32	205.27	145.95	153.86	158.22	193.60	330.84	359.41	395.95	578.48
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	₹ करोड़ Cr.	52.28	118.81	50.80	72.49	74.23	50.63	79.17	348.19	419.06	508.59
कराधान के बाद लाभ Profit After Tax	₹ करोड़ Cr.	30.66	76.72	32.74	47.65	47.67	33.77	51.70	234.96	288.40	345.51
ईक्विटी Equity	₹ करोड़ Cr.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि Reserves & Surplus	₹ करोड़ Cr.	307.22	357.79	363.62	384.37	405.13	412.08	437.05	617.38	838.30	1102.97
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि. का. छोड़कर) Gross Block (Excl. Cap. WIP)	₹ करोड़ Cr.	330.28	333.51	359.09*	376.49	403.42	461.20	488.08	604.24	711.55	834.56
सामग्री-सूची Inventory	₹ करोड़ Cr.	384.62	454.53	338.92	434.25	623.11	570.26	502.19	602.57	1006.53	1382.51
ग्राह्य व्यापार Trade Receivables	₹ करोड़ Cr.	24.17	13.87	19.51	21.54	8.95	33.58	45.15	88.39	281.55	398.81
कार्यगत पूँजी Working Capital	₹ करोड़ Cr.	316.21	361.94	371.79	384.96	404.86	360.44	370.66 #	458.97	614.58	811.68
नियोजित पूँजी Capital Employed	₹ करोड़ Cr.	396.03	437.84	458.15*	478.59	508.81	503.66	511.79 #	670.64	892.59	1171.28
निवल मालियत Net Worth	₹ करोड़ Cr.	407.99	457.09	470.86*	495.55	519.93	526.88	551.85	732.19	953.08	1217.75
कर्मचारियों की संख्या Number of Employees	संख्या Nos.	2909	2814	2742	2715	2788	2894	2897	3142 @	3300	3266
कर्मचारी पर लागत Employee Cost	₹ करोड़ Cr.	81.99	84.71	94.71	149.63	151.16	178.84	234.53	240.32	258.99	307.28
पारिश्रमिक प्रति रु. पर परिवर्द्धित मूल्य Value Added Per ₹ of Wage	₹	1.86	2.42	1.54	1.03	1.05	1.08	1.41	1.50	1.53	1.88
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी Value Added Per Employee	₹ लाख Lakh	5.24	7.29	5.32	5.67	5.67	6.69	11.42	11.44 @	12.00	17.71
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) Earnings Per Share (EPS)	₹	267	667	285	414	415	294	450	2043	2508	3004

* 2006-07 की स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2007-08 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया. # वर्ष परिवर्द्धित अनुसूची VI के अनुरूप लेखा प्रस्तुत करने के कारण वर्ष 2011-12 से पुनः समायोजित.

@ अस्थायी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया.

* Re-adjusted due to regrouping of Fixed Assets Schedule of 2006-07 in the year 2007-08. # Re-adjusted due to Presentation of Accounts as per Revised Schedule VI from 2011-12 onwards.

@ Re-adjusted to include temporary Employees.



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	2
2.	निदेशकों का परिचय	3
3.	अध्यक्ष की कलम से	7
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	17
5.	लेखा-नीति	67
6.	तुलन-पत्र	72
7.	लाभ-हानि लेखा	73
8.	वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	74
9.	नक़द प्राप्ति विवरण	88
10.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट	89
11.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	92
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी	96



निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री एस एन मंथा

सरकारी निदेशक



श्रीमती कुसुम सिंह
संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय



श्री आर जी विश्वनाथन
अपर विल्ल सलाहकार (आर अण्ड डी) डी आर डी ओ
संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक



श्री ए के कपूर
उत्कृष्ट वैज्ञानिक
डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय

पूर्णकालिक निदेशक



श्री एस वी सुब्बा राव
निदेशक (विल्ल)



श्री वी उदय भास्कर
निदेशक (उत्पादन)
(दि. 01 अगस्त, 2013 से)



एवीएम एन बी सिंह
अविसेमे, विसेमे, (नि.) निदेशक (तकनीकी)
(दि. 01 अप्रैल, 2014 से)

स्थायी विशेष आमंत्रित



वाइस एडमिरल सुनील लांबा
अविसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष (दि. 02 जून, 2014 से)



ले. जनरल सी ए कृष्णन
उद्युसेमे, अविसेमे
बल सेना उपाध्यक्ष, (दि. 01 मई, 2014 से)



एअर मार्शल आर के शर्मा
पविसेमे, अविसेमे, विसे, एडीसी
वायुसेना उपाध्यक्ष, (दि. 01 जनवरी, 2014 से)



डॉ. के जयरामन
निदेशक, डी आर डी एल



श्री एम लक्ष्मी नारायण

कंपनी सचिव

पूर्व निदेशक / स्थायी विशेष आमंत्रित



श्री एस सोम, वैज्ञानिक 'एच'
निदेशक, डी आर डी एल, हैदराबाद
(दि. 30 जून, 2014 तक)



प्रो. आर के मिश्र
वरिष्ठ प्रोफेसर एवं, निदेशक, आई पी ई
(दि. 07 मार्च, 2014 तक)



श्री के एल मेहरोत्रा
पूर्व सी एम डी, मांगनील ओ (ई.) लि.
(दि. 07 मार्च, 2014 तक)



श्री पी के मिश्र
संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय
(दि. 31 जुलाई, 2014 तक)



वाइस एडमिरल आर के धोवन
पविसेमे, अविसेमे, युसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष (दि. 01 जून, 2014 तक)

पूर्व निदेशक / स्थायी विशेष आमंत्रित



ले. जनरल नरेंद्र सिंह, सेमे, विसेमे
थल सेना उपाध्यक्ष (पी अण्ड एस) (पदेन)
(दि. 30 अप्रैल, 2014 तक)



एअर मार्शल अरुण राहा
पविसेमे, अविसेमे, विसे, एडीसी
वायुसेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(दि. 31 दिसंबर, 2013 तक)



निदेशकों का परिचय



श्री सत्यनारायण मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सत्यनारायण मंथा ने प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैकानिकल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम बी ए की उपाधि प्राप्त की. उत्तम अकादमिक प्रतिभा रखने वाले श्री मंथा इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्कृष्टता के साथ तथा एम बी ए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए. मार्च, 1987 में बी डी एल में इनकी नियुक्ति हुई. बी डी एल की भानूर इकाई के परियोजना स्तर पर घटक उत्पादन, टूल रूम सुविधा उपलब्ध कराने तथा बाद में कांक्रूस-एम एवं लॉचर के देशीकरण में इन्होंने मुख्य भूमिका निभायी. इनके विस्तृत ज्ञान तथा व्यावसायिक कौशल को देखते हुए इन्हें दि. 01 अक्टूबर, 2008 में बी डी एल के निदेशक-मंडल में निदेशक (तकनीकी) पद पर नियुक्त किया गया. मिसाइल उद्योग में इनके विस्तृत अनुभव, प्रबंधन कौशल और व्यावसायिक क्षमताओं को देखते हुए इन्हें दि. 01 अप्रैल, 2012 से बी डी एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया.

श्रीमती कुसुम सिंह दिल्ली कॉलेज ऑफ इकनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की. ये 1984 बैच की आई आर पी एस अधिकारी हैं. श्रीमती कुसुम सिंह ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं समन्वयन)/(ई एस) के पदभार से पहले रेल मंत्रालय में सी आर आई एस (रेल सूचना प्रणाली केंद्र) के विभिन्न पद पर काम किया.

श्रीमती कुसुम सिंह दि. 29 अगस्त, 2014 से बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त हुईं.



श्रीमती कुसुम सिंह

संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय



श्री आर जी विश्वनाथन

अपर वित्त सलाहकार (आर अण्ड डी) डी आर डी ओ
संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

श्री आर जी विश्वनाथन 1987 बैच के आई ए अण्ड ए एस अधिकारी हैं. ये वर्ष 2001 से 2006 के दौरान ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय सलाहकार रहे. इन्होंने नवंबर 2006 से मई 2011 तक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली के प्रधान निदेशक का पदभार भी संभाला. इस पदभार के अंतर्गत भारत सरकार के सभी वैज्ञानिक मंत्रालय / विभागों की लेखापरीक्षा का दायित्व शामिल रहा. ये मार्च, 1998 से दिसंबर 2001 तक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय, भारतीय लेखापरीक्षा कार्यालय, लंदन के निदेशक भी रहे.

श्री आर जी विश्वनाथन दि. 15 जून, 2011 से बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में शामिल हैं.

**श्री ए के कपूर**

उत्कृष्ट वैज्ञानिक, डी आर डी ओ
रक्षा मंत्रालय

श्री आनंद कुमार कपूर ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की. इन्होंने आई आई टी, मद्रास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एम.टेक. की भी उपाधि प्राप्त की. 1971 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद से डी आर डी एल में अपनी सेवाएँ आरंभ कर श्री कपूर बाद में 'त्रिशूल' के परियोजना निदेशक बने. श्री कपूर ने जून, 2002 से जून, 2008 के दौरान सी एफ ई ई एस, नई दिल्ली के निदेशक के रूप में तथा फरवरी, 2008 से जनवरी, 2010 के दौरान डी आर डी ओ, नई दिल्ली के उत्कृष्ट वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएँ दीं.

श्री ए के कपूर ने वर्ष 1987 से 2002 के दौरान 'डेवलपमेंट ऑफ ड्युअल थ्रस्ट प्रपल्शन सिस्टम', 'एनहैंसमेंट ऑफ परफार्मेंस ऑफ ए सॉलिड रॉकेट मोटर ऑफ सर्फेस टू एअर मिसाइल' जैसे विषयों पर कई शोधपरक आलेख भी प्रस्तुत किये. श्री कपूर वर्ष 1998 में डी आर डी ओ वैज्ञानिक पुरस्कार तथा वर्ष 2006 में डी आर डी ओ टेकनोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किये गये.

श्री ए के कपूर दि. 16 फरवरी, 2012 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

श्री एसवी सुब्बा राव विज्ञान में प्रथम श्रेणी के स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के सदस्य भी हैं. सन् 1983 में बी डी एल में भर्ती हुए श्री सुब्बा राव ने वित्त के सभी विभागों में कौशल प्राप्त किया. कंपनी की निवेश नीति, लेखा-नीति तैयार करने, केंद्रीकृत रोकड़ प्रबंधन का अभिकल्पन करने, केंद्रीकृत पे-रोल बनाने में काफी योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप वित्त विभाग की मानव-शक्ति की आवश्यकताओं में कमी लाने में लाभ मिला.

ग्राहक / रक्षा मंत्रालय / आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत-संबंधी चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर श्री एसवी सुब्बा राव ने कंपनी को बहुत लाभ पहुँचाया. इन्होंने संगठन के लेखा को हस्तकृत पद्धति से डॉस प्लैटफॉर्म पर तथा तदुपरांत सारे लेखा-कार्यकलाप को डॉस प्लैटफॉर्म से ओरॉकल में बदलने में विशेष योगदान दिया. लेखा परिचालन की ये ही पद्धतियाँ आज भी प्रचलन में हैं.

श्री एस वी सुब्बा राव दि. 01 जुलाई, 2011 से बी डी एल के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त हैं.

**श्री एस वी सुब्बा राव**
निदेशक (वित्त)**श्री वी उदय भास्कर**

निदेशक (उत्पादन)

श्री वी उदय भास्कर को इनवार, कांकूर्स-एम का देशीकरण, मिसाइल-संयोजन, समाकलन तथा परीक्षण, तथा विक्रेता विकास जैसे मिसाइल उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 23 से भी अधिक वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है. इन्होंने बी डी एल भानूर इकाई में आई एस ओ 9001 : 2000 वर्शन के कार्यान्वयन के लिए बनी आई एस ओ कोर टीम की अध्यक्षता की तथा आई एस ओ 9001 : 2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली का अनुवीक्षण भी किया.

श्री वी उदय भास्कर, इनवार मिसाइल के विस्फोटक चार्जर के देशीकरण के लिए टी-72 फिक्सड फायरिंग स्टैंड के सहारे बैलेस्टिक इवेल्युएशन पद्धति स्थापित करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2010-11 के गौरवपूर्ण 'रक्षा मंत्री नवोन्मेष पुरस्कार' से सम्मानित हैं.

श्री वी उदय भास्कर दि. 01 अगस्त 2013 से बी डी एल के निदेशक मंडल में निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किये गये.



एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.)
निदेशक (तकनीकी)

एअर वाइस मार्शल एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) दि. 1 जनवरी, 1979 को भारतीय वायु सेना के एअरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) स्ट्रीम में कमीशन हुए थे. इन्होंने इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई की और इनका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा. शिक्षा के साथ-साथ ये अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (एफ आई ई टी ई) के सदस्य भी हैं. इन्होंने भारतीय वायु सेना में अपने 35 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर उत्तरदायित्व का निर्वाह किया.

इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राडार यूनिट के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में इस उपकरण में सुधार लाकर इसकी परिचालन दक्षता बढ़ाने का कार्य किया. परिणामस्वरूप, वायु रक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार आया जिसके लिए इन्हें दि. 15 अगस्त, 1988 को वायु सेना अध्यक्ष के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ.

वायु सेना के इस अधिकारी को 2003 में फ्रेंच द्वारा निर्मित हार्ड पॉवर राडार के उन्नयन की जिम्मेदारी दी गई. इसे भी इन्होंने रिकॉर्ड समय में उत्कृष्ट तरीके से पूर्ण किया. इनके उत्कृष्ट योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा में इन्हें दि. 26 जनवरी, 2006 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'विशिष्ट सेवा मेडल' से सम्मानित किया गया.

इन्होंने सहायक वायु सेना अध्यक्ष (सिगनल्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी), कमांडेंट ए डी जी ई एस मेंटेनेंस स्टैंडर्ड इस्टाब्लिशमेंट (ए एम एस ई) तथा मास्टर कंट्रोल सेंटर के रूप में नियुक्त होकर सभी क्षेत्रों में उत्तम कार्यनिष्पादन किया. मुख्यालय में इनके सहायक वायु सेना अध्यक्ष (सिगनल्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में रहते हुए ही पैन इंडिया गिगाबैट कम्प्यूनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट ए एफ एन आई टी की संकल्पना ने आरंभ से अंतिम रूप लिया जिसे दि. 14 सितंबर 2010 को रक्षा मंत्री द्वारा देश को समर्पित किया गया. इन्हीं के कार्यकाल के दौरान वायु सेना के लिए एफ एन ई टी आधारित डब्ल्यू सी डी एम ए 3जी मोबाइल की योजना तैयार हुई और अमल में आयी. सहायक वायु सेना अध्यक्ष (सिगनल्स) रहते हुए इसकी आखरी जिम्मेदारी के रूप में प्रत्येक चालित वायु सेना योद्धा को डब्ल्यू सी डी एम ए परियोजना से जोड़ने का कार्य पूरा हुआ. साथ ही, एफ सी ई एल कम्प्यूनिकेटर आरंभ किया गया. इन्हीं के भरसक प्रयत्नों से भारतीय वायु सेना एक वास्तविक नेट केंद्रित फोर्स बन पायी.

एस डब्ल्यू ए सी मुख्यालय के वरिष्ठ अनुरक्षण स्टाफ अधिकारी के रूप में रहते हुए इन्होंने एअर क्राफ्ट तथा ग्राउंड इक्विपमेंट की ऑपरेशनल एस्कॉर्पमेंट के लिए उपलब्धता में सुधार लाने का काम किया. ये, वायु सेना के युद्धाभ्यास 'आयरन फिस्ट-13' की योजना समूह के भी हिस्से रहे जो राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित विदेशी राजनयिक सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति का गवाह बना और इन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की. इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायु सेना ने परिधि केंद्रित वातावरण के भीतर अपनी आक्रमण क्षमता दर्शायी थी. ऐसी ही विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें 26 जनवरी, 2013 को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया.

एअर वाइस मार्शल एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) ने दि. 01 अप्रैल, 2014 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया.



श्री के एल मेहरोत्रा ने सन् 1970 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रसायनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की. इन्हें निजी, राज्य स्तरीय व केंद्र सरकार के संगठनों में कई वर्ष का अनुभव प्राप्त है. ये वर्ष 2001 से 2005 के दौरान प्रागा टूल्स, हैदराबाद के प्रबंध निदेशक रहे और जुलाई 2005 से अक्टूबर 2008 के दौरान मँगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक रहे. इन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी / सम्मेलनों में आलेख प्रस्तुत किये.

श्री के एल मेहरोत्रा वर्ष 2007 एवं वर्ष 2008 में क्रमशः इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी पुरस्कार गृहीता हैं.

ये 'Path to Profitability Business Plan, Turmoil to Triumph etc' जैसी कई महत्वपूर्ण किताबों के लेखक भी हैं.

श्री के एल मेहरोत्रा दि. 08 मार्च 2011 से दि. 07 मार्च, 2008 तक बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक रहे. उक्त अवधि के दौरान इन्होंने पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षा समिति, खरीदी समिति, एच आर समिति तथा सी एस आर एवं सतत विकास समिति जैसी विभिन्न समितियों के सदस्य रहे.



श्री के एल मेहरोत्रा
पूर्व सी एम डी
मँगनीज़ ओर (इं.) लि.



प्रो. आर के मिश्र

वरिष्ठ प्रोफेसर एवं
निदेशक, आई पी ई

प्रो. आर के मिश्र अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम, इटली के स्नातक हैं. ये ब्रिटिश काउंसिल तथा कामन वेल्थ सचिवालय के सदस्य भी हैं. इन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल तथा माइसन देस साइंस डेल होम्स, पैरिस से अपना शोध कार्य किया. प्रो. मिश्र सार्वजनिक प्रशासन एवं शिक्षा के उत्कृष्ट मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स के युनाइटेड नेशन्स टास्क फोर्स के सदस्य हैं. ये कई संगठनों के परामर्शदाता रहे. इन्हें इंटरनेशनल असोसिएशन ऑफ स्कूल्स अण्ड इंस्टीट्यूशन्स इन एडमिनिस्ट्रेशन (आई ए एस आई ए), ब्रूसेल्स का उपाध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है. इन्होंने वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के कई कार्य सँभाले. प्रो. मिश्र, योजना आयोग, वित्त आयोग, प्रधान मंत्री वित्त सलाह परिषद, डी ई सी ओ, युनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी इत्यादि के शोध-सलाहकार रहे.

प्रो. आर के मिश्र आई पी ई के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक हैं और दि. 08 मार्च 2011 से दि. 07 मार्च, 2014 तक बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक रहे.

प्रो. मिश्र उक्त अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति तथा सी एस आर एवं सतत विकास समितियों के अध्यक्ष तथा पारिश्रमिक समिति तथा खरीद समिति के सदस्य रहे.



अध्यक्ष की कलम से



प्रिय सदस्य,

मुझे, वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी का 44वाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए और इसकी भावी योजनाओं के संबंध में बात करते हुए खुशी हो रही है.

कार्यनिष्पादन की स्थिति :

आपके सघन विश्वास से आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन में लगातार विकास हो रहा है. चुनौतियों के बावजूद आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 1075 करोड़ के बिक्री कारोबार की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1780 करोड़ का क्रय कारोबार हासिल किया जो पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में 66% अधिक है. वर्ष 2013-14 के लिए उत्पादन मूल्य ₹ 1804 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष के उत्पादन मूल्य की तुलना में 54% अधिक है.

वित्तीय दृष्टि से आपकी कंपनी ने लगातार लाभांश प्रदान करने का रिकॉर्ड हासिल किया है. फरवरी 2014 के दौरान दिये गये ₹ 58 करोड़ के अंतरिम लाभांश को मिलाकर अब तक के सर्वाधिक लाभांश के रूप में ₹ 69 करोड़ प्रदत्त किये गये.

**रिपोर्टाधीन वर्ष की मुख्य बातें :**

- (i) कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के सुझावानुसार वर्ष 2013-14 को 'गुणता वर्ष' के रूप में मनाया है. बी डी एल ने वैश्विक स्तर की गुणता प्राप्त करने के उद्देश्य से गुणता मानदंडों में और अधिक वृद्धि लाने के लिए कार्य योजना बनायी है. कंपनी के सभी उत्पादन प्रभागों ने गुणता वर्ष मनाया और ग्राहक मिलाप, विक्रेता मिलाप और कार्यशाला इत्यादि का आयोजन भी किया.
- (ii) कंपनी ने लगभग ₹ 3000 करोड़ के इनवार ए टी जी एम की आपूर्ति के लिए करार पर हस्ताक्षर किये. यह आदेश अगले पाँच वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा.



बी डी एल ने भारतीय थल सेना के लिए इनवार टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र की आपूर्ति के लिए दि. 19 अगस्त 2013 को रक्षा मंत्रालय के साथ करार पर हस्ताक्षर किये. फोटो में बायीं ओर से - श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त) और रक्षा मंत्रालय से श्री उपमन्यु चटर्जी, संयुक्त सचिव एवं ए एम (एल एस) तथा कल्लल ए छिब्बर, निदेशक, डब्ल्यू ई 15 बी.

- (iii) कंपनी ने मिलान-2टी करार का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक पूरा कर दिया और ग्राहक से नये माँगपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है. ये आदेश वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है.
- (iv) कंपनी ने अमरावती, महाराष्ट्र में अधिगृहीत 553 एकड़ की जमीन के लिए जनवरी 2014 के दौरान एम आई डी सी, महाराष्ट्र के साथ पट्टा विलेख कार्यान्वित किया.
- (v) भानूर इकाई के दो अधिकारियों को वर्ष 2011-12 के लिए कांस्य श्रेणी के अंतर्गत टेकनॉलॉजी विकास के लिए सॉडेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.



(vi) दि. 30 अक्टूबर, 2013 को श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) ने विशाखापट्टणम स्थित कंपनी की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया।



विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन दि. 30 अक्टूबर, 2013 को श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) द्वारा किया गया। चित्र में श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन), डॉ. एन के राजू, अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय नौ सेना के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारीगण।

(vii) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने आपदा प्रबंधन नीति, अनुसंधान एवं विकास नीति और प्रबंधन प्रणाली जैसी नीतियाँ बनार्यी तथा इनके कार्यान्वयन के लिए निदेशक मंडल की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। ई-निविदा, ई-भुगतान इत्यादि नये बिंदुओं को शामिल करते हुए आई एम एम मैनुअल को भी संशोधित किया गया।

(viii) बी डी एल की तीनों इकाइयाँ - कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम ने भारतीय पंजीयन गुणता प्रणाली (आई आर क्यू एस) द्वारा आई एस ओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त किया है जिसकी अधिमान्यता तीन वर्ष तक रहेगी।



(ix) फरवरी 2014 तक थल सेना के दो रेजिमेंट के लिए आकाश अस्त्रप्रणाली संबंधी किये गये अनुबंध के अंतर्गत पहले एफ ओ पी एम अधिप्रमाणन परीक्षणों में काफी प्रगति हुई जो मई / जून के दौरान पूर्ण कर लिये गये.



उडीसा स्थित बालासोर में एफ ओ पी एम अधिप्रमाणन प्रशिक्षण के दौरान श्री एस एन मंथा, सी एम डी तथा आकाश जी एस डी टीम के अन्य अधिकारी.

भविष्य दृष्टि :

- (i) आपकी कंपनी ने वर्ष 2014 से 2019 तक के लिए एक निगम योजना बनाई है और इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है. ये दस्तावेज ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं तथा उनके भविष्य की जरूरतों के मुताबिक बनाये गये हैं. आपकी कंपनी को नयी टेकनोलॉजी जल्द आत्मसात करते हुए समय पर अस्त्रप्रणालियाँ सुपुर्द करने की जिम्मेदारी निभानी होगी.
- (ii) सशस्त्र सेनाओं से एम आर सैम, एल आर सैम, एस आर सैम तथा विश्रांड परियोजनाओं के करार जल्दी ही प्राप्त होने की संभावना है. अतः विनिर्माण सुविधा तैयार करने, विक्रेता आधार विस्तृत करने तथा परियोजनाओं की समय पर सुपुर्दगी के लिए प्रभावी परियोजना प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है.
- (iii) दि. 01 अप्रैल 2014 तक कंपनी को ₹18,864 करोड़ कार्य-आदेश प्राप्त हैं.



पर्यावरणीय पहल :

कंपनी हमेशा की तरह पर्यावरण हितैषी रही है तथा अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में साफ-सुथरा व हरित पर्यावरण बनाये रखती है. संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाये जा रहे हैं. व्यवस्थित प्रबंधन एवं जोखिम वाले तथा अन्य प्रकार के व्यर्थ का निपटान एवं विभिन्न तरह के प्रयास सुस्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के हिस्से बन चुके हैं. कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए निर्धारित सभी मानकों की पूर्ति के लिए तत्पर है.

ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क :

कंपनी, सेनाओं से प्राप्त माँग-पत्रों की आपूर्ति स्थिति तथा उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए प्रयोगकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर रही है. समय-समय पर, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में भी बैठकें बुलायी जाती हैं. सशस्त्र सेनाओं के लिए सामग्री आपूर्त करने की प्रक्रिया में कंपनी ने पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी है.

विक्रेता विकास :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा विक्रेता विकास नीति का मसौदा बनाया जा रहा है और वर्ष 2014-15 के दौरान अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इस विक्रेता विकास नीति से दीर्घावधि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपूर्ति शृंखला के विकास में कंपनी को सहायता मिलेगी. इससे नये विक्रेताओं की पहचान व इन्हें विकसित करने में भी पारदर्शिता आएगी. साथ ही, निरंतर सुधार प्रक्रिया भी सुनिश्चित होगी.

बी डी एल तथा इसके विक्रेताओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार विक्रेता मिलाप आयोजित किये जाते हैं.



इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग द्वारा आयोजित विक्रेता मिलाप बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन).



प्रौद्योगिकी :

कंपनी ने पहली पीढ़ी के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र SS11B1 के विनिर्माण से अपनी यात्रा शुरू की थी. मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम), एअरोस्पेशियल, फ्रांस से प्राप्त प्रौद्योगिकी अंतरण को अपनाते हुए बी डी एल ने दूसरी पीढ़ी के ए टी जी एम टेकनोलॉजी की ओर कदम बढ़ाया. बी डी एल ने यूरो मिसाइल, फ्रांस से मिलान-2, रूस से कांकूर्स जैसे ए टी जी एम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया. इन मिसाइलों का दूसरी पीढ़ी से आगे के मिलान-2टी तथा कांकूर्स-एम तथा उच्च गति वाले लेजर बीम रॉडार मिसाइल इनवार 3यूबीके20 के रूप में परिवर्द्धित किया गया. ये सभी मिसाइलें ई आर ए युक्त टैंक को भेदने में सक्षम हैं. पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी डी आर डी ओ की परियोजनाओं से कंपनी की टेकनोलॉजी आमेलन क्षमताओं में और भी विकास हुआ है. ग्राहकों को जी एस डी सहित ए टी जी एम व अन्य मिसाइल की आपूर्ति कर बी डी एल ने भारतीय रक्षा बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनायी है. संप्रति बी डी एल तृतीय एवं आगे की पीढ़ी की टेकनोलॉजी प्राप्त करने के द्वार तक पहुँच चुका है. बी डी एल की पहचान विभिन्न प्रकार की मिसाइलों के पुनर्संज्जीकरण एवं कालावधि विस्तार के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में की गई है.

उत्कृष्ट परिचालन योजना :

- (ए) परिचालन उत्कृष्टता हासिल करने के उद्देश्य से, पूरी कंपनी में मार्च 2015 तक ई आर पी कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने की योजना बनायी गयी है. प्रणालियों की प्रभावी रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ए एस 9100 सी तथा आई एस ओ 14001 जैसे मानक अपनाये गये हैं.
- (बी) प्रतिदिन आधार पर सभी विक्रेताओं के पास की उत्पादन स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से आकाश उत्पादन नियंत्रण केंद्र बनाये जाने की योजना है. इससे उप-प्रणालियों, घटकों आदि की आपूर्ति पर नजर रखने में सुविधा उपलब्ध होगी.
- (सी) सभी डिजाइन ड्राइंग, प्रौद्योगिकी विनिर्दिष्टताएँ, गुणता दस्तावेज, प्रयोक्ता मैनुअल, पारिभाषिक दस्तावेज, विनिर्माण / गुणता नियंत्रण दस्तावेज इत्यादि जैसे सभी संबंधित दस्तावेज के लिए एक केंद्रीकृत भण्डार के रूप में उत्पाद प्रयोगकाल प्रबंधन आधारित अभिकल्पन एवं दस्तावेजीकरण कक्ष की स्थापना योजनाधीन है.

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास :

- (ए) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है. एक अच्छे नैगमिक नागरिक होने के नाते बी डी एल सामाजिक एवं कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठा के साथ महती भूमिका निभा रहा है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान डी पी ई ने दिशानिर्देशों का संशोधन किया और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता विकास दोनों को एक ही श्रेणी के अंतर्गत 'सी एस आर एवं एस डी' के शीर्षक के अंतर्गत रखा गया जो दि. 01 अप्रैल 2013 से लागू हुआ.
- (बी) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित गतिविधियों के आयोजन के लिए ₹ 2.99 करोड़ का खर्च किया - (i) स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत नेत्र संबंधी चिकित्सा कर दवाइयाँ उपलब्ध कराना. (ii) स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना. (iii) तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले के ग्रामीणवासियों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना. (iv) पर्यावरण हितैषी शौचालयों का निर्माण (v) सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क का निर्माण (vi) स्कूली शिक्षा की गुणता में वृद्धि लाने की दृष्टि से स्कूली बच्चों को स्लेट, किताब आदि वितरित करना (vii) वर्षा-जल संचयन के लिए गर्तों का निर्माण (viii) ऊर्जा संरक्षण के तहत ऊर्जा ऑडिट सिफारिशों का अनुपालन.



- (सी) कंपनी ने सातत्यता विकास के अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट अध्ययन करते हुए कार्बन फुट प्रिंट में कमी लाने वर्ष 2013-14 के दौरान सोलार स्ट्रीट लाइट, सोलार पॉवर जनरेशन, वृक्षारोपण, ऊर्जा ऑडिट सिफारिशों के अनुपालन की पहल की।
- (डी) आगामी वर्षों में आपकी कंपनी सी एस आर एवं सातत्यता विकास परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता देगी तथा डी पी ई द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार अतिरिक्त गतिविधियाँ भी शामिल की जाएँगी।

पुरस्कार :

आपको यह जानकर खुशी होगी कि बी डी एल भानूर इकाई के अधिकारियों को वर्ष 2011-12 के लिए कांस्य श्रेणी में टेक्नोलॉजी विकास के लिए सॉडेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



बी डी एल भानूर इकाई के सॉडेट पुरस्कार गृहीताओं तथा सॉडेट अधिकारियों के साथ श्री एस एन मंथा, सी एम डी.

उत्कृष्ट कार्य तथा गुणतापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति के लिए आपकी कंपनी तथा इसके सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया -

(ए)	डी आर डी ओ टेक्नॉलॉजी अंतरण एवं अवलोकन पुरस्कार	1996
(बी)	निर्यात प्रतिस्थापन एवं नवोन्मेष के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार	2002-03
(सी)	सी एम डी एस के अभिकल्पन प्रयासों के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार	2004-05
(डी)	निर्यात प्रतिस्थापन (आई आर आई आई) के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार	2005-06



(ई)	सी एम डी एस के लिए सॉडेट पुरस्कार	2005-06
(एफ)	अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता के लिए एफ ए पी सी सी आई पुरस्कार	2005-06
(जी)	इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग के लिए 'गोल्डन पीकॉक' पुरस्कार	2007
(एच)	नैगमिक अभिशासन के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार	2010-11
(आई)	राजभाषा कार्यान्वयन के लिए टॉलिक राजभाषा शील्ड	2010-11
(जे)	ग्रुप/व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	2010-11
(के)	एचीवर्स अण्ड लीडर्स अवार्ड (वित्त)	2011-12
(एल)	इन्नोवेटिव एच आर प्रैक्टिसेज़ अवार्ड	2011-12
(एम)	एच आर लीडरशिप अवार्ड	2011-12

सत्यनिष्ठा समझौता (आई पी) का कार्यान्वयन :

दि. 01 नवंबर, 2011 से बी डी एल में सत्यनिष्ठा समझौता का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें कैपिटल, सिविल सेवा मदों और बाद में राजस्व के अंतर्गत आने वाली मदें शामिल हैं. इनमें पूँजीगत मदें ₹ 5 करोड़ एवं उससे ऊपर की, सिविल कार्यों के लिए ₹ 10 करोड़ एवं इससे ऊपर, सेवा ठेके के लिए ₹ 2 करोड़ एवं इससे ऊपर तथा राजस्व मदें ₹ 20 करोड़ एवं इससे ऊपर शामिल हैं. कंपनी, बाहरी स्वतंत्र अनुवीक्षक (आई ई एम) तथा प्रबंधन सदस्यों के साथ एकता समझौते के पालन की प्रगति की तथा विक्रेताओं के साथ आई ई एम की बैठक बुलाने के उद्देश्य से बैठकें आयोजित कर रही है.

नई उत्पादन सुविधाएँ :

(ए) यह आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सचिव (रक्षा उत्पादन) ने दि. 30 अक्टूबर, 2013 को आपकी कंपनी की तीसरी इकाई का आरंभ किया है. यह नई इकाई लगभग 13 एकड़ में व्याप्त है और इस इकाई में भारतीय नौसेना की आवश्यकताएँ पूरा करने अंतर्जलास्त्र का विनिर्माण होता है. आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टणम तथा महाराष्ट्र के अमरावती में भूमि-अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है. एल आर सैम, एम आर सैम और विश्रॉड आदि परियोजनाओं के लिए इन दोनों जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सुविधाएँ विकसित की जानी हैं.



विश्रॉड परियोजना के लिए महाराष्ट्र स्थित अमरावती में अधिगृहीत 553.85 एकड़ की जमीन का एम आई डी सी के साथ लीज़ डीड के पंजीकरण के अवसर पर सहायक रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों के साथ श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त), श्री वी उदय भास्कर तथा बी डी एल के अन्य कार्यपालक.



(बी) दीर्घावधि संव्यवहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा नई दिल्ली में कार्यालय के लिए जगह अधिगृहीत करने का कार्य जारी है. यह जगह राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विकसित की जा रही है.

नैगमिक अभिशासन :

- (ए) कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है. नैगमिक अभिशासन के संबंध में कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित प्रकटीकरण करना, कानून का अनुपालन करना, नैतिक मूल्य बनाये रखना तथा सभी स्ट्रेकधारकों के हितों को ध्यान में रखना है.
- (बी) सार्वजनिक उद्यमों के लिए डी पी ई, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, नैगमिक अभिशासन की रिपोर्ट तथा कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं.
- (सी) डी पी ई दिशानिर्देशानुसार नैगमिक अभिशासन के संबंध में त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं.
- (डी) कंपनी की गतिविधियों का अनुवीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) जैसी विभिन्न बाह्य एजेसियों द्वारा किया जाता है.

कंपनियों के कुलसचिव (आर ओ सी) / नैगमिक कार्य मंत्रालय के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग :

कंपनी एम सी ए - 21 रेजीम का पालन करती है. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन कंपनी के सभी प्रकार के फॉर्म एवं विवरणिकाएँ डिजिटल हस्ताक्षर सहित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा फाइल किये जा रहे हैं. कंपनी का सी आई एन नंबर है - यू 24292टीजी1970जीओआई001353.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन :

कंपनी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान का पालन कर रही है. इस अधिनियम के तहत आवेदकों द्वारा माँगी गयी हर प्रकार की जानकारी आर टी आई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप दी जाती है.



निष्कर्ष

मैं, हमारे ग्राहक, संव्यवहार सहभागियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग सहित तीनों सेनाओं के द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. अमूल्य परामर्श और सहयोग के लिए मैं कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स लक्ष्मीनिवास नीठ अण्ड कंपनी तथा वाणिज्यिक लेखापरीक्षक के प्रधान निदेशक और लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की हर स्तर पर प्रतिबद्धता इस कंपनी की ताकत रही है. प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में सलाह व सहयोग के लिए मैं निदेशक मंडल के अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ. हमें इस ताकत को जारी रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों और विकास की गति को बनाये रखा जा सके. अंत में, यही कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है जिससे इसका भविष्य उज्ज्वल होगा.

शुभकामनाओं सहित,

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे के साथ 44वाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

2. परिचालन के मुख्य अंश :

2.1 कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान मिलान-2टी आदेश का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और भारतीय थल सेना से नया माँग-पत्र प्राप्त करने का प्रस्ताव भी रखा है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में नया माँग-पत्र प्राप्त होने की संभावना है.

2.2 कंपनी ने इनवार ए टी जी एम सुपुर्द करने के लिए ₹ 3000 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किये हैं और यह आदेश अगले पाँच वर्ष में कार्यान्वित किया जाना है.

2.3 दि. 30 अक्टूबर, 2013 को विशाखापट्टणम में कंपनी की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) ने किया.

2.4 कंपनी ने दि. 21-26 फरवरी, 2014 के दौरान आकाश अस्त्र प्रणाली के पहले उत्पादन मॉडल (एफ ओ पी एम) के अधिप्रमाणन परीक्षण आरंभ किये जो वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये.

3. कार्य-निष्पादन :

3.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है -

3.2 निम्नलिखित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है -

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2012-13	2013-14	
बिक्री मूल्य	1074.71	1779.89	66%
उत्पादन मूल्य	1175.52	1804.49	54%
कराधान पूर्व लाभ	419.06	508.59	21%
कराधान बाद लाभ	288.40	345.51	20%
मूल्य-वर्द्धन	395.95	578.48	46%

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2012-13	2013-14	
सकल निरुद्ध	711.55	834.56	17%
मूल्यहास प्रारक्षण	433.55	474.95	10%
निवल निरुद्ध	278.00	359.61	29%
कार्यगत पूँजी	614.58	811.68	32%
नियोजित पूँजी	892.59	1171.28	31%
निवल मालियत	953.08	1217.72	28%




4. लाभांश एवं सामान्य प्रारक्षण में अंतरण :

आपकी कंपनी ने लगातार लाभांश प्रदान करने का रिकॉर्ड हासिल किया है. कंपनी ने अपने पूर्व रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 69.10 करोड़ का लाभांश प्रदत्त किया. इस लाभांश में फरवरी, 2014 में प्रदत्त 58 करोड़ का अंतरिम लाभांश भी शामिल है. निदेशक गण यह भी सिफारिश करता है कि ₹ 265 करोड़ की राशि सामान्य प्रारक्षण में अंतरित की जाए.



दि. 24 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में वर्ष 2013-14 के लिए माननीय रक्षा मंत्री श्री ए के अंटनी को ₹ 58 करोड़ का अंतरिम लाभांश प्रदत्त करते हुए सी एम डी श्री एस एन मंथा. इस अवसर पर श्री जी सी पति, सचिव (रक्षा उत्पादन), भारत सरकार भी उपस्थित थे.



दि. 01 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में वर्ष 2012-13 के लिए माननीय रक्षा मंत्री श्री ए के अंटनी को ₹ 57.684 का लाभांश चेक प्रदत्त करते हुए बी डी एल के सी एम डी श्री एस एन मंथा एवं श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त).



5. वित्त :

कुल प्रदत्त पूँजी ₹ 115.00 करोड़ रुपये रही. कंपनी की कुल परिसंपत्तियाँ (विशेष औज़ार और उपकरण सहित) रु. 834.56 करोड़ की रहीं जो वर्ष 2012-13 की तुलना में ₹ 123.01 करोड़ अधिक है.

6. अनुबंध ज्ञापन प्रलेख की दृष्टि से कार्यनिष्पादन :

वर्ष 2012-13 में आपके उद्यम ने कार्य-निष्पादन में 'बहुत अच्छा' दर्जा प्राप्त किया. वर्ष 2013-14 के दौरान अनुबंधन ज्ञापन प्रलेख के कार्यनिष्पादन के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त होने की संभावना है.

7. लागत में कमी :

7.1 संभावित क्षेत्रों में ई-रिवर्स ऑक्शन लागू किया गया जिससे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें तथा सामग्री लागत में कमी लाने में सफलता मिली.

7.2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने सतत प्रयास जारी हैं जिनसे उम्मीद है कि सामग्री की लागत में कमी आएगी.

7.3 ऊर्जा ऑडिट के अंतर्गत ऊर्जा बचत उपकरण प्रयोग किये जा रहे हैं जिससे बिजली की खपत में कमी आयी.

7.4 लागत में कमी के संभावित क्षेत्रों की समीक्षा के लिए निदेशक (उत्पादन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा समिति द्वारा दिये गये सुझावों का सभी संबंधित प्रभाग / विभागों द्वारा अनुपालन किया जाता है.

8. मितव्ययता :

8.1 व्यय प्रबंधन, मितव्ययता और व्यय का युक्तीकरण से संबंधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान यात्रा व्यय, विज्ञापन तथा प्रचार-व्यय, नये वाहनों की खरीदी, संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन, विनोद कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में राजकोषीय विवेक तथा मितव्ययता नीति अपनायी है.

8.2 ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर इसे न्यूनतम रखा गया है.



9. आधुनिकीकरण एवं उन्नयन

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित टेकनॉलॉजी अपनायी गई जिसके परिणामस्वरूप हमारे ग्राहकों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान क्षमताओं में वृद्धि संभव हो पायी।

- रोबोटिक वेल्डिंग मशीन का प्रयोग.
- इलेक्ट्रोप्लेटिंग उत्पादन शृंखला में ऑटोमैटिक लोडिंग तथा प्रोग्रेशन.
- थर्मल शॉक क्षमता सहित मिसाइल / उप-प्रणालियों का उष्णन तथा शीतलन का एकीकरण/ ऑटोमैटिकीकरण.
- डीप ड्राइंग प्रक्रिया की जगह फ्लो फार्मिंग का प्रयोग.
- हाइब्रिड माइक्रो सर्क्यूट का प्रयोग.
- वायर स्पूल की वाइंडिंग प्रक्रिया में ऑटोमैटेड तनाव नियंत्रण.
- शॉक प्रूफिंग के लिए कन्वेन्शनल फ्लोरिंग की जगह एपोक्सी फ्लोरिंग का प्रयोग.
- दस्ती प्रक्रिया की जगह स्वचालित दबाव परीक्षण.
- इग्निशन के सोल्डरिंग के लिए संरक्षा कवच.

10. विदेशी मुद्रा : अर्जन तथा व्यय :

वर्ष के दौरान ₹ 2.00 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा ₹ 411.12 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ.

11. प्रदर्शनियाँ :

वर्ष 2013-14 के दौरान वरिष्ठ कार्यपालक तथा निदेशकों ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभाग लिया है. इस तरह की प्रतिभागिता के परिणामस्वरूप आधुनिक टेकनॉलॉजी का परिचय, अन्य विशेषज्ञों से चर्चा तथा ज्ञान-अंतरण का अवसर प्राप्त हुआ. साथ ही, इससे अन्य देशों के पेविलियन की यात्रा से वहाँ उपलब्ध प्रणालियों की जानकारी मिली जिससे बी डी एल को भविष्य में अपने स्वयं की संव्यवहार योजनाएँ बनाने में मदद मिली.

वर्ष 2013-14 के दौरान बी डी एल ने निम्न प्रदर्शनियों में प्रतिभाग लिया :

- अप्रैल, 2013 के दौरान रियो-जेनेरियो, ब्राज़िल में आयोजित एल ए ए डी - 2013 प्रदर्शनी.
- मई, 2013 के दौरान सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मैरिटाइम प्रदर्शनी.
- सितंबर, 2013 के दौरान लंदन, यू के में आयोजित डी ई एस आई - 2013 प्रदर्शनी.



दि. 10 से 13 सितंबर, 2013 के दौरान लंदन में आयोजित डी एस आई आई-2013 प्रदर्शनी में श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) को कंपनी के उत्पादों की जानकारी देते हुए श्री एस एन मंथा, सी एम डी, बी डी एल.

- नवंबर, 2013 में सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित ए डी ई एक्स - 2013 प्रदर्शनी.
- जून, 2014 के दौरान फ्राँस, पैरिस में आयोजित यूरोसैटरी 2014 प्रदर्शनी.
- जुलाई, 2014 के दौरान लंदन, यू के में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एअर शो - 2014.



- फरवरी 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित डेफेक्सपो-2014 प्रदर्शनी.



दि. 06 से 09 फरवरी, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित डेफेक्सपो-2014 में माननीय रक्षा मंत्री श्री ए के अंटनी को बी डी एल के उत्पादों की जानकारी देते हुए श्री एस एन मंथा, सी एम डी, बी डी एल.

जून, 2014 के दौरान फ्रांस, पैरिस में आयोजित यूरोसैटरी 2014 प्रदर्शनी.

दि. 16 से 20 जून, 2014 के दौरान पैरिस, फ्रांस में आयोजित यूरोसैटरी 2014 में श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) ने बी डी एल स्टॉल का दौरा किया. चित्र में श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त), डॉ. पी बालाजी, उप महाप्रबंधक (सं.वि.) तथा अन्य अधिकारी.





जुलाई, 2014 के दौरान लंदन, यू के में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एअर शो - 2014.

दि. 14 से 20 जुलाई तक लंदन, यू के में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एअर शो 2014 के दौरान मेसर्स चेप्रिंग के साथ एक अप्रकटनीय करार करते हुए तथा बी डी एल के उत्पादों का परिचय देते हुए एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी).

12. निदेशक मंडल :

12.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें संपन्न हुईं तथा वर्ष 2012-13 की आम सभा दि. 30 सितंबर, 2013 को संपन्न हुई.

12.2 श्री वी उदय भास्कर, दि. 01 अगस्त, 2013 से बी डी एल के बोर्ड में निदेशक (उत्पादन) के पद पर नियुक्त किये गये. श्री रविकांत, संयुक्त सचिव (एम एस) के स्थान पर दि. 11 सितंबर, 2013 से श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (ई एस), रक्षा उत्पादन विभाग सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए.

12.3 श्री जी राघवेंद्र राव, निदेशक (तकनीकी) ने त्यागपत्र दिया तथा 26 जून, 2013 को इन्हें कार्यमुक्त किया गया. एअर वाईस मार्शल एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) दि. 01 अप्रैल, 2014 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किये गये.

12.4 दि. 07 मार्च, 2014 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक प्रो. आर के मिश्र तथा श्री के एल मेहरोत्रा का कार्यकाल पूरा हो गया.

13. मानव संसाधन विकास :

13.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ज्ञानाधारित, विकासोन्मुख तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें कंपनी के 1522 अधिकारी तथा 753 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है. कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम आंतरिक तथा बाह्य एजेंसियों में आयोजित किये जाते हैं.



13.2 आपकी कंपनी ने प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आई आई एम, अहमदाबाद, बंगलूरु, जमशेदपुर के एक्स एल आर आई जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से 15 वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये.

13.3 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने मार्च, 2014 के दौरान विश्वविख्यात हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यू एस ए द्वारा आयोजित 'लीडिंग चेंज फार आर्गनाइजेशनल रेन्युअल' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया.



दि.16-21 मार्च, 2014 के दौरान हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आयोजित लीडिंग चेंज फार आर्गनाइजेशनल रेन्युअल कार्यक्रम में सह-प्रतिभागियों के साथ श्री एस एन मंथा, सी एम डी.

13.4 मिसाइल टेकनॉलॉजी पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी लगातार डी आई ए टी, पुणे के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करती आ रही है. साथ ही, कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए कौशल प्रोन्नयन तथा इसके पुनःअधिप्रमाणन के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं.

13.5 आपकी कंपनी ने तीस पेशेवर परियोजना प्रबंधक का एक समुदाय बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की है. इस परियोजना की अगली कड़ी में तीस कार्यपालकों को नामित कर कक्षाओं के लिए भेजा गया. ये कार्यपालक पी एम आई, यू एस ए द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के क्रम में हैं और बाद में इन्हें प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण होनी होगी.

13.6 ग्रेड VI एवं VII के कार्यपालकों की सक्षमता एवं आचरण विशेषता के मूल्यांकन के लिए बी डी एल में मूल्यांकन विकास केंद्र (ए डी सी) की स्थापना की गई है. इस मूल्यांकन में गतिविधियों की श्रृंखला एवं विषय अध्ययन-विश्लेषण, भूमिका अदायगी, इनबॉक्स सिमुलेशन, प्रबंधन साक्षात्कार, सामूहिक चर्चा, सामूहिक संव्यवहार अनुरूपण जैसी कुछ गतिविधियाँ एवं सिमुलेशन शामिल हैं.



बी डी एल के सभी अ.म.प्र. एवं उ.म.प्र. ने मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लिया. सारी मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन मेसर्स थॉमस एससमेंट प्राइवेट लिमिटेड (टी ए पी एल), बेंगलूरु के विशेषज्ञों द्वारा किया गया.

13.7 बी डी एल को एक अच्छा कार्यस्थल बनाने के प्रयास में बी डी एल की सभी इकाइयों में 'कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण-2013' का आयोजन किया गया. विविध पक्ष एवं आयामों में संगठन के प्रति कर्मचारियों की अनुभव संबंधी प्रतिक्रिया समझना इसका मुख्य उद्देश्य है. मानव संसाधन परामर्श फर्म मेसर्स रैंडस्टैंड इंडिया द्वारा इस सर्वेक्षण का आयोजन किया गया.

14. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण :

14.1 आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत ट्रेड यूनियन तथा असोसिएशन के साथ समता और मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखे हैं. कार्यकारी समिति, सुरक्षा समिति तथा कैंटीन समिति जैसी सांविधिक समिति एवं संयंत्र स्तर की समितियों ने कार्यस्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन में सहयोग दिया.

14.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जा रहा है. कंपनी ने विद्यालय शुल्क, कैंटीन भत्ता, यूनिफार्म, जूते जैसी गैर-सांविधिक सुविधाओं की उपलब्धता जारी रखी है. कंपनी बी डी एल चिकित्सा नियमों के तहत कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रख रही है. डी पी ई दिशानिर्देशानुसार कंपनी ने कार्यपालकों के लिए पेंशन योजना तैयार की है और कंपनी के कार्यपालक तथा कार्यपालकेतर के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा योजना भी बनायी है. इन योजनाओं को निदेशक मंडल का अनुमोदन मिल गया.

14.3 अगले दो साल के लिए कंपनी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुमत यूनियन को निर्धारित करने के उद्देश्य से उप मुख्य श्रमिक आयुक्त (केंद्रीय), हैदराबाद द्वारा अनुशासन कोड के अधीन पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर दी गई.

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 217 (2 ए ए) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि :

- (i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण, निर्गत सामग्री के उचित स्पष्टीकरण सहित किया गया है.
- (ii) चयित लेखा-नीति का पालन नियमित रूप से किया गया है तथा इस आधार पर लिये गये निर्णय एवं प्राक्कलन उचित हैं. इनसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के वास्तविक और स्पष्ट कार्य-पद्धति दृष्टिगोचर होती है तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लाभ-हानि भी परिलक्षित होती है.
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधनों के प्रावधानानुसार लेखा अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गयी है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों को धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके.



(iv) वार्षिक लेखा चालू संबद्ध आधारों पर तैयार किये गये हैं.

(v) सी पी एस ई - 2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर डी पी ई दिशानिर्देशानुसार, कंपनी के लिए लागू सभी प्रकार के नियमों की दृष्टि से अनुपालन प्रमाण-पत्र निदेशक-मंडल की प्रत्येक बैठक में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है.

16. विदेश यात्राएँ :

वर्ष के दौरान कंपनी ने कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा संव्यवहार यात्राओं के संबंध में विदेश यात्राओं पर ₹ 36.63 लाख खर्च किये.

17. सुरक्षा :

17.1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाइयों में सुरक्षा तथा अग्नि सेवाएँ प्रदान कर रहा है. प्रबंधन, विशाखापट्टणम इकाई में भी सुरक्षा तथा अग्नि सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए सी आई एस एफ के समावेशन की योजना बना रहा है. आई बी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संयंत्र सुरक्षा परिषद मौजूद है. कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है. सुरक्षा उपायों के अद्यतन के लिए स्थानीय पुलिस एवं नागरिक प्राधिकरण के साथ आवधिक सुरक्षा समन्वयन बैठकें आयोजित की जा रही हैं. कंपनी वर्ष 2013-14 के दौरान अपराध-मुक्त रही.

17.2 सुरक्षा सप्ताह / फायर सप्ताह के दौरान सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और कर्मचारियों को समय-समय पर होने वाले सुरक्षा खतरों एवं आग लगने पर ली जाने वाली सावधानियों से आगाह करवाया जाता है.

17.3 अप्राधिकृत प्रवेश रोकने के लिए कार्ड स्वाइप करने के अतिरिक्त बायोमेट्रिक एक्सिस कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है. कड़ी सुरक्षा के लिए कंप्यूटर फोटो-पास के अलावा विभिन्न अन्य सुरक्षा उपाय भी अपनाये गये हैं.

18. संरक्षा :

18.1 कंपनी कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं संरक्षा के लिए प्रयुक्त मानकों का कड़ाई से पालन कर रही है. कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो निगम समितियाँ कार्यरत हैं - औद्योगिक सुरक्षा समिति जो सांविधिक है और विस्फोटक संरक्षा समिति. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण परिस्थितियाँ नियंत्रित करने के लिए नियमित अंतराल पर संरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं. विस्फोटक सुरक्षा के लिए उद्योग अधिनियम, 1948 का अनुपालन करते हुए तथा एस टी ई सी (विस्फोटक का भण्डारण एवं परिवहन समिति) के विनियमों का कड़ा पालन करते हुए कार्य किये जाते हैं.



दि. 04 मार्च, 2014 को 43वें राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के अवसर पर संबोधन करते हुए संरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री वी एन रेड्डी, महाप्रबंधक (एम एन आर).



18.2 अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), नई दिल्ली द्वारा वार्षिक विस्फोटक संरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षा समिति के निरीक्षणों का अनुपालन किया जाता है।

18.3 जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योग्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षाएँ करवायी जाती हैं।

18.4 कर्मचारियों में संरक्षा-भावना जागरूक करने तथा सुरक्षित कार्य-परिसर बनाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास द्वारा राष्ट्रीय संरक्षा परिषद (एन एस सी), केंद्रीय श्रमिक संस्थान (सी एल आई), क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान (आर एल आई) तथा अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), नई दिल्ली के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

18.5 कंपनी के कर्मचारियों को सुशिक्षित करने के उद्देश्य से संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विस्फोटक संरक्षा तथा औद्योगिक संरक्षा क्षेत्र में अनुभवी तथा विशेषज्ञों द्वारा विशेष व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं।

18.6 वर्ष 2013-14 के दौरान बी डी एल की तीनों इकाइयाँ आई एस ओ 14001-2004 से अधिप्रमाणित हुईं। कंपनी में भारतीय रजिस्टर गुणता प्रणाली (आई आर क्यू एस) द्वारा प्रमाणित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) लागू की गई। यह प्रणाली तीन वर्ष तक अधिमाम्य होगी। कंचनबाग इकाई के लिए यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

18.7 मार्च, 2014 के दौरान संरक्षा दिवस / सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अग्नि-शमन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फायर के मॉक-ड्रिल भी नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं।

19. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पदों में आरक्षण तथा कुल मानव-शक्ति :

19.1 कंपनी, अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का अनुपालन कर रही है।

19.2 31 मार्च, 2014 तक कंपनी में कार्यरत स्थायी कर्मिकों की संख्या 3081 है और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 184 है। कुल 3081 कर्मिकों में से 79 भूतपूर्व सैनिक, 574 अनुसूचित जाति तथा 200 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 19.45% और 5.32% है जबकि अधिकारी वर्ग में यह प्रतिशत 16.45% और 9.70% है।

19.3 दि. 31 मार्च, 2014 तक अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 184 है जिनमें से 37 अनुसूचित जाति के और 14 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।



31 मार्च, 2014 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार रहा :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	31-03-2013	31-03-2014	31-03-2013	31-03-2014	31-03-2013	31-03-2014
ग्रुप-ए	625	753	101	125	61	75
ग्रुप-बी	201	93	34	14	18	7
ग्रुप-सी	1917 215*	1901 184*	351 45*	348 37*	100 15*	98 14*
ग्रुप-डी	342	335	91	87	21	21
कुल	3300	3266	622	611	215	215
* अस्थायी कर्मचारी						

19.4 वर्ष 2013-14 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती निम्न प्रकार है :

पदों का वर्गीकरण	कुल विमोचित रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण (कालम 2 में से)	वर्ष 2013-14 में की गई भर्ती		
				अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
			अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा
ग्रुप-ए	87	51	15	7	10	5
ग्रुप-बी	2	2	0	1	0	1
ग्रुप-सी	6	6	1	0	1	0
	28*	28*	7*	1*	7*	1*
ग्रुप-डी	0	0	0	0	0	0
कुल	123	87	23	9	18	7
* अस्थायी कर्मचारियों का आमेलन						



20. महिलाओं का नियोजन :

रक्षा मंत्रालय के दि. 27 अगस्त, 1999 के पत्र स. 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) द्वारा किये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार महिला नियोजन की स्थिति (प्रतिशत) निम्न प्रकार है :

I. कार्यपालक

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
I	93	17	18.28%
II	238	39	16.39%
III	135	15	11.11%
IV	62	11	17.74%
V	135	9	6.67%
VI	139	0	0
VII	31	1	3.23%
VIII	8	0	0
IX	1	0	0
मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	0	0
अनुसूची-सी	2	0	0
अनुसूची-बी	1	0	0
कुल	846	92	10.87%

II. कार्यपालकेतर

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
वेज ग्रुप-1	121	15	12.40%
वेज ग्रुप-2	220	23	10.45%
वेज ग्रुप-3	295	50	16.95%
वेज ग्रुप-4	169	33	19.53
वेज ग्रुप-5	176	25	14.20%
वेज ग्रुप-6	38	5	13.16%
वेज ग्रुप-7	143	8	5.59%
वेज ग्रुप-8	14	0	0
वेज ग्रुप-9	193	6	3.11%
वेज ग्रुप-10	124	17	13.71%
वेज ग्रुप-11	259	17	6.56%
वेज ग्रुप-12	484	40	8.26%
अस्थायी	184*	16*	8.70%*
कुल	2420	255	10.54%



दि. 08 मार्च, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। चित्र में बायीं तरफ से - श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन), डॉ. रमा देवी, श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्रीमती ललिता कुमारी, श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त) व अन्य अधिकारी।

21. दि. 31 मार्च, 2014 तक विकलांग कर्मचारी (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर) :

दि. 31 मार्च, 2014 तक कंपनी में 108 विकलांग कार्मिक कार्यरत हैं जिनमें से दो कार्मिकों की नियुक्ति वर्ष 2013-14 के दौरान हुई। दि. 31 मार्च, 2014 तक अपंग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.50 % है।

22. कर्मचारी विवरण :

कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियमावली 1975 के साथ पाठ्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (अनुलग्नक-1) :

23. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण :

कंपनी हरा-भरा वातावरण बनाए रखते हुए पर्यावरण के सभी पहलुओं की दृष्टि से लगातार सुधार कर रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, फूल लगने वाले वृक्ष तथा बागवानी की गई। कंपनी ने बी डी एल में व्याप्त विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यकारी स्तर की समिति तथा स्टीरिंग समिति जैसी समितियों का गठन किया। ये समितियाँ समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा करती रहती हैं। निर्धारित अवधि में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुराने डी जी सेट की जगह अकॉस्टिक डी जी सेट लगवाए जाने की प्रक्रिया जारी है। पिछले पाँच वर्ष में कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगभग ₹ 2.38 करोड़ रुपये खर्च किया है।



24. गुणता :

24.1 गुणता और ग्राहक संतुष्टि :

24.1.1 बी डी एल एकल प्रयुक्त उत्पादों का विनिर्माण करता है. ये उत्पाद कड़े गुणता मानक तथा उच्च विश्वसनीयता की माँग करते हैं. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बी डी एल ने पिछले 18 वर्ष से आई एस ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय गुणता प्रबंधन प्रणाली की नीतियाँ अपना रही है. कंपनी के सभी विनिर्माण प्रभागों ने अद्यतन आई एस ओ 9001 : 2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली मानक का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है.

24.1.2 सभी आई एस ओ प्रमाणित प्रभागों के लिए बाहरी एजेंसियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षाएँ की जाती हैं. उन प्रभागों द्वारा बनाए जाने वाले सभी उत्पादों के लिए ग्राहक संतुष्टि को स्वीकार किया जा रहा है. विक्रेता मिलाप, प्रयोगकर्ताओं के साथ चर्चाओं के माध्यम से बी डी एल ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है. बेहतरी के लिए आवश्यक सुधार कार्य किये जाते हैं.

24.2 ए एस 9100 सी (एअरोस्पेस गुणता प्रबंधन प्रणाली) :

24.2.1 बी डी एल ने मिलान प्रभाग के लिए ए एस 9100 सी गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रमुख चरण (चरण-1 पूर्व-लेखापरीक्षा) पार कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2014-15 में दूसरे चरण की लेखापरीक्षा के लिए तैयार हो जाने की संभावना है.

24.3 बी डी एल की इकाइयों के लिए आई एस ओ 14001 : 2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाण-पत्र :

दि. 17 फरवरी, 2014 को भारतीय पंजी गुणता प्रणाली (आई आर क्यू एस) द्वारा बी डी एल की तीनों इकाइयाँ यथा - कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम को आई एस ओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) से प्रमाणित किया गया.



कंचनबाग कांफ्लेक्स के लिए आई आर क्यू एस, हैदराबाद से ई एम एस प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन).



भानूर इकाई के लिए आई आर क्यू एस, हैदराबाद से ई एम एस प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए श्री पी आर वी प्रसाद, अधिशासी निदेशक (भानूर इकाई).



विशाखापट्टणम इकाई के लिए आई आर क्यू एस से ई एम एस प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए श्री डी रमेश, उप महाप्रबंधक (वि.इ.)



24.4 'गुणता वर्ष 2013-14' की गतिविधियाँ :

माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार ने सभी रक्षा उपक्रम तथा आयुध निर्माणी बोर्ड को निदेश दिया कि उत्पादों के वांछित गुणतापूर्ण कार्य-निष्पादन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंड अपनाते हुए वर्ष 2013-14 को 'गुणता वर्ष 2013-14' के रूप में मनाया जाए. तदनुसार, बी डी एल ने गुणता विकास की आवश्यकता, वैश्विक मानदंडों के समानांतर गुणता मानदंडों में वृद्धि, गुणता संबंधी विस्तृत चर्चाएँ तथा ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि के लिए कदम जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य-योजना बनायी. उपर्युक्त उद्देश्यों के क्रम में, उत्पाद प्रभागों द्वारा ग्राहक मिलाप, प्रयोगकर्ताओं के साथ चर्चाएँ, विक्रेता मिलाप, कार्यशालाएँ तथा गुणता पर व्याख्यान तथा गुणता संबंधी विभिन्न विकास गतिविधियाँ आयोजित की गईं. प्रभागों द्वारा आयोजित ग्राहक मिलाप कार्यक्रम द्वारा बी डी एल तथा अन्य ग्राहकों के बीच संबंध जुड़ा जिसके चलते दोनों के समान उद्देश्यों की पूर्ति आपसी सौहार्द से हुई.



दि. 24 अक्टूबर, 2013 को श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन) की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग द्वारा एक ग्राहक मिलाप बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एम एस क्यू ए ए, एस क्यू ए ई (एस), आर डी ए क्यू ए (सी आर आई), सी आई एन ए, एम ए जी - 4, आर अण्ड क्यू ए - ए एस एल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.



दि. 15 नवंबर, 2013 को श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन) की अध्यक्षता में मिलान प्रभाग द्वारा एक ग्राहक मिलाप बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एस क्यू ए ई (एस), एस क्यू ए ई (ए), सी क्यू ए (एस), 15 एफ ए डी, 16 एफ ए डी, इनफैंट्री स्कूल महु, ए ओ सी तथा 3 इनफैंट्री डी ओ यू के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

दि. 24 दिसंबर, 2013 को श्री एस एन मंथा, सी एम डी की अध्यक्षता में 'रक्षा उपक्रमों में गुणता-वृद्धि की उत्तम पद्धतियाँ' विषय पर डी अण्ड ई सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यशाला का दृश्य.



**25. निर्यात :**

बी डी एल ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹118.31 लाख के निर्यात आदेश कार्यान्वित किये हैं।

26. भावी योजना :

26.1 भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आरंभ किये गये आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रम में कंपनी की भावी योजना उत्साहवर्धक है। विश्राड, एस आर सैम, एम आर सैम जैसे अधिग्रहण कार्यक्रमों के लिए बी डी एल मुख्य एकीकर्ता के रूप में पहचाना जा चुका है। बी डी एल तीसरी पीढ़ी के प्रोन्नत ए टी जी एम के लिए भी मुख्य एकीकर्ता है। ये परियोजनाएँ भारत सरकार के अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं। उपर्युक्त भावी योजना को देखते हुए कंपनी का भविष्य संतोषजनक है। तथापि, रक्षा अधिग्रहण के सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए बी डी एल को स्पष्ट है कि इसकी मनोनीत उत्पादन एजेंसी स्थिति क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक बिडर में परिवर्तित होती जा रही है। अतः कंपनी को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

26.2 दि. 31 मार्च, 2014 तक लगभग ₹ 19000 करोड़ रुपये के क्रय आदेश से कंपनी की स्थिति सुदृढ़ है। तथापि, प्रमुख ए टी जी एम एवं सैम की सुपुर्दगी संबंधी वचनबद्धताओं को देखते हुए आगे का समय कंपनी के लिए चुनौतीभरा है।

27. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता :

कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मापदंडों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है। बाह्य लेखापरीक्षक फर्म को इनकी पर्याप्तता तथा रिपोर्ट को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है। बी डी एल के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा एवं सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा कर रिपोर्ट दी गई है। सरकारी कंपनी होने के नाते बी डी एल के लिए सरकारी लेखापरीक्षा भी आवश्यक है।

28. राजभाषा कार्यान्वयन :

28.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। सी एम डी तथा निदेशकों की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं। वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) और सी एम डी महोदय ने जुलाई, 2013 में आयोजित रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के 12वीं हिंदी सलाहकार समिति में प्रतिभाग लिया है। दि. 17 जनवरी, 2014 के रक्षा मंत्रालय के संसदीय परामर्शदात्री समिति के दौरे के अवसर पर भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में प्रस्तुति तथा अन्य दस्तावेजी तैयारियाँ हिंदी-अंग्रेजी में की गईं।



28.2 दि. 25 सितंबर, 2013 को संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने बी डी एल का दौरा कर, कार्यन्वयन की गतिविधियों की समीक्षा की. श्री प्रदीप टम्टा, सांसद, राज्य सभा ने समिति की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कंपनी में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन की प्रशंसा की.



दि. 25 सितंबर, 2013 को संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने बी डी एल का दौरा किया. चित्र में हैं - श्री प्रदीप टम्टा, श्री अशोक अर्गल, श्री दिनेश चंद्र यादव, श्री गजानंद बाबर, बी डी एल के सी एम डी श्री एस एन मंथा, निदेशक (वित्त) श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (उत्पादन) श्री वी उदय भास्कर व अन्य अधिकारी.

28.3 कंपनी में आयोजित किये जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह तथा राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह कार्यक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये सभी कार्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी तथा तेलुगु में आयोजित किये जाते हैं.

28.4 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रपति आदेशों के तहत संसद के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात, कंपनी का वार्षिक विवरण, रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किये गये. भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार कंपनी की वेबसाइट हिंदी में बनायी गयी और समय-समय पर अद्यतन भी की जाती है.

29. प्रौद्योगिकी संरक्षण एवं नवीकरण ऊर्जा विकास :

29.1 उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग द्वारा विकास प्रक्रिया को पर्यावरण हितैषी पद्धति से आगे बढ़ाने के लिए सतत् विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है. बी डी एल द्वारा अपनायी जा रही सतत् विकास कार्यान्वयन की कठोर पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षमता के विकास द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आरंभ किया गया है.



29.2 इसके अंतर्गत, इनकर्मिंग ओल्टेज को नजरअंदाज करते हुए निर्धारित 220 वी का वोल्टेज बनाये रखने के लिए ओल्टेज ऑप्टिमाइजर स्थापित किया गया है. परिणामस्वरूप एक ही प्रकार का इल्यूमिनेशन स्तर बनाये रखने की वजह से 10-15 प्रतिशत की ऊर्जा की बचत हुई. वर्तमान 400 वाट के हाई बे एमवीएचपी का प्रतिस्थापन 250 वाट एमवीएचपी से करते हुए स्वल्प मेर्क्युरी तथा लंबी कालावधि के ऊर्जा सक्षम लैंप लगवाये गये. वर्तमान सीलिंग तथा पेडेस्ट्रल पंखे की जगह 330 नग के अधिकतर ऊर्जा के बी स्टार रेटेड पंखे लगाए गए जिससे 32687 के डब्ल्यू एच की ऊर्जा की बचत हुई.

29.3 समुदाय नियंत्रण युक्त आक्यूपेंसी सेंसर प्रणाली की स्थापना से लगभग 20340 के डब्ल्यू एच की ऊर्जा की बचत होने की अपेक्षा है. अशक्त कंडेंसर तथा पंप का नये ऊर्जावान से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त प्रोद्भूत बचत प्रति दिन 72 के डब्ल्यू एच है.

29.4 ए सी प्रणालियों के शीतलीकरण तथा वाटर सर्क्यूट के निर्माण के लिए स्थापित जल शुद्धीकरण प्रणाली की स्थापना से ए सी संयंत्र की क्षमता में वृद्धि हुई.


29.5 पर्यावरण परिरक्षण हमारे राष्ट्र द्वारा शताब्दी विकास लक्ष्य है. राष्ट्र के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बी डी एल लगातार वृक्षारोपण तथा वर्षाजल संचयन गर्त जैसे विकासात्मक कदम उठा रहा है. इससे भू-जल के स्तर में भी बढोत्तरी हुई. सोलार स्ट्रीट लाइट जैसी ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी पायी गयी.

29.6 पर्यावरण सातत्यता को प्राप्त करने के लिए सातत्यता विकास कार्यक्रम एक निरंतर कार्यक्रम होने के कारण बी डी एल द्वारा इस सातत्यता को एक आदत बनाया जाएगा.

30. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास :

30.1 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है. एक अच्छे नैगमिक नागरिक होने के नाते बी डी एल सामाजिक एवं कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठा के साथ महती भूमिका निभा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने उत्तराखण्ड में बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनरावास के लिए ₹ 29 लाख उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री राहत निधि को भेजे.

30.2 वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी लगातार (i) स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोज (ii) स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम (iii) शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने (iv) सुदूर पहाडी क्षेत्रों में सडकें बिछाने और (v) शिक्षा की गुणता में वृद्धि के लिए स्कूल के बच्चों में पाटी, किताबें आदि का वितरण जैसी सी एस आर की गतिविधियों के अंतर्गत राशि खर्च कर रही है.



बी डी एल ने उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ित प्रांतों में राहत एवं पुनरावास कार्यक्रमों के लिए ₹ 29 लाख का सहयोग दिया. दि. 29 नवंबर, 2013 को श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन), बी डी एल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा को इस राशि के लिए चेक प्रदान किया.

30.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान डी पी ई ने दिशानिर्देशों का संशोधन किया और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता विकास दोनों को एक ही श्रेणी के अंतर्गत सी एस आर एवं एस डी के शीर्षक से रखा गया जो दि. 01 अप्रैल 2013 से लागू हुआ. साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित को लेकर नये प्रावधान हैं : (i) बोर्ड की एक सी एस आर समिति गठित की जाए (ii) समिति यह सुनिश्चित करें कि कंपनी तीन वर्ष के अपने अवसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत सी एस आर गतिविधियों के लिए खर्च करें. (iii) निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सी एस आर समिति की सदस्यता का विवरण तथा निर्धारित राशि खर्च न किये जाने की स्थिति में उसका विवरण देना होगा.

30.4 कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सातत्यता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत (i) ओल्टेज ऑप्टीमाइजर की स्थापना (ii) 250/400 वाट एम वी एच पी लैंप के स्थान पर ऊर्जा सशक्त लैंप की प्रतिस्थापना (iii) जल-शुद्धीकरण प्रणालियाँ (iv) कार्बन फुट प्रिंट का अध्ययन (v) वर्षा जल संचयन गर्त खेती पिट आदि कार्यक्रम किये गये.

30.5 कर्मचारियों में कंपनी द्वारा किये जाने वाली सी एस आर एवं सातत्यता विकास संबंधी गतिविधियों से संबंधित जागरूकता लाने के उद्देश्य से आंतरिक तौर पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं.

30.6 वर्ष 2013-14 के दौरान सी एस आर एवं सातत्यता विकास कार्यक्रमों के लिए कंपनी ने ₹ 2.88 करोड़ का खर्च किया।

31. सतर्कता :

31.1 दि. 28 अक्टूबर, 2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने निगम सम्मेलन कक्ष से प्रतिज्ञा दिलायी तथा निजाम शुगर फैक्टरी लिमिटेड के भूतपूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री के सत्यनारायण ने मुख्य अतिथि के रूप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया। 'सुशासन के प्रोत्साहन में सतर्कता का सकारात्मक योगदान' इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य रहा। मुख्य अतिथि ने सार्वजनिक जीवन के एक अंग के रूप में सुशासन के महत्व को रेखांकित किया।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री के सत्यनारायण, भूतपूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक, निजाम शुगर फैक्टरी के द्वारा किया गया। चित्र में बायीं ओर से देखे जा सकते हैं - श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन), श्री एम ईश्वर, मुख्य सतर्कता अधिकारी और श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त)।

31.2 सतर्कता सप्ताह के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कंचनबाग तथा भानूर के सभी प्रभाग एवं विभागों के साथ परस्पर चर्चा सत्र आयोजित किये गये। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बी डी एल में सतर्कता की भूमिका, विशेषकर निवारण सतर्कता पर अधिक बल दिया तथा प्रौद्योगिकी लेवेरेजिंग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ई-खरीदी के कार्यान्वयन तथा भर्ती नियमावली के संशोधन पर संतोष व्यक्त किया।

31.3 दि. 31 अक्टूबर, 2013 को भानूर इकाई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त श्री के वी नटराजन, आई ए एस ने किया। उन्होंने इस अवसर पर अतिथि व्याख्यान दिया। उन्होंने समाज में सुशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।



31.4 दि. 01 नवंबर, 2013 को आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह में श्री आर के शेखावत, निदेशक (सतर्कता / रक्षा उत्पादन विभाग) मुख्य अतिथि रहे. समाज में सु-शासन की आवश्यकता के बारे में उदाहरण उद्धृत करते हुए उन्होंने 'सुशासन का विकास - सतर्कता का सकारात्मक योगदान' विषय पर व्याख्यान दिया.

31.5 इस वर्ष के दौरान, प्रणाली परिवर्तन के लिए संस्तुतियों सहित अप्राधिकृत विदेश यात्राओं पर सी एम डी महोदय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि प्रबंधन द्वारा एक परिपत्र जारी करते हुए इस विषय पर बल दिया जाए कि सरकारी या व्यक्तिगत कार्य से विदेश जाने से पहले अनापत्ति प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए. ऐसा न होने की स्थिति में कंपनी नियमावली अनुसार संबंधित कार्यपालक / कार्यपालकेतर के प्रति अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

31.6 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ठेके पर नियुक्ति, नकद पुरस्कार, विदेश यात्रा, सुरक्षा आयाम, विभागीय पदोन्नतियाँ, स्थानांतरण इत्यादि के संबंध में प्रबंधन को प्रणाली परिवर्द्धन सुझाव दिये गये तथा प्रथम नियुक्ति पर स्थायीकरण, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति, पदत्याग इत्यादि के संबंध में सतर्कता निकासी पद्धतियाँ उपलब्ध करायी गयीं.

31.7 विक्रेता भुगतान के विवरण, निविदाओं के विवरण व स्थिति, अनुमोदित विक्रेताओं की सूची, सिंगल टेंडर व उच्च मूल्य वाले आदेश आदि के विवरण वेबसाइट में देना इत्यादि सुविधाओं से युक्त प्रौद्योगिकी लेवेरेज द्वारा कंपनी के सर्वांगीण लाभ के लिए पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी पहलू पहचाने गये. आई एम एम तथा कार्मिक मैनुअल भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये. कार्यपालकों की भर्ती तथा विक्रेता पंजीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा कार्यान्वित की गई है. ई-खरीदी तथा ई-रिवर्स ऑक्शन, कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति विवरण का कंप्यूटरीकरण कार्यान्वित किया गया. अनुमोदन के लिए विभिन्न प्रस्ताव / फाइल की स्थिति जानने के लिए 'फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एफ टी एस)' नामक एक नया साफ्टवेयर विकसित किया गया.

32. लेखापरीक्षा समिति :

बेहतर नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था. लेखा-कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान सात बैठकें बुलायी गयीं. गठन के विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-II) में बताये जाते हैं.

33. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन :

डी पी ई की दिशानिर्देशों की जरूरतों के अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है तथा लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया.



34. नैगमिक अभिशासन :

34.1 नैगमिक अभिशासन उत्तम प्रबंधन का निर्वहन, कानून का अनुपालन और नैतिक मूल्यों के पालन से संबंधित है जिससे कि कंपनी के प्रमुख उद्देश्य शेयर-धारकों की मूल्य-वृद्धि एवं सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके.

34.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है.

34.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में दि. 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक-II) और नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक-III), कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-IV) निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये हैं.

34.4 नैगमिक अभिशासन के त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं.

35. लेखापरीक्षक :

35.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स लक्ष्मीनिवास नीठ अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया.

36. स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा :

36.1 सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मई, 2010 के दौरान निगम अभिशासन-2010 पर निदेशानिर्देश जारी किये इसमें सी पी एस ई के निदेशक मंडल का गठन बताता है कि सार्वजनिक उद्यम बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, सरकारी निदेशक तथा गैर-सरकारी निदेशक शामिल होते हैं. भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में दि. 31 मार्च, 2014 तक तीन कार्यकारी निदेशक, दो सरकारी निदेशक एवं एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक मौजूद हैं. तथापि दि. 01 अप्रैल, 2014 को एक कार्यकारी निदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया और दि. 07 मार्च, 2014 तक दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का सेवा-काल पूरा होने की स्थिति में दि. 31 मार्च, 2014 तक ये रिक्तियाँ भरी जाएँगी.

36.2 कंपनी ने अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री ए के कपूर से दि. 31 मार्च, 2014 तक घोषणा-पत्र प्राप्त किया कि उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा 6 में उल्लिखित अनुसार स्वतंत्रता के मानदंड प्राप्त किये.

37. कंपनी की आपदा प्रबंधन नीति का अनुपालन :

37.1 सी पी एस ई-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर डी पी ई दिशानिर्देश में बताया गया है कि कंपनी का निदेशक मंडल निगम तथा परिचालन उद्देश्यों के साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली की एकता तथा मिलान सुनिश्चित करें. यह भी कहा गया है कि आपदा प्रबंधन को सामान्य संव्यवहार के अंग के रूप में लिया जाता है न कि समय-समय पर स्थापित एक अलग कार्यक्रम के रूप में.



37.2 उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुपालन में आपकी कंपनी द्वारा कंपनी की आपदा प्रबंधन नीति बनायी गयी जो कंपनी के सभी स्तर के लिए तथा सभी इकाइयों के लिए समान रूप से लागू होगी. आपदा प्रबंधन नीति के उद्देश्यों में से यह सुनिश्चित करना भी एक उद्देश्य है कि कंपनी के सभी वर्तमान तथा भविष्य आपदा क्षेत्रों को पहचान कर, उसका मूल्यांकन एवं गुणीबद्ध कर लगभग उन्हें मिटा दिया गया और उनका प्रबंधन भी किया गया.

37.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के अनुमोदनोपरांत आपदा प्रबंधन का विस्तृत प्रचार किया गया. आपदा की वर्तमान स्थिति तथा उन्हें पहचान कर उन्हें मिटाने के मानक तैयार करने तथा उन मानकों के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक प्रभाग द्वारा प्रभागीय स्तर की समितियाँ गठित की गईं. आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और हर छमाही में यह रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है.

38. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन कंपनी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की 31 मार्च, 2014 को समाप्त लेखाओं पर टिप्पणी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है.



आभार प्रदर्शन

39.1 सभी सरकारी एजेंसी विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, केंद्रीय सरकार के विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, भारत सरकार की गुणता आश्वासन एजेंसियाँ तथा सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिए निदेशक गण आभार व्यक्त करता है।

39.2 निदेशक, आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी को प्रगति पथ पर ले जाने तथा इस विकास को आने वाले वर्षों में बनाये रखने के लिए वर्ष के दौरान किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं।

39.3 निदेशक मंडल, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) श्री रविकांत को अपने सेवा-काल के दौरान दी गई अमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। दि. 07 मार्च, 2014 को सेवा-काल पूरा करने वाले अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक प्रो. आर के मिश्र तथा श्री के एल मेहरोत्रा के अपने सेवाकाल के दौरान कंपनी के विकास के लिए दिये सहयोग तथा सुझावों को निदेशक कंपनी के अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



अनुलग्नक-I

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत कर्मचारियों के विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम / कार्य-प्रकृति	आयु (वर्ष)	पूर्व अनुभव	शैक्षिक योग्यता	भर्ती तिथि	अनुभव (वर्ष)	सकल पारिश्रमिक (₹)
(ए) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वार्षिक ₹ 60,00,000/- से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण :								
(बी) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रति माह ₹ 5,00,000/- से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण :								
1.	श्री बालकृष्णन	महाप्रबंधक (निगम वाणिज्य)	60	- मेसर्स दि अल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लि. हैदराबाद (दि. 02 फरवरी 1981 से दि. 31 अगस्त, 1985)	बी ई (ऑनर्स)	02 सितंबर 1985	28 वर्ष	13,55,007
2.	श्री बी बी नायक	अपर महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.)	60	- डॉक लेबर बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, वैजाग (दि. 18 जुलाई 1973 से 31 मार्च 1979) - यू डी सी (01 अप्रैल 1979 से 03 मार्च 1981) - ड्रेडगिंग कार्पो. ऑफ इंडिया लि. वरिष्ठ सहायक (प्रशा.) (04 मार्च 1981 से 12 अप्रैल 1984)	बी.काम, डी पी एम, एल एल बी, एम बी ए (पी एम)	13 अप्रैल 1984	29 वर्ष	10,77,546
3.	श्री के गोपाल कृष्ण	वरिष्ठ प्रबंधक (का. एवं प्रशा) एवं प्रभारी - जी ए डी	60	- सी बी सी आई डी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एल डी सी (दि. 17 मार्च, 1976 से 03 सितंबर 1976 अपराहन तक)	एम ए (पीपीएम), एल एल ब डी पी एम	03 सितंबर 1976	36 वर्ष 7 महीने	7,60,511
4.	श्रीमती के बुज्जम्मा	सहायक प्रबंधक (का. एवं प्रशा.)	60	- शून्य -	इंटरमीडियट	29 मई 1974	39 वर्ष	5,09,196



प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना एवं विकास :

1.1 मिनी रत्न श्रेणी-1 की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना सन् 1970 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हुई थी। यह कंपनी टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण की एक अग्रणी कंपनी है। आज कंपनी नवीनतम पीढ़ी के ए टी जी एम, सतह से हवा में मार करने वाली अस्त्र प्रणाली, सामरिक अस्त्र, प्रमोचक, अंतर्जलास्त्र, डिक्ॉय एवं परीक्षण उपकरण के विनिर्माण के एक संगठित उद्यम के रूप में उभरी है तथा कंपनी कई अत्याधुनिक किस्म के अस्त्र भी बनाने जा रही है।

1.2 सहभागिकर्ताओं तथा डी आर डी ओ से प्रौद्योगिकी अंतरण द्वारा रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के अलावा आंतरिक अनुसंधान एवं विकास द्वारा नये उत्पाद भी यहाँ विकसित किये जाते हैं।

1.3 कंपनी दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण के लिए एक प्रमुख उत्पादन अभिकरण है। यह भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा प्रयुक्त सभी तरह की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भी प्रमुख उत्पादन अभिकरण है। कंपनी कुछ सैम प्रणालियों की प्रमुख एकीकर्ता भी है। कंपनी, सशस्त्र सेना द्वारा प्रयुक्त पुरानी मिसाइलों के पुनर्संज्जीकरण का कार्य भी करती है। आंतरिक अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित उत्पाद को व्यापक स्वीकृति मिल रही है तथा सशस्त्र सेना के सभी वर्गों में इसे अपनाया जा रहा है।

1.4 दि. 31 मार्च, 2014 तक के लगभग ₹ 19,000 करोड़ के कार्य-आदेश तथा अपेक्षित कार्य-आदेश को ध्यान में रखते हुए कंपनी बहुगुणित विकास के लिए तत्पर है। कंपनी, सैम तथा ए टी जी एम की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाने तथा कई जगहों पर नई विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने की योजना भी बना रही है। सिविल संरचना का निर्माण किया जा रहा है तथा संयंत्र व मशीनरी का आधुनिकीकरण / उन्नयन कार्य जारी है।

1.5 दीर्घावधि संव्यवहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा नई दिल्ली में कार्यालय के लिए जगह अधिगृहीत करने का कार्य जारी है। यह जगह राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विकसित की जा रही है।

1.6 चार दशक से भी अधिक समय से मिसाइल बनाने व मिसाइल एकीकरण के अनुभव ने बी डी एल को मिसाइल के पुनर्संज्जीकरण कार्य के लिए नोडल एजेंसी बना दिया।

1.7 आवश्यक भूमि खरीदी गयी और आवश्यक संरचना के साथ नयी उत्पादन व्यवस्था बनाने के लिए तैयार।

1.8 डी आर डी ओ तथा अन्य प्रयोगशालाओं के साथ पहुँच।

1.9 आधुनिक विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं से युक्त।

2. भविष्य दृष्टि :

भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आरंभ किये गये आधुनिकता कार्यक्रम के मुताबिक कंपनी की भविष्य दृष्टि उज्ज्वल दिखायी देती है। विश्राँड, एस आर सैम, एम आर सैम के अधिग्रहण कार्यक्रम के लिए बी डी एल को प्रमुख एकीकर्ता के रूप में पहचाना जा चुका है। बी डी एल अत्याधुनिक तीसरी पीढ़ी के ए टी जी एम के लिए भी प्रमुख एकीकर्ता है। ये परियोजनाएँ भारत सरकार के अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर जारी हैं। यद्यपि, रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी को नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इन स्थितियों के चलते कंपनी इस बात से भी अवगत है कि इसे उत्पादन एजेंसी की जगह एक प्रतिस्पर्धी बिडर में तबदील होना होगा।



3. जोखिम एवं चिंताएँ :

- अभिकल्पक द्वारा विकसित एकल स्रोत विक्रेता पर निर्भरता.
- कुछ परियोजनाओं के संदर्भ में लगातार ओ ई एम पर निर्भरता जारी रहना.
- संविदाओं के निष्कर्ष तक पहुँच कर आदेश प्राप्त करने में लगने वाली दीर्घावधि.
- सशस्त्र सेनाओं द्वारा अस्त्र-अधिग्रहण में लिया जाने वाला अधिक समय कंपनी के लागत नियंत्रण उपायों के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है.

4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी पर्याप्तता :

4.1 कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मानदंडों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखा परीक्षक फर्म को नियुक्त किया गया है. बी डी एल के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा अंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है.

5. परिचालन कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा :

5.1 वित्तीय मामलों में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है -

विवरण	₹ करोड़		% वृद्धि
	2012-13	2013-14	
बिक्री मूल्य	1074.71	1779.89	66%
उत्पादन मूल्य	1175.52	1804.49	54%
मूल्य वर्धन	395.95	578.48	46%
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन (₹ लाख)	12.00	17.71	48%
कराधान पूर्व लाभ	419.06	508.59	21%
कराधान बाद लाभ	288.40	345.51	20%

5.2 निम्नलिखित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है :

विवरण	₹ करोड़		% वृद्धि
	2012-13	2013-14	
सकल निरुद्ध	711.55	834.56	17%
मूलसहास	433.55	474.95	10%
निवल निरुद्ध	278.00	359.61	29%
कार्यगत पूँजी	614.58	811.68	32%
नियोजित पूँजी	892.59	1171.28	31%
निवल मालियत	953.08	1217.75	28%

6. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध फ्रंट, नियोजित कर्मचारियों सहित सामग्री का विकास

6.1.1 दि. 31 मार्च, 2014 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है -

विवरण	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	2165	754	2919
स्त्री	255	92	347
कुल	2420	846	3266
पिछले वर्ष	2474	826	3300

टिप्पणी : कुल कार्यपालकेतर 2420 में 184 अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं.

6.1.2 मानव संसाधन विकास ने बी डी एल में पेशेवर परियोजना प्रबंधक (पी एम पी) के विशिष्ट समुदाय को स्थापित करने की एक उत्कृष्ट परियोजना बनायी है. इस ओर कदम बढ़ाते हुए बी ई क्यू आई, बेंगलूर के सहयोग से पी एम आई, यू एस ए द्वारा तीस कार्यपालकों को प्रशिक्षित कर प्रमाणित करने की योजना बनाई गई है. इस तरह प्रशिक्षित तीस पी एम पी प्रमाणित व्यावसायिक क्रमवार ढंग से परियोजना प्रबंधन पर आंतरिक तौर पर कार्यपालकों को प्रशिक्षित करेंगे.



6.2 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारियों तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों व अन्य ट्रेड यूनियन और संस्थाओं का लगातार सहयोग व समर्थन मिलता रहा है. कार्यकारिणी समिति, संरक्षा समिति, कैण्टीन समिति, कार्यशाला एवं संयंत्र स्तरीय समितियों जैसी अन्य सांविधिक समितियों ने सभी स्तरों पर शॉप फ्लोर क्षेत्रों में कार्यस्थल अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दिया.

7. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास :

7.1 उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग द्वारा विकास प्रक्रिया को पर्यावरण हितैषी पद्धति से आगे बढ़ाने के लिए सतत् विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है. बी डी एल द्वारा अपनायी जा रही सतत् विकास कार्यान्वयन की कठोर पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षमता के विकास द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आरंभ किया गया है.

7.2 इसके अंतर्गत, इनकमिंग ओल्टेज को नजरअंदाज करते हुए निर्धारित 220 वी का वोल्टेज बनाये रखने के लिए वोल्टेज ऑप्टिमाइजर स्थापित किया गया है. परिणामस्वरूप एक ही प्रकार का इल्यूमिनेशन स्तर बनाये रखने की वजह से 10-15 प्रतिशत की ऊर्जा की बचत हुई. वर्तमान सीलिंग तथा पेडेस्ट्रल पंखे की जगह अधिकतर ऊर्जा के स्वल्प मर्क्युरी तथा लंबी कालावधि के बी स्टार रेटेड पंखे लगाए गए जिससे 32687 के डब्ल्यू एच की ऊर्जा की बचत हुई.

7.3 समुदाय नियंत्रण युक्त आक्यूपेंसी सेंसर प्रणाली की स्थापना से लगभग 20340 के डब्ल्यू एच की ऊर्जा की बचत होने की अपेक्षा है. अशक्त कंडेसर तथा पंप का नये ऊर्जावान से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त प्रोद्भूत बचत प्रति दिन 72 के डब्ल्यू एच है.

7.4 ए सी प्रणालियों के शीतलीकरण तथा वाटर सर्क्यूट के निर्माण के लिए स्थापित जल शुद्धीकरण प्रणाली की स्थापना से ए सी संयंत्र की क्षमता में वृद्धि हुई.

7.5 पर्यावरण परिरक्षण हमारे राष्ट्र द्वारा शताब्दी विकास लक्ष्य है. राष्ट्र के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बी डी एल लगातार वृक्षारोपण तथा वर्षा जल खेतीबारी जैसे विकासात्मक कदम उठा रहा है. इससे भू-जल के स्तर में भी बढोत्तरी हुई. सोलार स्ट्रीट लाइट जैसी ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने से कर्बन उत्सर्जन में भी कमी पायी गयी.

7.6 पर्यावरण सातत्यता को प्राप्त करने के लिए सातत्यता विकास कार्यक्रम एक निरंतर कार्यक्रम होने के कारण बी डी एल द्वारा इस सातत्यता को एक आदत बनाया जाएगा.

8. विदेशी मुद्रा संरक्षण :

कंपनी, अंतिम उत्पादों के संयोजन में देशीय घटकों को बढ़ावा देते हुए, ओ ई एम से घटक एवं उप-प्रणालियों का आयात घटाते हुए विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

9. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास :

9.1 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है. एक अच्छे नैगमिक नागरिक होने के नाते बी डी एल सामाजिक एवं कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठा के साथ महती भूमिका निभा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनरावास के लिए उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री राहत निधि के अंतर्गत ₹ 29 लाख का सहयोग दिया.



- 9.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान डी पी ई ने दिशानिर्देशों का संशोधन किया और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता विकास दोनों को एक ही श्रेणी के अंतर्गत सी एस आर एवं एस डी के शीर्षक से रखा गया जो दि. 01 अप्रैल 2013 से लागू हुआ. साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित को लेकर विशेष प्रावधान है - (i) बोर्ड की एक सी एस आर समिति गठित की जाए (ii) समिति यह सुनिश्चित करें कि कंपनी तीन वर्ष के अपने अवसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत सी एस आर गतिविधियों के लिए खर्च करें.
- 9.3 कंपनी वर्ष 2013-14 के दौरान सी एस आर गतिविधियों के अंतर्गत इन कार्यक्रमों के लिए खर्च करने लगी - (i) स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोज (ii) स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, (iii) शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, (iv) सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क बनाना और (v) शिक्षा की गुणता में विकास करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों को पाटी, किताबें आदि वितरित करना.
- 9.4 कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सातत्यता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत (i) वोल्टेज ऑप्टिमाइजर की स्थापना (ii) 250/400 वाट एम वी एच पी लैंप के स्थान पर ऊर्जा सशक्त लैंप की प्रतिस्थापना (iii) जल-शुद्धीकरण प्रणालियाँ (iv) कार्बन फुट प्रिंट का अध्ययन (v) वर्षा जल संचयन गर्तों का निर्माण आदि कार्यक्रम किये गये.
- 9.5 कर्मचारियों में कंपनी द्वारा की जाने वाली सी एस आर एवं सातत्यता विकास संबंधी गतिविधियों से संबंधित जागरूकता लाने के उद्देश्य से आंतरिक तौर पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं.
- 9.6 वर्ष 2013-14 के दौरान सी एस आर एवं सातत्यता विकास कार्यक्रमों के लिए कंपनी ने ₹ 2.88 करोड़ का खर्च किया.



नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

1.1 कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटन, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वधारकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है।

1.2 कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत पालन कर रही है।

1.3 कंपनी की गतिविधियों का सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के निरीक्षक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (डीडीपी) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है।

2. निदेशक मंडल :

2.1 निदेशकों का गठन एवं उनकी श्रेणी

2.1.1 समय-समय पर संशोधित संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान अनुसार बी डी एल के निदेशक-मंडल में न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 15 निदेशक होंगे। निदेशकों का क्वालिफिकेशन शेयर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2.1.2 भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक-मण्डल का पुनर्गठन किया गया था जिसमें नौ सदस्य हैं यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं तीन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक। इनके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार चार स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य यथा - वायुसेना के उपाध्यक्ष, नौसेना के उपाध्यक्ष, थल सेना के उप प्रमुख एवं डी आर डी ओ के मनोनीत सदस्य शामिल हैं।

2.1.3 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष से संबंधित बोर्ड के सदस्यों का विवरण निम्नवत है :

(अ) कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक

(i) श्री एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ii) श्री एस वी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त)

(iii) श्री वी उदय भास्कर
निदेशक (उत्पादन)

**(आ) अंशकालिक सरकारी निदेशक****(i) श्री पी के मिश्र**

संयुक्त सचिव (ई एस)
रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय

(ii) श्री आर जी विश्वनाथन

अपर वित्त सलाहकार (आर अण्ड डी)
डी आर डी ओ
संयुक्त सचिव
रक्षा मंत्रालय

(इ) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक**(i) श्री ए के कपूर**

उत्कृष्ट वैज्ञानिक
डी आर डी ओ
रक्षा मंत्रालय

2.1.4 दिनांक 31 मार्च, 2014 तक निदेशक मंडल की बैठक के वर्तमान स्थायी विशेष आमंत्रितों का विवरण इस प्रकार है -

(i) एअर मार्शल आर के शर्मा

पविसेमे, अविसेमे, विमे, विसेमे, एडीसी
वायु सेना उपाध्यक्ष

(ii) वाइस एडमिरल आर के धोवन

पविसेमे, अविसेमे, युसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष

(iii) लेफ्टनेंट जनरल नरेंद्र सिंह

सेमे, विसेमे
थल सेना के उप प्रमुख (पी अण्ड एस)

(iv) श्री एस सोम, वैज्ञानिक 'एच'

निदेशक, डी आर डी एल
हैदराबाद

2.2 निदेशक-मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक मंडल सदस्य अथवा अध्यक्ष हों.

2.2.1 वर्ष 2013-14 के दौरान दि. 18 जून, 2013; 02 अगस्त, 2013; 27 सितंबर, 2013; 22 नवंबर, 2013; 27 दिसंबर, 2013; 03 फरवरी, 2014 और 03 मार्च, 2014 को निदेशक-मंडल की कुल सात बैठकें संपन्न हुईं. निदेशक मंडल की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक है. निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है.

2.2.2 वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक-सदस्यता / समिति सदस्यता के विवरण इस प्रकार हैं -



निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें		30 सितंबर, 2013 को सपन्न विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशक-सदस्यता में सपन्न बैठकें	सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्यकाल में सपन्न निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक						
श्री एस एन मंथा, सी एम डी	7	7	हाँ	-	2	-
एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) निदेशक (उत्पादन) (31 जुलाई, 2013 तक)	1	1	-	-	-	-
श्री एसवी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त)	7	7	हाँ	-	-	3
श्री जी राघवेंद्र राव, निदेशक (तकनीकी) (दि. 30 नवंबर 2012 से 26 जून, 2013 तक)	1	1	-	-	-	2
श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 अगस्त, 2013 से)	6	6	हाँ	-	-	5
अंशकालिक सरकारी निदेशक						
श्री रविकांत श्रीकांत, संयुक्त सचिव (एम एस) (दि. 10 सितंबर, 2013 तक)	2	1	-	-	-	1
श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (ई एस) (दि. 11 सितंबर, 2013 से)	5	4	-	-	-	2
श्री आर जी विश्वनाथन, अतिरिक्त वित्त सलाहकार (डी आर डी ओ) एवं संयुक्त सचिव	7	7	-	1	-	1
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक						
प्रो. आर के मिश्र (दि. 07 मार्च, 2014 तक)	7	7	हाँ	-	2	4
श्री के एल मेहरोत्रा (दि. 07 मार्च, 2014 तक)	7	6	हाँ	-	3	4
श्री ए के कपूर (दि. 07 मार्च, 2014 तक)	7	7	हाँ	-	-	4
श्री ए के कपूर (दि. 08 मार्च, 2014 से)	-	-	-	-	3	-

2.2.3 अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले पाने की स्थिति में निदेशकों को अनुपस्थिति अवकाश दिया गया.

2.2.4 इस संदर्भ में डी पी ई दिशानिर्देशानुसार कोई भी निदेशक अपने कार्यरत सभी कंपनियों में दस से अधिक समितियों का सदस्य या किन्हीं पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है.



2.3 नये निदेशकों की नियुक्ति :

2.3.1 संस्था के अंतर्नियमों के तहत सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. वर्ष 2013-14 के दौरान श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग को श्री रविकांत के स्थान पर सरकारी निदेशक के रूप में, श्री वी उदय भास्कर को निदेशक (उत्पादन) के रूप में और एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) को निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के संबंध में तीन राष्ट्रपति आदेश प्राप्त किए गए.

2.3.2 कंपनी ने वर्ष के दौरान दि. 30 दिसंबर, 2009 से श्री एम ईश्वर को प्रतिनियुक्ति के तौर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए राष्ट्रपति आदेश प्राप्त किया.

2.3.3 श्री वी उदय भास्कर :

श्री वी उदय भास्कर ने दि. 01 अगस्त, 2013 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक (उत्पादन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. इन्होंने हारकोर्ट बट्लर टेक्नॉलॉजी इंस्टीट्यूट, कानपुर से प्लास्टिक टेक्नॉलॉजी एवं केमीकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की उपाधि प्राप्त की. पॉलीमर साइंस एवं टेक्नॉलॉजी में आई आई टी, दिल्ली से एम.टेक की उपाधि प्राप्त की.

श्री वी उदय भास्कर ने वर्ष 1990 के दौरान बी डी एल में कार्यभार ग्रहण किया और इससे पूर्व उन्होंने एक निजी संस्था में लगभग छः वर्ष तक अपनी सेवाएँ दीं. इन्हें इनवार, कांकूर्स, कांकूर्स-एम का देशीकरण, मिसाइल-संयोजन, एकीकरण तथा परीक्षण, सामग्री प्रबंधन, विक्रेता विकास तथा योजना जैसे मिसाइल उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 23 से भी अधिक वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है. इन्होंने कांकूर्स-एम मिसाइल के लिए उत्पादन व्यवस्था की स्थापना तथा कांकूर्स, कांकूर्स-एम, लाँचर का 90 प्रतिशत से भी अधिक देशीकरण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

श्री वी उदय भास्कर, इनवार मिसाइल के विस्फोटक चार्जर के देशीकरण के लिए टी-72 फिक्सड फायरिंग स्टैंड के सहारे बैलेस्टिक इवेल्युएशन पद्धति स्थापित करने दिये गए उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2010-11 के गौरवपूर्ण 'रक्षा मंत्री नवोन्मेष पुरस्कार' से सम्मानित हैं.

अकादमिक तथा मिसाइल टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकास में इनकी गहरी रुचि है. इन्होंने कई फोरम में तकनीकी शोधपरक आलेख प्रस्तुत किये तथा मूल्य आधारित आलेख भी प्रकाशित किये.

2.3.4 श्री पी के मिश्र :

श्री पी के मिश्र 1984 बैच के आई ए अण्ड ए एस के अधिकारी हैं. इन्हें विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है और युनाइटेड नेशनल एजेंसियों के काम से संबंधित कई मिशन के ये सदस्य रहे. ये उडीशा सरकार के विशेष सचिव रहे और उडीशा के पाँवर सेक्टर रिफॉर्म के साथ जुड़े रहे. साथ ही, उडीशा सरकार के वित्त विभाग के विशेष सचिव रहे और इन्हें उडीशा राज्य में वैट आरंभ करने का गौरव प्राप्त हुआ. इन्होंने उडीशा तथा दिल्ली में महालेखाकार की जिम्मेदारियाँ निभायीं. रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अपर वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ये सी अण्ड ए जी कार्यालय में सार्वजनिक उपक्रम की ऑडिट के प्रधान निदेशक रहे.

यह कंपनी के लिए गौरव की बात है कि श्री पी के मिश्र को 27 अप्रैल, 2010 से 09 दिसंबर, 2012 तक तथा फिर से 11 सितंबर, 2013 से अब तक दो बार बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.



2.3.5 एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे :

एअर वाइस मार्शल एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) दि. 1 जनवरी, 1979 को भारतीय वायु सेना के एअरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) स्ट्रीम में कमीशन हुए थे. इन्होंने इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई की और इनका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा. शिक्षा के साथ-साथ ये अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (एफआई ई टी ई) के सदस्य भी हैं. इन्होंने भारतीय वायु सेना में अपने 35 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर उत्तरदायित्व का निर्वाह किया. इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राडार यूनिट के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में इस उपकरण में सुधार लाकर इसकी परिचालन दक्षता बढ़ाने का कार्य किया. परिणामस्वरूप, वायु रक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार आया जिसके लिए इन्हें दि. 15 अगस्त, 1988 को वायु सेना अध्यक्ष के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ. वायु सेना के इस अधिकारी को 2003 में फ्रेंच द्वारा निर्मित हाई पॉवर राडार के उन्नयन की जिम्मेदारी दी गई. इसे भी इन्होंने रिकॉर्ड समय में उत्कृष्ट तरीके से पूर्ण किया. इनके उत्कृष्ट योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा में इन्हें दि. 26 जनवरी, 2006 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'विशिष्ट सेवा मेडल' से सम्मानित किया गया.

इन्होंने सहायक वायु सेना अध्यक्ष (सिगनल्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी), कमांडेंट ए डी जी ई एस मेंटेनेंस स्टैंडर्ड इस्टाब्लिशमेंट (ए एम एस ई) तथा मास्टर कंट्रोल सेंटर के रूप में नियुक्त होकर सभी क्षेत्रों में उत्तम कार्यनिष्पादन किया. मुख्यालय में इनके सहायक वायु सेना अध्यक्ष (सिगनल्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में रहते हुए ही पैन इंडिया गिगाबैट कम्यूनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट ए एफ एन आई टी की संकल्पना ने आरंभ से अंतिम रूप लिया जिसे दि. 14 सितंबर 2010 को रक्षा मंत्री द्वारा देश को समर्पित किया गया. इन्हीं के कार्यकाल के दौरान वायु सेना के लिए एफ एन आई टी आधारित डब्ल्यू सी डी एम ए 3जी मोबाइल की योजना तैयार हुई और अमल में आयी. सहायक वायु सेना अध्यक्ष (सिगनल्स) रहते हुए इसकी आखरी जिम्मेदारी के रूप में प्रत्येक चालित वायु सेना योद्धा को डब्ल्यू सी डी एम ए परियोजना से जोड़ने का कार्य पूरा हुआ. साथ ही, एफ सी ई एल कम्यूनिकेटर आरंभ किया गया. इन्हीं के भरसक प्रयत्नों से भारतीय वायु सेना एक वास्तविक नेट केंद्रित फोर्स बन पायी.

एस डब्ल्यू ए सी मुख्यालय के वरिष्ठ अनुरक्षण स्टाफ अधिकारी के रूप में रहते हुए इन्होंने एअर क्राफ्ट तथा ग्राउंड इक्विपमेंट की ऑपरेशनल एक्स्प्लॉइटेशन के लिए उपलब्धता में सुधार लाने का काम किया. ये, वायु सेना के युद्धाभ्यास 'आयरन फिस्ट-13' की योजना समूह के भी हिस्से रहे जो राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित विदेशी राजनयिक सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति का गवाह बना और इन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की. इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायु सेना ने परिधि केंद्रित वातावरण के भीतर अपनी आक्रमण क्षमता दर्शायी थी. ऐसी ही विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें 26 जनवरी, 2013 को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया.

एअर वाइस मार्शल एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) ने दि. 01 अप्रैल, 2014 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया.



3. निदेशक-मंडल की समितियाँ :

3.1 बी डी एल में दि. 31 मार्च, 2014 तक निदेशक मंडल की पाँच समितियाँ कार्यरत हैं -

- (i) लेखापरीक्षा समिति
- (ii) पारिश्रमिक समिति
- (iii) खरीद समिति
- (iv) मानव संसाधन समिति
- (v) कंपनी में सी एस आर योजना एवं सतत विकास के अनुवीक्षण के लिए समिति

3.2 इससे पूर्व कंपनी की सी एस आर नीति तथा सतत विकास के अनुवीक्षण के लिए अलग-अलग समितियाँ गठित की गई थीं. सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने दि. 12 अप्रैल, 2013 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 15 (7)/2012-डीपीई (जीएम)-जीएल-104 के तहत दिशानिर्देश का संशोधन किया है और संशोधित नये दिशा-निर्देशानुसार दि. 01 अप्रैल, 2013 से कंपनी की सी एस आर योजना तथा सातत्यता विकास के अनुवीक्षण के लिए एक ही समिति के गठन की आवश्यकता है.

3.3 इन समितियों की बैठकों के तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठकों में इनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं. बहुमत/सर्वसम्मति के आधार पर समितियों द्वारा निर्णय लिये जाते हैं.

4. लेखापरीक्षा समिति :

4.1 विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 डी पी ई द्वारा दि. 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशानिर्देश अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, अधिकार, जानकारी की समीक्षा क्षेत्र इत्यादि का संशोधन किया गया. अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :

- i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वासनीय हैं कंपनी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होनेवाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन.
- ii) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण के संबंध में निदेशक-मंडल को सिफारिश करना.
- iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अन्य प्रकार की प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन.
- iv) निदेशक-मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना.
- v) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना.
- vi) आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों से चर्चा कर कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना.



vii) लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना तथा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा.

viii) नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा की गई लेखापरीक्षा पर दिए गए निरीक्षणों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना.

4.1.2 कंपनी के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा गया है जो कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं. इनका कार्यकाल दि. 31 मार्च 2014 को समाप्त हो चुका है. इन सनदी लेखाकार फर्म द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई.

4.1.3 कंपनी ने वर्ष 2014 से आंतरिक लेखापरीक्षा संपन्न करने के लिए पहले के फर्म के स्थान पर चार नये सनदी लेखापरीक्षा फर्मों को नियुक्त किया.

4.2 गठन, अध्यक्ष व सदस्यों के नाम

4.2.1 दि. 07 मार्च 2014 तक लेखा-समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य रहे -

1. प्रो. आर के मिश्र अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	-	अध्यक्ष	1. श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	-	अध्यक्ष
2. श्री के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	-	सदस्य	2. श्री पी के मिश्र संयुक्त सचिव (ई एस) रक्षा उत्पादन विभाग	-	सदस्य
3. श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	-	सदस्य	3. श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन)	-	सदस्य

दि. 07 मार्च, 2014 को प्रो. आर के मिश्र एवं श्री के एल मेहरोत्रा के कार्यकाल की समाप्ति के क्रम में दि. 03 मार्च, 2014 को संपन्न निदेश मंडल की बैठक में दि. 08 मार्च, 2014 से लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जो निम्न प्रकार है -

4.2.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में कार्यकारी निदेशक स्थायी आमंत्रित के रूप में बुलाए जाते हैं तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाले बाह्य सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर उपस्थित हो सकते हैं. कंपनी सचिव इस लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं.

4.3 वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें व इनमें उपस्थिति :

4.3.1 रक्षा मंत्रालय द्वारा दि. 29 अक्टूबर, 2012 को जारी परिपत्र संख्या 8 (94)/2012-डी के अनुसार डी पी एस यू मंडल द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हर दो महीने में एक बार बुलायी जानी होंगी. उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन में वर्ष के दौरान दि. 27 अप्रैल, 2013; 17 जून, 2013; 31 जुलाई 2013; 20 सितंबर 2013; 15 नवंबर 2013; 31 जनवरी 2014 और 04 मार्च, 2014 को कुल सात बैठकें सुपन्न हुईं.



क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	प्रो. आर के मिश्र	7	7
2.	श्री के एल मेहरोत्रा	7	7
3.	श्री ए के कपूर	7	7

5. पारिश्रमिक समिति :

5.1 निदेशक मंडल ने दि. 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (70)/08/डीपीई (डब्ल्यू सी) के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार दि. 30 जनवरी, 2009 को संपन्न अपनी बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया और एक स्वतंत्र निदेशक इसके अध्यक्ष नामित किए गए. कार्यपालक वर्ग के कर्मचारियों में वितरित करने के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्ती वेतन पूल और नीति का निर्धारण करना, वार्षिक पी आर पी तथा उचित कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली संस्तुत करना इत्यादि इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे.

5.2 नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा दि. 27 सितंबर, 2013 को पुनर्गठित पिछली समिति के अनुसार समय-समय पर पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाता है. दि. 31 मार्च, 2014 तक समिति की रचना निम्नवत है :

1. श्री के एल मेहरोत्रा - अध्यक्ष
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
2. प्रो. आर के मिश्र - सदस्य
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
3. श्री ए के कपूर - सदस्य
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
4. कंपनी के का. एवं प्रशा. प्रमुख - सचिव

निदेशक (वित्त) पारिश्रमिक समिति की बैठकों के स्थायी आमंत्रित हैं.

5.2.1 दि. 07 मार्च, 2014 को प्रो. आर के मिश्र एवं श्री के एल मेहरोत्रा के कार्यकाल की समाप्ति के क्रम में दि. 03 मार्च, 2014 को निदेशक मंडल की बैठक में दि. 08 मार्च, 2014 से लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया -

1. श्री ए के कपूर - अध्यक्ष
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
2. श्री पी के मिश्र - सदस्य
संयुक्त सचिव (ई एस)
रक्षा उत्पादन विभाग
3. श्री आर जी विश्वनाथन - सदस्य
अपर वित्त सलाहकार (आर अण्ड डी)
(डी आर डी ओ) एवं
संयुक्त सचिव
4. कंपनी के का. एवं प्रशा. प्रमुख - सचिव

निदेशक (वित्त) पारिश्रमिक समिति की बैठकों के स्थायी आमंत्रित हैं.



5.3 वर्ष 2013-14 के दौरान दि. 02 अगस्त, 2013 एवं 03 फरवरी, 2014 को पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं। इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	श्री के एल मेहरोत्रा	2	2
2.	प्रो. आर के मिश्र	2	2
3.	श्री ए के कपूर	2	2

5.4 पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :

5.4.1 केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इनको देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी सरकारी पत्र में उनकी नियुक्ति से संबंधित निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूलवेतन, वेतनमान, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो अन्य निबंधन एवं शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी।

5.4.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक इनमें से सबसे पहले आने वाली अवधि तक नियुक्ति की जाती है। आयु, कार्यनिष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले आए उस तिथि तक सेवाएँ विस्तारित की जा सकती हैं। अंशकालिक सरकारी निदेशक सामान्यतः प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होता है। अंशकालिक गैर-अधिशासी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है।

5.4.3 वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के विवरण इस प्रकार हैं -

(₹ में)

निदेशक का नाम सर्वश्री	बकाया सहित वेतन * (₹)	लाभ * (बी)	भविष्य-निधि, पेंशन तथा ग्रेजुटी में कंपनी का उपदान	प्रोत्साहन राशि * (सी)	पट्टा आवास	कुल
श्री एस एन मंथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	16,91,310	4,17,156	भ.नि. - 2,02,956 पेंशन -	0	4,58,148	27,69,570
एवीएम पी के श्रीवास्तव विसेमे (नि.) निदेशक (उत्पादन) (दि. 31 जुलाई, 2013 तक)	5,48,311	3,59,393	भ.नि. - 65,485 पेंशन -	0	1,12,500	10,85,599
एसवी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	15,09,525	3,69,672	भ.नि. - 1,79,913 पेंशन -	0	4,50,000	25,09,410
जी राघवेंद्र राव, निदेशक (तकनीकी) (दि. 26 जून, 2014 तक)	2,67,870	1,15,343	भ.नि. - 27,284 पेंशन -	0	0	4,10,497
वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 अगस्त, 2013 से)	11,28,810	2,91,042	भ.नि. - 1,14,149 पेंशन - 4328	0	0	15,34,001



- * (ए) वर्ष 2013-14 के वेतन में मूल वेतन, महँगाई भत्ता, एच आर ए, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन-वृद्धि शामिल हैं।
* (बी) लाभ के अंतर्गत प्रावकाश नगदीकरण एवं अनुलाभ शामिल हैं।

5.4.4 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (गैर अधिशासी निदेशक) को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

5.4.5 निदेशक मंडल ने दि. 22 नवंबर, 2013 को संपन्न अपनी बैठक में दि. 22 नवंबर, 2013 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) को कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क ₹ 20,000 तक बढ़ाया है और बोर्ड स्तर की समितियों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क ₹ 10,000 ही रखा गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये शुल्क का विवरण इस प्रकार है -

(प्रतिभागिता शुल्क ₹ में)

नाम	कुल
1. श्री के एल मेहरोत्रा	3,00,000
2. प्रो. आर के मिश्र	2,80,000
3. श्री ए के कपूर	2,30,000

6. खरीद समिति :

6.1 सी एम डी के अधिकारों से परे मंडल द्वारा दि. 29 जुलाई, 2011 को नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। प्रत्येक संदर्भ में अधिकतम ₹ 25 करोड़ की मंजूरी दी जा सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे किंतु बोर्ड के अधिकार अनुसार खरीदी प्रस्ताव का भी अनुमोदन दिया जा सकता है।

6.2 31 मार्च, 2014 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

- | | | | |
|---|---------|---|-------|
| 1. श्री एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | अध्यक्ष | 4. ए वी एम पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.)
निदेशक (उत्पादन)
(दि. 31 जुलाई, 2013 तक) | सदस्य |
| 2. श्री के एल मेहरोत्रा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(दि. 07 मार्च, 2014 तक) | सदस्य | 5. श्री एसवी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| 3. प्रो. आर के मिश्र
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(दि. 07 मार्च, 2014 तक) | सदस्य | 6. श्री जी राघवेंद्र राव
निदेशक (तकनीकी)
(दि. 26 जून, 2013 तक) | सदस्य |
| | | 7. श्री वी उदय भास्कर
निदेशक (उत्पादन)
(दि. 01 अगस्त, 2013 से) | सदस्य |



6.3 कंपनी सचिव इस समिति के सदस्य होंगे और निगम वाणिज्य विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किये जाएंगे.

6.4 वर्ष 2013-14 के दौरान दि. 20 सितंबर, 2013, 30 नवंबर, 2013 और 03 फरवरी 2014 को समिति की तीन बैठकें संपन्न हुईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	श्री एस एन मंथा	3	3
2.	श्री के एल मेहरोत्रा	3	3
3.	प्रो. आर के मिश्र	3	3
4.	ए वी एम पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.)	-	-
5.	श्री एसवी सुब्बा राव	3	3
6.	श्री जी राघवेंद्र राव	-	-
7.	श्री वी उदय भास्कर	3	3

7. मानव संसाधन समिति :

7.1 मानव संसाधन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा तथा उनके अनुमोदन के लिए दि. 29 जुलाई, 2011 को निदेशक मंडल द्वारा यह समिति गठित की गई.

7.2 निदेशक मंडल द्वारा दि. 27 सितंबर, 2013 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया. 31 मार्च, 2014 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

1. श्री एस एन मंथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	5. श्री एसवी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	सदस्य
2. श्री के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (दि. 07 मार्च, 2014 तक)	सदस्य	6. श्री जी राघवेंद्र राव निदेशक (तकनीकी) (दि. 26 जून, 2013 तक)	सदस्य
3. प्रो. आर के मिश्र अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (दि. 07 मार्च, 2014 तक)	सदस्य	7. श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 अगस्त, 2013 से)	सदस्य
4. ए वी एम पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) निदेशक (उत्पादन) (दि. 31 जुलाई, 2013 तक)	सदस्य		

7.3 कंपनी सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे और का. एवं प्रशा. विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किये जाएंगे.



8. कंपनी की सी एस आर योजना एवं सतत विकास के अनुवीक्षण के लिए समिति :

8.1 सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने दि. 12 अप्रैल, 2013 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 15 (7)/2012-डीपीई (जीएम)-जीएल-104 के तहत दिशानिर्देश का संशोधन किया है और संशोधित नये दिशा-निर्देशानुसार दि. 01 अप्रैल, 2013 से कंपनी की सी एस आर तथा सातत्यता विकास के अनुवीक्षण के लिए एक ही समिति के गठन की आवश्यकता है.

8.2 दि. 07 मार्च, 2014 तक पुनर्गठित समिति की रचना निम्नवत है -

1. प्रो. आर के मिश्र अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	4. श्री एसवी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	सदस्य
2. श्री के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य	5. श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 अगस्त, 2013 से)	सदस्य
3. ए वी एम पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) निदेशक (उत्पादन) (दि. 31 जुलाई, 2013 तक)	सदस्य		

8.2.1 कंपनी द्वारा गठित बोर्ड स्तर से निचली समिति के अध्यक्ष, कंपनी की सी एस आर नीति एवं सतत विकास समिति के सदस्य सचिव होंगे.

8.2.2 दि. 07 मार्च, 2014 को प्रो. आर के मिश्र एवं श्री के एल मेहरोत्रा के कार्यकाल की समाप्ति के क्रम में दि. 03 मार्च, 2014 को संपन्न अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने दि. 08 मार्च, 2014 से सी एस आर योजना एवं सतत विकास योजना समिति का पुनर्गठन किया गया जो निम्नवत् है :

1. श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2. श्री एसवी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	सदस्य
3. श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन)	सदस्य

8.2.3 कंपनी द्वारा गठित बोर्ड स्तर से निचली समिति के अध्यक्ष, कंपनी की सी एस आर नीति एवं सतत विकास समिति के सदस्य सचिव होंगे.



8.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दि. 31 जुलाई, 2013; 15 नवंबर 2013; 03 फरवरी, 2014 और 03 मार्च 2014 को समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
प्रो. आर के मिश्र अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
श्री के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
ए वी एम पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) निदेशक (उत्पादन) (दि. 31 जुलाई, 2013 तक)	1	-
श्री एसवी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	4	4
श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 अगस्त, 2013 से)	3	3

9. निदेशक मंडल स्तर की समिति :

9.1 निदेशक मंडल ने दि. 27 सितंबर, 2013 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड स्तर की समिति का गठन किया. (i) कंपनी की आपदा प्रबंधन नीति (ii) संशोधित शक्तियों का प्रत्यायोजन (iii) कंपनी की कार्य मैनुअल की समीक्षा एवं सिफारिशोपरांत बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया. दि. 03 मार्च, 2014 तक समिति की रचना निम्नवत है -

1. के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	3. श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
2. प्रो. आर के मिश्र अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य	4. श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन)	सदस्य

9.2 वर्ष 2013-14 के दौरान दि. 15 नवंबर, 2013; 30 नवंबर, 2013 और 07 जनवरी, 2014 को इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
श्री के एल मेहरोत्रा	3	3
प्रो. आर के मिश्र	3	3
श्री ए के कपूर	3	3
श्री वी उदय भास्कर	3	3

निदेशक मंडल ने दि. 03 मार्च, 2014 को संपन्न अपनी बैठक में समिति को दिये गये कार्य की समाप्ति पर इस समिति के विलयन का अनुमोदन दिया.

**10. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की विशेष बैठक :**

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दि. 28 दिसंबर, 2012 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 16 (4)/2012-जीएम के तहत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के लिए आदर्शात्मक भूमिका एवं दायित्वों के संबंध में पत्र जारी किया जिसके अनुसार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक को कार्यकारी एवं सरकारी निदेशक तथा कंपनी के प्रबंधन सदस्यों की अनुपस्थिति के बावजूद वर्ष के दौरान कम से कम एक बैठक में भाग लेना अनिवार्य है. तदनुसार, प्रो. आर के मिश्र की अध्यक्षता में दि. 04 मार्च, 2014 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों ने बैठक आयोजित की जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहे.

11. आम-सभाएँ :

11.1 कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुईं. विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार हैं -

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की स्थिति	बैठक का समय	बैठक का स्थान
41	2010-11	19 Sep 2011	17:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग, हैदराबाद
42	2011-12	24 Sep 2012	15:30 बजे	
43	2012-13	30 Sep 2013	10:30 बजे	

11.2 विशेष संकल्पों की सूची :

पिछली तीन आम सभाओं में किसी भी प्रकार के विशेष संकल्प नहीं लिये गये.

12. प्रकटन :

12.1 वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जो कंपनी के हित में न हो. निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं रखते जो निदेशक मंडल के निर्णयानुसार फैसला लेने में निदेशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं.

12.2 सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश से संबद्ध किसी विषय को लेकर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा और न ही कोई आक्षेप लगाया गया.

12.3 व्हिज़िल ब्लोअर मैकानिज़्म :

डी पी ई द्वारा जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशानिर्देश 2010 का अनुपालन किया गया है. कंपनी की व्हिज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया.



12.4 कंपनी वर्गवार रिपोर्टिंग को छोड़कर डी पी ई द्वारा नैगमिक प्रशासन के संबंध में जारी सी पी एस ई 2010 के सभी दिशानिर्देश का अनुपालन कर रही है. कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान आपदा प्रबंधन नीति के संबंध में निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया. संव्यवहार की प्रकृति एवं उद्घाटित करने में उसकी संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध ए एस - 17 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा-मानदंडों का पालन किया जा रहा है. तथापि, इसे उद्घाटित न करने पर कंपनी की लेखाओं पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा. संप्रति बोर्ड में सदस्यों की संख्या सात है जबकि मंजूर की गई संख्या नौ है. दि. 07 मार्च, 2014 को दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का सेवाकाल पूरा होने की वजह से दो सदस्यों के स्थान रिक्त हैं जिनकी भर्ती अभी की जानी शेष है.

12.5 प्राप्त राष्ट्रपति निर्देश का विवरण तथा उनका कार्यान्वयन : राष्ट्रपति निर्देश, डी पी ई / मंत्रालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन का कार्यान्वयन किया जा रहा है. कंपनी के बोर्ड स्तर एवं बोर्ड के निम्न स्तर के कार्यपालकों के वेतन संशोधन के संबंध में डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान करते हुए दि. 27 अप्रैल, 09 का संख्यक एच-62030/1/0227-डी (बी डी एल) राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त हुआ. तदनुसार, राष्ट्रपति निर्देश का अनुपालन करते हुए कंपनी ने वेतन संशोधन कार्यान्वित किया है.

12.6 व्यय का कोई भी ऐसा मद लेखा-बही के खर्चों में नहीं दिखाया गया जो संव्यवहार के लिए नहीं रखा गया हो.

12.7 निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया.

12.8 प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण कुल व्यय या वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए जा रहे हैं -

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	600.46	499.51
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	11.64	11.62
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	1.94%	2.33%

13. संप्रेषण के माध्यम :

अपने शेयरधारकों, निदेशकों तथा अन्य स्ट्रेकधारकों के साथ कंपनी की संप्रेषण प्रणाली में पत्राचार और कंपनी की अधिकाधिक वेबसाइट (<http://bdl.ap.nic.in>) के साथ-साथ सभी संप्रेषण चैनलों के माध्यम शामिल हैं. कंपनी वेबसाइट में कंपनी का परिचय, मील के पत्थर, मिशन एवं भविष्य-दृष्टि, उद्देश्य, उपलब्धियाँ, बी डी एल का प्रबंधन, वार्षिक विवरण की सूचना, उत्पाद, निविदाओं के विवरण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विवरण, कैरियर, ई-खरीदी, निविदाएँ इत्यादि संबंधी बी डी एल की जानकारी उपलब्ध होती है. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबंधी जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है.



14. कंपनी असफल वित्तीय विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.
15. मौजूदा परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूपायन किया जा रहा है.

16. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता :

16.1 डी पी ई द्वारा जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 की सुझाव के अनुसार कंपनी द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी गयी है.

16.2 यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी गयी है. निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2013-14 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया.

16.3 इस संबंधी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत है :

17. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा :

डी पी ई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005-जीएम, दि. 14 मई, 2010 में उल्लिखित सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देशन के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि निदेशक-मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन दि. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण एवं नैतिक संहिता के अनुपालन पर बल देते हैं.'

कृते - भारत डायनामिक्स लिमिटेड

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



वाई रमेश, एम कॉम, एल एल बी, सी ए आई आई बी, ए सी एस
कार्यरत कंपनी सचिव
मोबाइल : 9849045347



नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्य-गण
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद.

मैंने, सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. मेरा यह परीक्षण उपरोक्त दिशा-निर्देश में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा है और न ही विचाराभिव्यक्ति.

मेरी राय में तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी 'सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010' के तहत कंपनी ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए संव्यवहार नीति आचरण संहिता अपनायी है जिसके तहत यह निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की जिम्मेदारी है कि आचरण संहिता से स्वयं अवगत हों और उसके मानकों का अनुपालन दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करे.


मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 'सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010' के तहत कंपनी में नैगमिक अभिशासन के सभी दिशा-निर्देश का अनुपालन किया गया है.

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 02 सितंबर 2014


हस्ता./-
(वाई रमेश)
कार्यरत कंपनी सचिव
सी पी संख्या : 7939




बिक्री




उत्पादन मूल्य




प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि




मूल्य वर्द्धन



निवल मालियत



मानव-शक्ति





लेखा-नीति

1. वित्तीय विवरण तैयार करने के मूल आधार :

जब तक कि अन्यथा उद्धृत न हो, वित्तीय विवरणिकाएँ प्रोद्भूत आधार तथा परंपरागत लागत पर कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा कार्य-सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाती है।

2. स्थायी परिसंपत्तियाँ :

2.1 कंपनी के लेखाओं में भूमि का पूँजीकरण कंपनी लागत पर किया गया है। भूमि समतल बनाने, साफ कराने तथा ग्रेडिंग जैसे भूमि के विकास का पूँजीकरण, भवनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि के अनुपात में भवन लागत पर किया है तथा बाकी विकास-शीर्ष का पूँजीकरण भूमि लागत पर किया है। किसी भवन के निर्माण से संबंध न रखनेवाले लैंडस्केपिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हुआ विकास-शीर्ष भूमि लागत माना जाता है।

2.2 बाहरी अभिकरणों की संपूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता / सहायिकी से अर्जित स्थायी परिसंपत्ति कंपनी के खातों में निवल लागत पर लेखांकित की गयी है। सरकार से बिना किसी लागत के हस्तांतरित संपत्ति सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.3 संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण, फिक्चर्स, कार्यालयीन फर्नीचर तथा उपकरणों की मर्दे जहाँ प्रत्येक मद का मूल्य 5,000/- रुपये या उससे कम है, वहाँ खरीद के वर्ष में संपूर्ण मूल्य-ह्रास किया जाता है। सिविल निर्माण के छोटे कार्यों की लागत जो ₹ 50,000/- या उससे कम है, ऐसे कार्य, आंतरिक विभाजक दीवारें जिनमें हर कार्य पर ₹ 50,000/- रुपये से अधिक हो उनका मूल्य-ह्रास 5 वर्ष की अवधि या संबद्ध परिसर के पट्टे की अवधि, इनमें से कम वाली अवधि में किया जाता है।

2.4 सामग्री की मर्दे जो अनुपयुक्त होने से उपयोग में नहीं लायी जातीं उनका जब तक निपटान नहीं होता तब तक लेखाओं में परिशुद्ध लेखा-मूल्य और परिशुद्ध प्रापणीय मूल्य, इनमें से कम हो उस स्तर पर लेखांकित रखा जाता है। निपटान के बाद उन्हें लेखाओं से हटा दिया जाता है। संपत्ति विक्रय पर मूल लागत से जो अधिक राशि प्राप्त होती है उसे लाभ-हानि विवरण में जमा किया जाता है।

2.5 मशीनरी तथा उपकरणों की स्थिति के पुनःअनुकूलन, स्थायी-पुनर्निर्धारण, पुनरारेखन पर होने वाला व्यय पूँजीकृत नहीं किया गया है।

2.6 संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरणों के साथ प्राप्त अतिरिक्त पूर्जों की लागत पूँजीकृत की जाती है तथा इसका मूल्य ह्रास संयंत्र और मशीनरी के मूल्य-ह्रास की भाँति ही किया जाता है।

2.7 पट्टाधारी भूमि के लिए प्रदत्त बीमा-किश्त का पहले पूँजीकरण किया जाता है तथा पट्टे की अवधि या दस साल की अवधि जो भी कम हो, उसके प्रति अपाकरण किया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियाँ :

3.1 सामान्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय, व्यय के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है। कंपनी द्वारा वित्तपोषित विकास संबंधी व्यय तथा जिन विशिष्ट परियोजनाओं के उत्पादनों की तकनीकी संभाव्यता प्रमाणित हो चुकी हो और कंपनी जिनका उत्पादन कर विपणन करना चाहती हो, उन पर विकास का व्यय भविष्य के उत्पादों में संविलयन की दृष्टि से पूँजीकृत किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ पहले रोक दी जाती हों / त्यागी जाती हों तो रोके जाने तक / त्यागे जाने तक किये गये व्यय, रोके जाने / त्यागने के वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित कर बट्टे खाते में डाले जाते हैं।



3.2 कार्मिक प्रशासन पर व्यय, विदेशी तकनीशियनों का शुल्क तथा व्यय आदि परियोजना/उत्पाद विशेष पर उत्पादन-पूर्व व्यय विकासगत व्यय के रूप में प्राक्कलन के आधार से उत्पादन विक्रय पर क्रमिक अपाकरण किया जाता है जो अपाकृत नहीं होता उसे अग्रेषित किया जाता है.

3.3 आंतरिक प्रयोग के लिए तैयार किये गये साफ्टवेयर / बाहरी स्रोतों से प्राप्त किये गये साफ्टवेयर जिनकी कीमत ₹1.00 लाख व उससे अधिक है, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, लेखा-पुस्तिकाओं में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है तथा इसका क्रमिक अपाकरण तीन सम भागों में होगा. अपाकरण का आरंभ इसकी प्रयुक्ति के आरंभ से माना जाता है.

4. औजार और उपस्कर :

विशिष्ट परियोजनाओं / उत्पादों के लिए आवश्यक जिग्स, औजारों और फिक्चरों पर होने वाला व्यय आरंभतः तकनीकी मूल्यांकन के आधार से उत्पादन / विक्रय पर क्रमिक अपाकरण के लिए पूँजीकृत किया जाता है और जितना हिस्सा संविलयित नहीं होता, परिसंपत्ति के रूप में अग्रेषित किया जाता है. आंतरिक आधार पर विनिर्मित औजार लागत पर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो, पूँजीकृत किये जाते हैं. रखरखाव, पुनर्निर्माण, पुनःअनुकूलन, आवधिक निरीक्षण, उपस्कर धारदार बनाना, कटिंग उपस्कर का पुनर्भरण तथा समप्रकृति के कार्य राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किये जाते हैं.

5. परिसंपत्तियों का ह्रास :

तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की धारित-राशि निर्धारित की जाती है और यदि प्राक्कलित शोध्य राशि, धारित राशि से कम पायी जाती है तो ह्रास हानि आकलित कर प्रावधान किया जाता है.

6. निवेश :

6.1 वित्तीय विवरणों में वर्तमान निवेश निम्नतम लागत पर प्रविष्टित होते हैं तथा निवेश समुचित मूल्य अलग-अलग निवेश के

आधार पर निर्धारित किया जाता है.

6.2 दीर्घ-अवधि निवेशों को वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रविष्टित किया जाता है तथापि, मूल्य निवेश-मूल के स्थायी आधार पर ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है.

7. आस्थगित ऋण :

आस्थगित सामग्री उपस्करण संचिका की लागत से संबद्ध आस्थगित निर्बन्धों के अधीन अप्रदत्त भुगतान किश्तें तथा ब्याज और बिक्री किये गये उपकरणों / उत्पादों के आस्थगित राजस्व व्यय ग्राहकों से आस्थगित ऋण के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब-जब किश्तों की और उस पर ब्याज की अदायगी होती है तो वसूल कर लिया जाता है.

8. सामग्री-सूचियाँ :

8.1 सामग्री-सूची निम्न लागत अथवा निवल प्रापणीय मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है. कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औजार और भण्डार की मदों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भार की औसत लागत सूत्र के आधार पर किया जाता है.

8.2 मार्गस्त माल और निर्माणाधीन माल की वास्तविक लागत ली है.

8.3 लेखन-सामग्री, वर्दी, कल्याण संबंधी उपभोज्य सामग्री, चिकित्सा तथा उपाहार-गृह, भण्डार सामग्री इनकी प्राप्ति के समय राजस्व में प्रभारित कर बट्टे में डाली जाती है.

8.4 कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औजार और भण्डार की मदें तथा अतिरिक्त पुर्जों का अधिशिष्ट / अनुपयोगी / अनावश्यक घोषित भण्डार राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

8.5 मुख्य भण्डार से जारी की गई तथापि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त पड़ी सामग्री पुनः भण्डारों में दाखिल नहीं की जाती.



8.6 5 वर्ष से अधिक समय से अप्रयुक्त कच्चे माल और घटक, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे, निर्माण सामग्री व खुले औज़ार जैसे इतिशेष सामग्री सूची से संबद्ध अनावश्यक सामग्री के अंतर्गत रखने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त पूर्ण / विशेष परियोजनाओं और निस्तारण के लिए लंबित अतिरिक्त / अनावश्यक सामग्री जैसी सामग्री-सूची के संबंध में भी 'अनावश्यक सामग्री' के अंतर्गत डालने के यथावश्यक समुचित प्रावधान किये गये हैं.

9. ट्रेड ग्राह्य :

सरकारी विभागों से संबद्ध विवादित / कालातीत ऋण-प्राप्यताओं को संदिग्ध ऋण नहीं माना जाता.

10. आपूर्तिकर्ताओं / बीमाकर्ताओं / संवाहकों / अन्यो पर दावे :

आपूर्तिकर्ताओं / बीमाकर्ताओं / संवाहकों / अन्यो पर हानि / क्षति के दावे तब लेखांकित किये जाते हैं जब दावों का प्रवर्तन होता है. सरकारी विभागों से विवादित / कालातीत दावे संदिग्ध दावे नहीं माने जाते हैं.

11. विदेशी मुद्रा का अंतरण :

सोवियत रूस (तत्कालीन) द्वारा की गयी आपूर्तियों से प्राप्त सेवाओं से संबंधित आस्थगित भुगतानों की और उन पर देय ब्याज की देयता, भारत सरकार तथा रूस की सरकार के बीच विदेशीकरण व्यवस्था के अंतर्गत आस्थगित भुगतान तथा तदुपरी ब्याज के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर आधारित है. अन्य मुद्राओं की स्थिति में, देयता तुलन-पत्र की प्रदत्त तारीख के प्रभावी विनिमय दर के आधार पर होती है. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाला अंतर राजस्व में प्रभारित किया जाता है. पूँजीगत मदों के संबंध में समायोजन संपत्ति की लागत पर किया जाता है.

12. वर्तमान तथा आस्थगित कर के प्रावधान :

वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है. लेखित आय और कर देय के बीच 'समयांतर' के परिणामस्वरूप होने वाले आस्थगित कर को अधिनियमित या तुलन-पत्र की तिथि से मूलभूत रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कानून के प्रयोग लेखांकित करने के लिए किया जाता है. आस्थगित कर संपत्ति उतनी ही आँकी और अग्रेषित की जाती है जितनी कि भविष्य में इससे वसूली की वास्तविक निश्चितता दिखायी देती है.

13. प्रावधान, आकस्मिक :

भूतकालीन कार्यों से वर्तमान दायित्व के लिए एक प्रावधान किया गया है और इस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी जिसके लिए एक विश्वसनीय प्राक्कलन बनाया जा सकता है. प्रावधान वर्तमान मूल्य आधारित नहीं होकर तुलन-पत्र की प्रवृत्ति तिथि पर दायित्व निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्राक्कलन पर आधारित हैं तथा इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र प्रवृत्ति तिथि पर समीक्षा कर वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन में दर्शाये जाते हैं. आकस्मिक देयताएँ वित्तीय विवरणिकाओं में नहीं लेकर टिप्पणियों में प्रकट की जाती हैं. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ, वित्तीय विवरणिकाओं में न ली जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं.

14. वारंटी :

करार के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार जहाँ कहीं भी लागू हो, बेचे गये उत्पादों पर वारंटी का प्रावधान किया गया है. वारंटी की शर्तें वर्तमान अवधि एवं अनुबंधों के आधार अनुसार यथावत रहेंगी.



15. बिक्री :

15.1 जिन उत्पादों के संबंध में पूर्व-परीक्षण जरूरी होता है वहाँ परीक्षण के बाद स्वीकृत मात्रा के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.2 अन्य सभी उत्पादनों के संबंध में स्वीकृत / प्रत्यक्ष प्रेषण के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.3 जहाँ बिक्री-मूल्य निर्धारित नहीं हुआ वहाँ संभाव्य प्रापणीय मूल्य के आधार पर अंतिम बिक्री मूल्य निश्चित किया जाता है.

15.4 बिक्री-मूल्य में बिक्री-कर / वैट अपवर्जित होता है लेकिन उत्पाद शुल्क तथा सेवा-कर सम्मिलित होते हैं.

15.5

ए) ग्राहकों के लिए निर्माण ठेके से संबद्ध संविदा राजस्व वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्टिंग तिथि तक पूर्ण कार्य प्रतिशत की पद्धति के आधार पर ठेके संविदा संदर्भित करते हुए दर्शाया जाता है.

बी) संविदा की पूर्णता के स्तर का मापन प्रत्येक संविदा के लिए अनुमानित कुल संविदा लागत के साथ रिपोर्टिंग तिथि तक किये गये कार्य के लिए खर्च की गई संविदा लागत के अनुपात के अनुसार किया जाता है.

सी) चूँकि ऐसी संविदाओं के परिणाम का अनुमान एक हद तक पूर्ण किये गये कार्य के आधार पर ही लगाया जाता है, इसलिए न्यूनतम 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद ही इस राजस्व को शामिल किया जाता है.

डी) कुल संविदा लागत जब कुल संविदा राजस्व से बढ़ सकती हो तो निर्माण संविदा पर संभावित हानि तत्काल खर्च के रूप में दर्शायी जाती है.

ई) चूँकि राजस्व को आनुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है, इसलिए ठेके के कार्यान्वयन के दौरान लागत से बढ़कर अधिशेष राजस्व के 30 प्रतिशत के समान राशि के आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है जिसे ठेके की समाप्ति पर वापस लिया जाता है.

15.6

ए) यदि अंतिम तिथि और माल / सेवाओं की आपूर्ति की असली तिथि एक ही लेखा-अवधि में पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में ठेके की शर्तों के अनुसार परिसमापन क्षतियों को देरी अवधि यदि हो तो उसमें लेखांकित किया जाता है.

बी) आपूर्ति सारणी के आगे बढ़ जाने की स्थिति में, परिसमापन क्षतियों की गणना, ठेके शर्त तथा माल / सेवाओं की संभावित आपूर्ति तिथि के अनुसार अंतिम तिथि तथा देरी हुई तिथि के अनुसार की जाती है.

16. कर्मचारियों के लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ :

16.1 अल्पकालीन कर्मचारी लाभ जैसे वेतन पारिश्रमिक (वेज) तथा अल्पकालीन अनुपस्थिति प्रतिपूर्तियाँ सेवाकालीन वर्ष के लाभ-हानि लेखों में बिना किसी रियायती दरों के शामिल की गई हैं.

निर्धारित योगदान योजनाएँ :

16.2 कंपनी द्वारा दिये गये / देय कंपनी अनुमोदित सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (REMI), कर्मचारी हितकारी निधि योजना (EBF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI), भविष्य निधि अधिनियम तथा पेंशन योजना के अंतर्गत देय भविष्य निधि योगदान राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

**निर्धारित लाभ योजनाएँ :**

- 16.3 कंपनी की उपदान, छुट्टी वेतन योजनाएँ निर्धारित लाभ योजनाएँ हैं. उपदान संबंधी वर्तमान दायित्व का मूल्यांकन बीमांकित मूल्यांकन दर्शायी इकाई जमा पद्धति के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि पर एक अतिरिक्त इकाई कर्मचारी की लाभ अहर्त्यता में जुड़ती है तथा प्रत्येक प्राक्कलित भविष्य नकदी की गणना करती है. बीमांकित लाभ-हानियाँ लाभ-हानि लेखों में शामिल किये गये हैं.
- 16.4 छुट्टी वेतन के वर्तमान दायित्व का प्रावधान बीमांकित आधारित हैं. बीमांकित लाभ-हानियाँ, लाभ-हानि लेखों में शामिल की गयी हैं.
- 16.5 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति का सेवा-निवृत्ति के वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

17. मूल्य-ह्रास :

स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास सीधी लाइन-पद्धति से प्रभारित किया जाता है. मूल्य-ह्रास की दरें संबद्ध परिसंपत्ति की लागत उसके अनुमानित कार्यकाल (आयु) पर परिव्याप्त कर निकाली जाती है तथापि टाउनशिप की इमारतों के मूल्य-ह्रास की दरें लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत की गयी हैं. मूल्य-ह्रास का परिगणन 01.04.1991 से होता है जिसमें संबद्ध परिसंपत्ति की सभी अभिवृद्धियाँ जो प्रयुक्ति / प्रभार की तारीख से ली जाती हैं. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित मूल्य-ह्रास की दरें लागू नहीं हैं, ये दरें उपर्युक्त अनुसूचियों में निर्धारित दरों से कम नहीं हैं.

18. लात का न्यून अवशोषण / अत्यावशोषण :

यदि एक वर्ष में निर्माण कार्यों पर लेबर और ओवर हेड लागत में अवप्रतिलब्धि / अधिप्रतिलब्धि की मात्रा उस वर्ष में निवल परिचालन व्यय से 0.5% से अधिक नहीं होती तो इन कार्यों पर इस लागत का न्यून अवशोषण / अत्यावशोषण का समायोजन नहीं किया जाता.

संलग्न 1 से 28 तक की अनुसूचियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

कृते लक्ष्मीनिवास नीठ अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002460S

दयानिवास शर्मा
(सदस्यता संख्या : 216244)
भागीदार

एसवी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र

(₹ लाख)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2014 तक की स्थिति		31 मार्च 2013 तक की स्थिति	
ईक्विटी एवं देयताएं					
शेयरधारकों की निधियाँ					
(ए) शेयर पूँजी	1	11500.00		11500.00	
(बी) आरक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	2	110296.59	121796.59	83829.86	95329.86
गैर चालू देयताएँ					
(ए) दीर्घावधि देयताएँ	3	4498.69		4694.28	
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	4	6389.62	10888.31	6273.34	10967.62
चालू देयताएँ					
(ए) देय ट्रेड	5	39815.45		31944.23	
(बी) अन्य चालू देयताएँ	6	646164.08		572405.31	
(सी) अल्पावधि प्रावधान	7	14262.77	700242.30	16468.95	620818.49
कुल			832927.20		727115.97
देयताएँ					
गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) स्थायी परिसंपत्तियाँ					
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	8	34187.54		26733.09	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	1772.78		1067.38	
(iii) निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	9	6382.17		6326.42	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9	633.16		626.16	
(बी) गैर-चालू निवेश	10	53.60		53.60	
(सी) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11	2936.03		4129.21	
(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	1177.14		1338.76	
(ई) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	13	4374.40	51516.82	4564.59	44839.21
चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) सामग्री सूची	14	138250.52		100653.35	
(बी) प्राप्त ट्रेड	15	39880.98		28154.73	
(सी) नकद एवं नकद तुल्य	16	426654.45		396225.56	
(डी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	17	157694.91		144684.46	
(ई) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	18	18929.52	781410.38	12558.66	682276.76
कुल			832927.20		727115.97

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते लक्ष्मीनिवास नीट अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

पंजीकरण संख्या : 002460S

दयानिवास शर्मा

(सदस्यता संख्या : 216244)

भागीदार

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 24 जुलाई 2014

एसवी सुब्बा राव

निदेशक (वित्त)

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 24 जुलाई 2014

निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

एस एन मंथा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एम लक्ष्मीनारायण

कंपनी सचिव



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ लाख)

विवरण	टिप्पणी सं.	चालू वर्ष	विगत वर्ष
I परिचालन से प्राप्त राजस्व	19	177989.16	107471.01
घटाव : सीमा शुल्क		-	(43.65)
घटाव : सेवा कर		583.87	313.39
		177405.29	107201.27
II अन्य आय	20	53057.22	52262.19
III कुल राजस्व (I+II)		230462.51	159463.46
IV व्यय :			
खपत सामग्री की लागत	21	122601.02	77957.20
प्रत्यक्ष व्यय		11.28	90.69
तैयार माल की सामग्री सूची में परिवर्तन, निर्माणाधीन कार्य, कार्यगत भंडार	22	(2459.57)	(10080.86)
कर्मचारी लाभकारी व्यय	23	30728.06	25898.50
वित्त लागत		44.46	36.11
मूल्यहास एवं क्रमिक अपाकरण व्यय	8	4140.78	4119.79
अन्य व्यय	24	18442.00	16970.65
प्रावधान	25	7078.62	3476.07
		180586.65	118468.15
घटाव : पूंजीगत लेखा से संबंधित व्यय	26	982.96	911.03
		179603.69	117557.12
V कर पूर्व लाभ (III-IV)		50858.82	41906.34
VI कर व्यय			
चालू कर - पूर्व वर्ष		(316.75)	(90.46)
चालू वर्ष		15430.98	11840.98
आस्थगित कर	11	1193.18	1315.52
			13066.04
VII अवधि के लिए लाभ (हानि) (V-VI)		34551.41	28840.30
VIII अंकित मूल्य रु.1000 प्रति ईक्विटी शेयर पर अर्जन मूल तथा विलयित (₹ में)	27	3004	2508

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते लक्ष्मीनिवास नीट अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

पंजीकरण संख्या : 002460S

निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

दयानिवास शर्मा

(सदस्यता संख्या : 216244)

भागीदार

एसवी सुब्बा राव

निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 24 जुलाई 2014

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 24 जुलाई 2014

एम लक्ष्मीनारायण

कंपनी सचिव



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2014 तक की स्थिति	31 मार्च 2013 तक की स्थिति
1	शेयर पूँजी प्राधिकृत ₹ 1,000 प्रति शेयर मूल्य के 12,50,000 के लिए	12500.00	12500.00
	जारी किए गए, अंशदत्त एवं अभिदत्त प्रति शेयर 1,000 ₹ मूल्य के 11,50,000 ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण	11500.00 11500.00 100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं.	11500.00 11500.00 100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं.
2	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि		
	प्रारक्षित पूँजी विगत तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ : वर्ष के दौरान वृद्धि तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष	21.60 - 21.60	19.56 2.04 21.60
	सामान्य प्रारक्षित विगत तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष	83741.66 26500.00 110241.66	61641.66 22100.00 83741.66
	अधिशेष विगत तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण घटाव : विनियोजन अंतरिम लाभांश अंतरिम लाभांश पर कर प्रस्तावित अंतिम लाभांश प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर प्रारक्षित पूँजी को हस्तांतरण सामान्य प्रारक्षित को हस्तांतरण तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष	66.60 34551.42 34618.02 5800.00 985.71 1110.29 188.69 - 26500.00 33.33 110296.59	77.08 28840.30 28917.38 5768.40 980.34 2.04 22100.00 66.60 83829.86
2.1	प्रारक्षित पूँजी में वर्ष के दौरान अंकित मूल्य (₹ में) पर ग्राहकों द्वारा मुफ्त में हस्तांतरित परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल है.	-	71
3	दीर्घावधि देयताएँ देय ट्रेड - 45 वर्ष के घटकों के लिए आस्थगित जमा	4498.69 4498.69	4694.28 4694.28
4	दीर्घावधि प्रावधान कर्मचारी हित के लिए प्रावधान सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ उपचित अवकाश	- 6389.62 6389.62	937.05 5336.29 6273.34



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2014 तक की स्थिति	31 मार्च 2013 तक की स्थिति
5	व्यापारिक देयताएँ		
	अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम	1318.27	669.40
	आस्थगित देयताओं की चालू अवधि समाप्ति	195.60	262.78
	अन्य व्यापारिक देयताएँ	38301.58	31012.05
		39815.45	31944.23
5.1	अति लघु, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अंतर्गत जानकारी :		
(i)	वर्ष की समाप्ति पर पूर्तिकर्ता के लिए बाकी मूल धन एवं ब्याज अप्रदत्त	1318.27	669.40
(ii)	लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद पूर्तिकर्ता के लिए भुगतान की गई राशि सहित ब्याज राशि	-	-
(iii)	भुगतान में की गई विलंब की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज राशि (अधिनियम में निर्धारित ब्याज के बिना नियत तिथि के बाद किया गया भुगतान)	4.79	2.41
(iv)	लेखा वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज की राशि तथा अप्रदत्त बकाए की राशि	71.30	36.24
(v)	बकाया ब्याज की राशि जिसका पूर्ववर्ती वर्षों में उस तिथि तक भुगतान किया जा सकता है जब तक कि एम एस एम ई अधिनियम की धारा 23 के तहत घटाव व्यय के रूप में अस्वीकृत होने के प्रयोजन से उपर्युक्त ब्याज की राशि लघु उद्यमों को वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है.	-	-
6.	अन्य चालू देयताएँ		
	भारत सरकार से अग्रिम	576577.86	489906.08
	अन्य अग्रिम	46692.07	63399.82
	जमा राशियाँ	1344.86	1051.25
	अन्य देयताएँ	21549.29	18048.16
		646164.08	572405.31
7	अत्यावधि प्रावधान		
	कर्मचारी के लिए लाभकारी प्रावधान		
	उपचित अवकाश के लिए प्रावधान	347.17	316.41
	उपादान के लिए प्रावधान	-	-
	अन्य प्रावधान		
	वारंटी	1984.09	2494.89
	परिसमापन क्षतियाँ	9602.46	6430.94
	आकस्मिक व्यय - विनिर्माण करार	-	-
	प्रस्तावित लाभांश	1110.29	5768.40
	प्रस्तावित लाभांश पर ब्याज	188.69	980.34
	सी एस आर, सतत विकास एवं अन्य	1030.07	477.97
		14262.77	16468.95



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

8. स्थायी परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख)

विवरण	सकल निरूद्ध			मूल्यह्रास / क्रमिक अपाकरण			निवल मालियत			
	वर्ष के आरंभ में लागत स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़े एवं समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर कुल लागत स्थिति	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास/ क्रमिक अपाकरण	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / क्रमिक अपाकरण	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्यह्रास / क्रमिक अपाकरण	31 मार्च 2014 की स्थिति	31 मार्च 2013 की स्थिति
भूमि - पूर्ण स्वामित्व पर @ - पट्टे पर इमारतें* तार घेरा तथा चार बीवारी सड़कें तथा नालियाँ जल आपूर्ति संस्थानाएँ संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर # फर्नीचर तथा उपकरण वाहन विशेष औजार एवं उपकरण कुल	4303.14 3922.47 8853.69 922.19 953.93 644.11 23323.67 4181.43 504.56 15098.22 62707.41	1836.51 4.40 2302.74 81.70 43.22 22.80 3164.49 543.22 18.91 2423.57 10441.56	0.00 0.00 176.66 0.00 0.00 0.00 2.84 -4.36 0.00 0.00 175.14	6139.65 3926.87 11333.09 1003.89 997.15 666.91 26491.00 4720.29 523.47 17521.79 73324.11	0.00 0.00 4465.08 364.55 488.14 572.42 16042.11 3034.33 296.66 10711.03 35974.32	0.00 57.02 327.73 39.40 36.30 14.49 1691.86 298.22 49.41 648.05 3162.48	0.00 0.00 -1.19 0.00 0.00 0.00 1.19 -0.22 0.00 0.00 -0.22	6139.65 3869.85 6541.47 599.94 472.71 80.00 8755.84 1387.96 177.40 6162.71 34187.53	4303.14 3922.47 4388.61 557.64 465.79 71.69 7281.56 1147.10 207.90 4387.19 26733.09	4303.14 3922.47 4388.61 557.64 465.79 71.69 7281.56 1147.10 207.90 4387.19 26733.09
विगत वर्ष अमूर्त परिसंपत्तियाँ	52597.07	10426.89	-316.55	62707.41	33101.92	2326.30	546.10	35974.32	26733.09	19495.15
विकास व्यय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुल	8191.18 256.59 8447.77	1606.23 77.47 1683.70	0.00 0.00 0.00	9797.41 334.06 10131.47	7208.17 172.22 7380.39	901.20 77.10 978.30	0.00 0.00 0.00	8109.37 249.32 8358.69	1688.04 84.74 1772.78	983.01 84.37 1067.38
विगत वर्ष कुल योग	7827.12 71155.18	620.65 12125.26	0.00 175.14	8447.77 83455.58	6155.02 43354.71	1793.49 4140.78	-568.12 -0.22	7380.39 47495.27	1067.38 35960.31	1672.10 27800.47
विगत वर्ष	60424.19	11047.54	-316.55	71155.18	39256.94	4119.79	-22.02	43354.71	27800.47	21167.25

@ (i) भारत सरकार के संगठन को 5 एकड़ 01 गुण्टा भूमि लीज पर दी गई है और इस पर उनका स्वामित्व है. इसी प्रकार 2 एकड़ 8 गुण्टे की जमीन भारत सरकार के संगठन को अनुमति आधार पर दी गई और इस पर उनका स्वामित्व है.

(ii) राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त 151 एकड़ 33 गुण्टे की भूमि सहित 244 एकड़ 37 गुण्टे की भूमि (विगत वर्ष 244 एकड़ 37 गुण्टा) के लिए अंतरण रसीद प्राप्त करना शेष है. यह भूमि 397.79 लाख (विगत वर्ष 397.79 लाख) में पूंजीगत की गई और यह राशि कंपनी द्वारा भुगतान / उपलब्ध की जा चुकी है.

(iii) इंडाहोमिप्टेन्स में स्वामित्व लिए जा चुके 590-22.50 गुण्टे की जमीन के लिए अंतरण रसीद प्राप्त करना शेष है. अनुमानित कीमत के आधार पर भुगतान की गई राशि पूंजीगत की गई.

* जिस पर कंपनी की मालिक्यत नहीं है, ऐसी भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य ₹ 111.01 लाख (विगत वर्ष ₹ 111.01 लाख) सम्मिलित है.

₹ 58.43 लाख (विगत वर्ष 93.93 लाख) सकल मूल्य की उपयोग में अनुपयुक्त सामग्री में सम्मिलित. सरकार द्वारा मुफ्त में हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ वर्तमान वर्ष के लिए ₹ शून्य के अंकित मूल्य (विगत वर्ष ₹ 71) से ली गई.

नौसेना (आई एन एस-डैगा) से विशाखापट्टणम में लीज पर ली गई 3.63 एकड़ की जमीन सम्मिलित नहीं है.



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2014 तक की स्थिति	31 मार्च 2013 तक की स्थिति
8.1	चूँकि कंपनी द्वारा अपनायी जाने वाली दरें अधिक हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा XIV में निर्धारित मूल्य-हास की दरें अपनायी जा रही हैं. धारा XIV की दरों के अलावा अपनायी जाने वाली दरों का प्रतिशत इस प्रकार है : (ए) इमारतें : 3.50/8.00/2.00/4.00/13.00 (बी) संयंत्र एवं मशीनरी : 13.00/15.00/17.00 (सी) फर्नीचर, फिक्चर्स एवं अन्य उपकरण : 6.50/13.00/15.00		
9	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6382.17 633.16 <u>7015.33</u>	6326.42 626.16 <u>6952.58</u>
9.1	पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य शीर्ष के अंतर्गत 40.09 लाख रुपये (पिछले वर्ष 40.09 लाख रुपये) मूल्य की इमारतें सम्मिलित हैं जिनका निर्माण आस्थगित रखा गया है. विवादित जमीन संबंधी मामलों के लिए उप जिलाधीश तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद इस उत्पन्न विवाद के वास्तविक तथ्य को जानने के लिए सहायक निदेशक, सर्वेक्षण निपटान तथा लैंड रिकॉर्ड्स, रंगारेड्डी से रिपोर्ट प्राप्त के बाद कंपनी द्वारा लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक समायोजन किया जाएगा.		
10	लागत पर गैर-चालू निवेश (गैर व्यापारिक / असूचित दर) 9,21,920 (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्णतः भुगतान किया गया आन्ध्र प्रदेश गैस पॉवर निगम लिमिटेड के ₹ 10 प्रति शेयर के ईक्विटी शेयर	53.60 <u>53.60</u>	53.60 <u>53.60</u>
11	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) • आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा आस्थगित कर देयताओं का विवरण (लेखा मानक 22 के अनुसार) इस प्रकार है : <u>आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ</u> ए) प्रावधान बी) धारा 43 बी अस्वीकरण सी) मूल्यहास तथा संबंधित मदें <u>आस्थगित कर देयताएँ</u> ए) मूल्यहास तथा संबंधित मदें बी) विकास व्यय निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयता)	4656.12 227.89 0.00 <u>4884.01</u> 333.52 1614.46 <u>1947.98</u> <u>2936.03</u>	3887.19 1493.91 22.55 <u>5403.65</u> - 1274.44 <u>1274.44</u> <u>4129.21</u>
12	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम ए) प्रतिभूत - शोध्म माल ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी बी) प्रतिभूत - शोध्म माल पूँजीगत अग्रिम ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	405.70 660.30 111.14 <u>1177.14</u>	304.44 915.81 118.51 <u>1338.76</u>



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2014 तक की स्थिति	31 मार्च 2013 तक की स्थिति
13	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ अप्रतिभूत, शोध्य माल आस्थगित ऋण	4374.40 <u>4374.40</u>	4564.59 <u>4564.59</u>
14	सामग्री-सूची * (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार)		
	कच्चा माल तथा घटक	90979.64	54151.81
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	637.48	655.26
	कच्चे माल तथा घटकों के लिए मार्गस्थमाल	12747.27	14550.58
		<u>103089.43</u>	68047.13
	विनिर्माण करार - ग्राहक		
	निर्माणाधीन कार्य #	30695.83	31275.72
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	178.42	84.21
		<u>30517.41</u>	31191.51
	तैयार माल	3241.89	202.43
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	15.09	16.23
	तैयार माल का मार्गस्थ माल	-	-
		<u>3226.80</u>	186.20
	भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे	750.01	686.93
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	192.25	162.03
	भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे का मार्गस्थ माल	6.81	13.27
		<u>564.57</u>	538.17
	शिथिल औजार	904.47	751.42
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	150.48	137.26
	शिथिल औजार का मार्गस्थ माल	22.28	30.62
		<u>776.27</u>	644.78
	अन्य		
	निर्माण सामग्री	20.69	20.69
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	-	1.26
	निर्माण सामग्री का मार्गस्थ माल	-	3.26
		<u>20.69</u>	22.69
	भंडार एवं उपकरण - कल्याण	264.42	226.93
	घटाव : क्रमिक अपाकरण	254.81	223.90
		<u>9.61</u>	3.03
	विविध भंडार	45.74	19.84
		<u>138250.52</u>	<u>100653.35</u>
	* उप-ठेकेदारों तथा अन्यो के लिए जारी सामग्री भी सम्मिलित	10503.35	9183.85
	# ग्राहकों के पास सामग्री सूची सम्मिलित	1525.47	-
15	ट्रेड प्राप्तियाँ		
	अप्रतिभूत - शोध्य माल		
	छह महीने से अधिक अवधि के लिए		
	बकाया ऋण	4370.68	5140.87
	अन्य ऋण		
	ग्राहक	35320.11	22958.21
	आस्थगित ऋणों की चालू अवधि समाप्ति	190.19	55.65
		<u>39880.98</u>	<u>28154.73</u>



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2014 तक की स्थिति		31 मार्च 2013 तक की स्थिति	
16	नकद तथा नकद तुल्य				
	बैंकों में इति शेष :				
	चालू खाते से संबद्ध	11544.13		4025.52	
	अल्पावधि निक्षेपों से संबद्ध	415100.00	426644.13	392198.40	396223.92
	नकद राशि		9.11		0.84
	अग्रदाय धारकों के पास राशि		1.21		0.80
			426654.45		396225.56
17	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
	ए) प्रतिभूत - शोध्य माल				
	संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम माल एवं सेवाएँ		28112.80		18947.83
	बी) अप्रतिभूत, शोध्य माल				
	संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम माल एवं सेवाएँ	113916.24		120409.74	
	घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.41	113915.83	0.41	120409.33
	कर्मचारी		253.00		53.59
	प्राप्त दावे / बकाया	2585.20		1891.41	
	घटाव : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	21.47		21.47	
	पूर्वप्रदत्त व्यय		2563.73		1869.94
	निक्षेप		73.23		55.86
	अग्रिम सेवा कर (निवल)		7170.89		338.46
अग्रिम सेवा कर		3918.63		1445.77	
प्राप्त सेनवेट जमा (ईडी)		1673.23		1563.35	
प्राप्त सेनवेट जमा (सेवा कर)		-		-	
		13.57		0.33	
		157694.91		144684.46	
18	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				
	उपचित ब्याज लेकिन बकाया नहीं				
	- अल्पावधि निक्षेप		18911.15		12529.30
- अन्य		18.37		29.36	
		18929.52		12558.66	



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
19	परिचालन से प्राप्त राजस्व		
	उत्पादों की बिक्री		
	तैयार माल	166383.17	100033.20
	अतिरिक्त पुर्जे	3556.06	2781.98
	विविध	2284.71	1902.61
		172223.94	104717.79
	सेवाओं की बिक्री		
	मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	1255.36	451.15
	प्रशिक्षण	18.34	-
	जॉब वर्क	4176.46	1926.65
		5450.16	2377.80
	अन्य परिचालन राजस्व		
	विनिर्माण करार	-	-
	रद्दी की बिक्री	33.14	16.98
अन्य	892.02	499.20	
	(610.10)	(140.76)	
परिचालन से सकल राजस्व	<u>177989.16</u>	<u>107471.01</u>	
20	अन्य आय		
	ब्याज :		
	अल्पावधि निक्षेप	41184.79	41654.35
	विविध अग्रिम-कर्मचारी एवं अन्य	55.04	48.16
	अन्य निक्षेपों पर	345.16	55.54
	परिवहन - कर्मचारी	16.85	15.95
	अतिरिक्त माल / अवशिष्ट भंडार का निपटान	-	0.07
	टाउनशिप	150.92	141.93
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	10.17
	दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसे प्रावधानों की वापसी		
	परिसमापन क्षतियाँ	1654.41	6246.59
	वारंटी	1585.14	821.57
	निष्प्रयोजनीयता	287.95	531.22
	सी एस आर व्यय	220.84	131.99
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुवधा (सेउचिसु)	937.05	-
	अन्य	-	40.30
		4685.39	7771.67
	देयताओं की वापसी	14.76	139.16
	आपूर्तिकर्ताओं से परिसमापन क्षतियों की वसूली	4801.52	1908.79
	निवेश मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ	1189.48	293.97
विविध	613.31	222.43	
	<u>53057.22</u>	<u>52262.19</u>	



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चातू वर्ष	विगत वर्ष
21	उपभुक्त सामग्री की लागत		
	भंडार का अथशेष	55610.85	36822.21
	जोड़ : क्रय	182178.18	115069.78
		237789.03	151891.99
	घटाव : भंडार का इतिशेष	92654.81	55610.85
		145134.22	96281.14
	घटाव : भंडार की प्रयुक्ति		
	आस्थगित राजस्व व्यय	314.67	24.68
	उपकरण एवं जिम्स	0.32	3.58
	व्यय लेखा एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	22218.21	18295.68
	22533.20	18323.94	
	पूर्वावधि प्रयुक्ति	-	-
		122601.02	77957.20
22	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री सूची में परिवर्तन (वृद्धि)/अपवृद्धि		
	अथशेष		
	(i) निर्माणाधीन कार्य	31275.72	21244.00
	(ii) तैयार माल	202.43	153.29
		31478.15	21397.29
	इति शेष		
	(i) निर्माणाधीन कार्य	30695.83	31275.72
	(ii) तैयार माल	3241.89	202.43
		33937.72	31478.15
		(2459.57)	(10080.86)
23	कर्मचारी लाभकारी खर्च		
	वेतन तथा मजदूरी	24703.13	22656.77
	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	4997.48	2162.64
	कर्मचारी कल्याण खर्च	1027.45	1079.09
	पूर्वावधि	-	-
	30728.06	25898.50	
23.1	पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक	146.41	135.02



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

23.2	संशोधित लेखापरीक्षा मानक 15 के प्रावधानानुसार उपादान के संबंध में निम्नलिखित सूचना का प्रकटन किया जाता है.	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1	धारणाएँ		
ए)	रियायती दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
बी)	वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.00%	6.00%
2	दायित्व के वर्तमान दर में परिवर्तन दर्शाती तालिका		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान दर	9507.50	8807.24
बी)	ब्याज लागत	760.60	704.58
सी)	वर्तमान सेवा लागत	251.40	267.72
डी)	वास्तविक प्रदत्त - लाभ	788.67	621.73
ई)	वर्ष के अंत तक संभावित देयताएँ	9730.83	9157.81
एफ)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान दर	9925.52	9507.50
जी)	वास्तविक लाभ / (हानि)	(194.69)	(349.69)
3	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9507.49	8714.34
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	825.68	789.88
सी)	अंशदान	381.02	625.00
डी)	प्रदत्त लाभ	788.67	621.73
ई)	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	-	-
एफ)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9925.52	9507.49
4	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की तालिका		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9507.49	8714.34
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	825.68	789.88
सी)	अंशदान	381.02	625.00
डी)	प्रदत्त लाभ	788.67	621.73
ई)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9925.52	9507.49
एफ)	आबंटित निधि की स्थिति	-	(0.01)
जी)	योजित परिसंपत्तियों की अनुमानित प्राप्तियों पर वास्तविक आधिक्यता	-	-
5	वास्तविक हानि या प्राप्ति		
ए)	वर्ष के लिए दायित्व - वास्तविक हानि	(194.69)	(349.69)
बी)	वर्ष के लिए योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक हानि	-	-
सी)	वर्ष के लिए कुल हानि	(194.69)	(349.69)
डी)	सूचित वास्तविक हानि	(194.69)	(349.69)
6	तुलन-पत्र में सूचित राशि		
ए)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	9925.52	9507.50
बी)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9925.52	9507.49
सी)	आबंटित निधि की स्थिति	-	(0.01)
डी)	तुलन-पत्र में सूचित निवल देयता / परिसंपत्ति	-	(0.01)
7	आकलित खर्च लाभ-हानि खाते का विवरण		
ए)	वर्तमान सेवा लागत	251.40	267.72
बी)	ब्याज लागत	760.60	704.58
सी)	योजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्राप्ति	825.68	789.88
डी)	वर्ष के दौरान आकलित निवल वास्तविक लाभ / (हानि)	(194.69)	(349.69)
ई)	लाभ हानि खाते में आकलित व्यय	381.01	532.11



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ (₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
23.3	क्षतिपूर्क अनुपस्थितियाँ कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थितियों की वास्तविक देयता रियायती दर वेतनवृद्धि दर सेवानिवृत्ति आयु	6736.79 8.00% 6.00% 60 Years	5652.70 8.00% 6.00% 60 years
23.4	सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना वर्ष के दौरान दिया गया अंशदान परिवर्तनाधीन अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ की वर्तमान योजना के लिए दिया गया अंशदान दीर्घकालिक प्रावधान (टिप्पणी-4) एवं प्रावधान (टिप्पणी-25) में शामिल किया गया है.	135.83 -	10.13 522.29
24	अन्य व्यय वर्कशापों से संबद्ध आपूर्ति बिजली तथा ईंधन पानी का प्रभार यात्राएँ # मरम्मत : इमारतें संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर फर्नीचर तथा उपस्कर वाहन अन्य वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीज़ल शिथिल औज़ार तथा उपस्कर बीमा दरें तथा कर डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलीफोन मुद्रण तथा लेखन-सामग्री प्रचार-प्रसार विज्ञापन बैंक प्रभार विधि व्यय बट्टा खाता : भंडार अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण अन्य सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक : सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क कर लेखापरीक्षा शुल्क सेवा कर अभिलेखीकरण शुल्क एवं व्यय परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल) सुरक्षा व्यवस्था परिसमापन क्षतियाँ कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा विकास मनोरंजन शिष्टाचार निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क आई ई एम का प्रतिभागिता शुल्क मुद्रा अंतर (निवल) सी एस आर व्यय विविध परिचालन व्यय पूर्वावधि मर्दे	502.87 1506.12 285.27 958.41 1339.19 740.78 3.59 71.87 156.76 43.04 267.93 173.44 126.65 128.55 85.47 210.25 234.83 126.55 2.90 194.63 - 11.91 3.50 0.35 0.48 0.17 0.47 2414.96 5682.57 7.95 1.45 84.62 9.20 0.70 - 220.84 2843.73 -	499.53 1273.31 362.19 800.73 958.18 766.46 5.26 15.81 159.40 57.44 323.99 111.75 86.24 132.81 92.76 256.13 256.55 93.51 2.46 38.31 4.12 45.82 3.50 0.20 0.46 - - 2086.27 6358.06 1.04 1.05 79.00 4.60 2.36 - 131.99 1912.23 47.13
# 24.1	निदेशकों का यात्रा व्यय सम्मिलित	18442.00 57.53	16970.65 74.18



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
		लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि	लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि
25	प्रावधान प्रतिस्थापन व अन्य प्रभार, वारंटी तथा बैच अस्वीकृतियाँ निष्प्रयोजनीयता प्रावधान परिसमापन क्षतियाँ सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ सी एस आर तथा सातत्यता विकास आदि	1074.34		1700.30	
		405.41		625.45	
		4825.93		158.11	
		-		522.29	
		772.94		469.92	
		7078.62		3476.07	
26	पूँजीगत एवं अन्य लेखों से संबद्ध व्यय अमूर्त परिसंपत्तियाँ (विकास व्यय) टूल्स व जिग्स अन्य	589.31		370.93	
		385.27		440.23	
		8.38		99.87	
		982.96		911.03	
27	प्रतिशेयर अर्जन : ए एस-20 के अनुसार परिकलित प्रति शेयर (मूल) अर्जन कराधान के बाद लाभ प्रति शेयर रु.1000/- अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की संख्या : मूल तथा विलयित अर्जन प्रति शेयर (₹) संविलयन संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है	34551.41		28840.30	
		1150000.00		1150000.00	
		3004.47		2507.85	
28	अनिवार्य प्रकटीकरण अप्रावधानित आकस्मिक देयताओं के लिए :				
28.01	ऋण तथा प्रत्याभूतियों के बकाया साख-पत्र : (i) साख-पत्र (ii) प्रत्याभूतियाँ तथा प्रति-प्रत्याभूतियाँ कुल	14339.01		11235.39	
		11.89		11.89	
		14350.90		11247.28	
28.02	कंपनी के विरुद्ध जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया ऐसे दावों / मांगों : (i) बिक्री कर (ii) सेवा कर (iii) अन्य कुल	14793.84		14449.88	
		43.11		89.89	
		1534.28		3389.04	
		16371.23		17928.81	
28.03	पूँजीगत लेखों के अंतर्गत बकाया निष्पादित लेखों की अनुमानित राशि तथा अप्रावधानित के लिए	15130.74		5382.04	
28.04	दिनांक 08 फरवरी 2011 की अधिसूचना सं. एस ओ 301 (ई) के तहत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की षष्ठम अनुसूची के द्वितीय भाग के परिच्छेद 3(i) (ए), 3 (ii) (ए), 3 (ii) (डी), 4-सी, 4-डी (ए) से (ई) तक (डी) छोड़कर के अनुपालन की छूट दी है. लेखा मानकों से संबंधित प्रकटीकरण :				
28.05	एक लाख रुपये से अधिक के पूर्वावधि लेन-देन (ए एस-5) के प्रत्येक मामले को लेखाओं में यथावत् प्रकट किया गया है. इस तरह के लेन-देन से वर्ष के लाभ में अपवृद्धि ₹ 738.26 लाख कमी (पिछले वर्ष में ₹ 99.82 लाख कम) जो निम्नानुसार है.				
क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	चालू वर्ष	विगत वर्ष	
1	बिक्री	19	610.10	-	(140.76)
2	मूल्य हास / क्रमिक अपाकरण	9	144.36	-	(49.46)
3	प्रत्येक व्यय			16.20	(38.61)
4	अन्य व्यय	24		-	47.13
	कुल लाभ पर निवल प्रभाव → वृद्धि/(अपवृद्धि)		754.46	16.20 (738.26)	(40.94) (140.76) (99.82)



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ
(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष															
28.06	ए एस-11 के अनुसार विदेश मुद्रा दर में हुए परिवर्तन का प्रभाव																	
ए)	वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में समायोजित विभेदक विनिमय दर	83.69	29.28															
बी)	पूँजी परिसंपत्तियों के संबंध में लाभ-हानि लेखा में सूचित विनिमय दर विचलन	-	-															
सी)	आस्थगित ऋण का पुनर्निर्धारित भाग प्रोटोकाल के अनुसार लागू विनिमय-दर पर मूल्यांकित है। विनिमय दर विचलन का इस पर प्रभाव :																	
	i) कंपनी से संबंधित बढ़ी देयताएँ	117.53	44.55															
	ii) ग्राहक की बढ़ी देयता को देय लेखा में समान राशि के प्राप्य दावों के साथ दर्शाया गया है जो कि कंपनी पर हस्तांतरित नहीं है।	4136.79	1567.87															
डी)	आस्थगित देयताओं में भारत सरकार के अनुदेशों अनुसार पुस्तिकाओं में अनुपार्जित ब्याज के रूप में सम्मिलित है।	-	-															
28.07	संव्यवहार की प्रकृति तथा प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यही विवेकशील समझा गया कि ए एस 17 के किसी प्रकार आवश्यक सेगमेंट रिपोर्टिंग की जानकारी का प्रकटन न किया जाए. इस प्रकार के अप्रकटन से कंपनी लेखों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।																	
28.08	संबंधित पार्टी से लेनदेन (ए एस 18) का विवरण निम्नानुसार है :																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>पार्टी का नाम</th> <th>संबंध</th> <th>लेनदेन</th> <th>चालू वर्ष</th> <th>विगत वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सार्वजनिक उद्यम संस्थान हैदराबाद</td> <td>प्रो. आर के मिश्र, स्वतंत्र निदेशक तथा आई पी ई के निदेशक</td> <td>(I) अन्य प्रचार-प्रसार व्यय (ii) सी एस आर (iii) प्रशिक्षण, संगोष्ठी, पाठ्यक्रम शुल्क आदि</td> <td>1.30 10.54 7.90</td> <td>3.87 7.45 4.84</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">कुल</td> <td>19.74</td> <td>16.16</td> </tr> </tbody> </table>	पार्टी का नाम	संबंध	लेनदेन	चालू वर्ष	विगत वर्ष	सार्वजनिक उद्यम संस्थान हैदराबाद	प्रो. आर के मिश्र, स्वतंत्र निदेशक तथा आई पी ई के निदेशक	(I) अन्य प्रचार-प्रसार व्यय (ii) सी एस आर (iii) प्रशिक्षण, संगोष्ठी, पाठ्यक्रम शुल्क आदि	1.30 10.54 7.90	3.87 7.45 4.84	कुल			19.74	16.16		
पार्टी का नाम	संबंध	लेनदेन	चालू वर्ष	विगत वर्ष														
सार्वजनिक उद्यम संस्थान हैदराबाद	प्रो. आर के मिश्र, स्वतंत्र निदेशक तथा आई पी ई के निदेशक	(I) अन्य प्रचार-प्रसार व्यय (ii) सी एस आर (iii) प्रशिक्षण, संगोष्ठी, पाठ्यक्रम शुल्क आदि	1.30 10.54 7.90	3.87 7.45 4.84														
कुल			19.74	16.16														
	संबंधित अनुसूची 23 एवं 24 में दर्शायी गयी जानकारी के अनुसार केवल पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक को छोड़कर किसी भी संबद्ध पार्टी के साथ लेनदेन नहीं किया है।																	
28.09	उत्पाद सुधार सहित अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया व्यय संबंधित समरूप लेखा शीर्षों में प्रभाषित किया गया है :																	
	राजस्व व्यय के रूप में	1674.91	1823.20															
	पूँजीगत व्यय के रूप में (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ)	313.97	104.93															
28.10	वर्ष के दौरान ए एस 28 के अनुसार इंपेमेंट हानि पायी गयी	शून्य	शून्य															



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ
(₹ लाख)

28.11 प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ - ए एस - 29 के अनुसार आवश्यकता का प्रकटीकरण इस प्रकार है :						
चालू वर्ष						
क्रम सं.	प्रावधान का प्रकार	अथ शेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	इति शेष
1	वारंटी	2494.89	1074.34	-	1585.14	1984.09
2	परिसमापन क्षति	6430.94	4825.93	1654.41	-	9602.46
3	अधिर्वर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	937.05	-	-	937.05	-
4	अनावश्यक	1056.25	405.41	191.52	96.42	1173.72
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	21.88	-	-	-	21.88
6	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	477.97	576.80	220.84	-	833.93
7	भावी खर्च	-	196.14	-	-	196.14
		11418.98	7078.62	2066.77	2618.61	13812.22
विगत वर्ष						
क्रम सं.	प्रावधान का प्रकार	अथ शेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	इति शेष
1	वारंटी	1616.16	1700.30	-	821.57	2494.89
2	परिसमापन क्षति	12519.43	158.11	3822.04	2424.55	6430.94
3	अधिर्वर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	414.76	522.29	-	-	937.05
4	अनावश्यक	962.02	625.45	38.31	492.91	1056.25
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	62.18	-	40.30	-	21.88
6	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	140.04	469.92	131.99	-	477.97
		15714.59	3476.07	4032.64	3739.03	11418.98
<p>टिप्पणी 28.01 एवं 28.02 में संदर्भित आकस्मिक देयताएँ संविदा दायित्वों की शर्तों, आक्रमण, संबंधित पार्टियों द्वारा उठायी जाने वाली माँगों तथा न्यायालय/विवेचन/कोर्ट के बाहर के समझौते/अपीलों के निपटान पर आधारित हैं।</p> <p>अन्य प्रकटीकरण</p> <p>28.12</p> <p>ए) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित 17.19 लाख रुपये की अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी के नाम 48.10 लाख की राशि के लिए जिला न्यायालय ने डिक्री जारी किए जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे/आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्त हुई है और आज तक वह मामला विचाराधीन है।</p> <p>बी) एक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में कंपनी ने ब्याज सहित 4.45 लाख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री खरीदी के लिए भुगतान की गई, तदुपरान्त अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया। यह मामला सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में लंबित है और आज की तिथि में विचाराधीन है।</p> <p>28.13 देनदार, लेनदार, प्राप्य दावे, ठेकेदार / उप ठेकेदारों के साथ सामग्री अग्रिम, जमा राशि एवं अन्य के संबंध में शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजे गये हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर जहाँ कहीं भी आवश्यक हो समाधान / प्रावधान / समायोजन किए जाते हैं।</p> <p>28.14 कंपनी ने ग्राहकों से समय पूर्व समाप्त तीन संविदाओं के लिए प्राप्त ₹ 42454.91 लाख (पिछले वर्ष 4245.91 लाख) की अग्रिम राशि में से विशेष औजार एवं उपकरण तथा सामग्री की खरीदी के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए हैं। इन भुगतानों में आपूर्तिकर्ता के खाते में विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी 8) के लिए ₹ 114.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 114.05 लाख), चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (टिप्पणी संख्या 14 से 18) के लिए ₹ 11014.16 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11014.16 लाख) तथा सामग्री खाते में ₹ 8048.28 लाख (पिछले वर्ष 8269.07 लाख) शामिल है जो कुल मिलाकर ₹ 19176.49 लाख (पिछले वर्ष 19397.28 लाख) है। कंपनी ने फर्म के आदेशों के आधार पर तथा ग्राहक द्वारा दिए गए निधि में से खरीदी गई संपत्ति के लिए व्यय किया। दीर्घकालीन बकाया अग्रिम एवं अचल विशेष औजार एवं सामग्री की वजह से कंपनी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अतः किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। आगे, इन समय पूर्व समाप्त संविदाओं के संबंध में कंपनी ने प्राप्त अग्रिम का समायोजन कर ₹ 2,787.00 लाख (विगत वर्ष ₹ 2,787.00 लाख) के निवल व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहकों से संपर्क किया। अतः सरकार / ग्राहक से यह राशि निश्चित करने के लिए कंपनी की लेखा बही में लाभ के प्रति किसी भी प्रकार का दावा / प्रभाव नहीं पाया गया।</p>						



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

28.15	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परिसमापन क्षतियों की लेखा-पद्धति परिवर्तन किया गया और तदनुसार, नई लेखा-नीति बनायी गयी है. इन परिवर्तनों का चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव 2702.76 लाख (अपवृद्धि) है.
28.16	पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनर्समूहित या पुनर्व्यवस्थित किया गया है. ऋणात्मक संख्याएं कोष्ठक में दिखायी गयी हैं.

संलग्न 1 से 28 की टिप्पणियाँ तथा लेखा नीतियाँ लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

कृते लक्ष्मीनिवास नीट अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002460S

निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

दयानिवास शर्मा
(सदस्यता संख्या : 216244)
भागीदार

एसवी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव



भारत डायनामिक्स लिमिटेड : हैदराबाद
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्राप्ति विवरण

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त :		
कराधान से पूव निवल लाभ तथा असाधारण मदें	50858.82	41906.34
समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं क्रमिक अपाकरण	4140.56	4097.77
ब्याज से आय	(41584.99)	(41758.05)
ब्याज से व्यय	44.46	36.11
कार्यगत पूँजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालनीय लाभ	13458.85	4282.17
(वृद्धि)/अपवृद्धि ट्रेड देनदारों में	(11726.26)	(19315.54)
(वृद्धि)/अपवृद्धि सामग्री सूची में	(37597.17)	(40396.23)
(वृद्धि)/अपवृद्धि ऋणों तथा अग्रिमों में		
(अग्रिम कर, उपचित ब्याज छोड़कर)	(10185.78)	(48300.57)
वृद्धि/(अपवृद्धि) विविध देनदारों देयताओं एवं प्रावधानों में	84794.26	62021.15
परिचालन से अर्जित नक़द	38743.90	(41709.02)
प्रदत्त आयकर	(18567.43)	(13801.95)
असाधारण मदों से पूर्व नक़द प्राप्ति	20176.47	(55510.97)
असाधारण मदों से प्राप्त	-	-
परिचालनीय कार्यकलापों से निवल नक़द (ए)	20176.47	(55510.97)
बी. विनियोजन कार्यकलापों से नक़द प्राप्ति :		
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(12187.76)	(13485.17)
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि	(175.39)	348.74
प्राप्त ब्याज	35214.13	40101.14
विनियोजन कार्यकलापों से निवल नक़द (बी)	22850.98	26964.71
सी. वित्तीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त		
आस्थगित देयताओं का पुनर्भुगतान		
आस्थगित ऋणों से अपवृद्धि		
प्रदत्त ब्याज	(44.46)	(36.11)
प्रदत्त लाभांश	(12554.11)	(4700.05)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नक़द (सी)	(12598.57)	(4736.16)
निवल वृद्धि/(अपवृद्धि) नक़द तथा नक़द तुल्यों में	30428.88	(33282.42)
वर्ष के प्रारंभ में नक़द एवं नक़द तुल्यों में	396225.56	429507.98
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य	426654.44	396225.56

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते लक्ष्मीनिवास नीट अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002460S

दयानिवास शर्मा
(सदस्यता संख्या : 216244)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

एसवी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24 जुलाई 2014

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
भारत डायनामिक्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्ट

1. हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 तक की अवधि संबंधी तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे और साथ ही, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नक़द प्राप्त विवरण तथा प्रमुख लेखा-नीतियों का सार व विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है और इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किये हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित लेखा-मानकों के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नक़द प्राप्त प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाली वास्तविक अकथनों से मुक्त वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. अपनी लेखापरीक्षा द्वारा इन वित्तीय विवरणिकाओं पर अपनी राय देना हमारा उत्तरदायित्व होता है। हमने लेखापरीक्षा, भारत के लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक मूल्यों के अनुरूप करें और इसकी योजना तथा कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि ये वित्तीय विवरणिकाएँ वास्तविक अकथनों से मुक्त हैं।
4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं की राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित लेखासाक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। लेखापरीक्षा के लिए अपनायी जाने वाली पद्धतियाँ, धोखाधड़ी या गलती से हुये वित्तीय विवरणिकाओं के वास्तविक अकथनों से होने वाली आपदाओं के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती हैं। आपदा प्रबंधन के दौरान लेखापरीक्षक, संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अपनी राय देने के लिए नहीं बल्कि स्थितियों के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को दर्शानेवाली लेखापरीक्षा पद्धतियों को तैयार करने में कंपनी की वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी एवं प्रस्तुति से



संबंधित आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखा जाता है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखनीतियों की उपयुक्तता, प्रबंधन द्वारा किये गये लेखा-अनुमान की विश्वसनीयता सहित वित्तीय विवरणिकाओं की सर्वांगीण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रकट किये जाने वाले लेखापरीक्षा राय के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय

6. हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न वित्तीय विवरणिकाएँ, अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट विचार देती है -

- (ए) दिनांक 31 मार्च, 2014 तक के कंपनी-कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र का संबंध है।
(बी) जहाँ तक इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि लेखे और लाभ का संबंध है। तथा,
(सी) जहाँ तक इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की नक़द प्राप्ति, नक़द प्राप्ति विवरण का संबंध है।

अन्य विधि एवं नियमित आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 277 के उप खण्ड 4 (ए) के अनुबंधों के अनुसार कंपनी आदेश (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) 2004 के संशोधनानुसार कंपनी आदेश (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) 2003 की आवश्यकतानुसार तथा हमारे विचारानुसार कंपनी के खते एवं रिकॉर्डों की उचित जाँच के आधार पर तथा हमें प्राप्त सूचना एवं विवरणों के अनुसार परिच्छेद 4 तथा 5 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक के साथ संलग्न है।
8. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (3) की अपेक्षा में टिप्पणी की जाती है कि -
- (ए) लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार प्राप्त कर ली गयीं।
(बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण में विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।
(सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुसार हैं।



- (डी) हमारी राय में, इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, नक़द प्राप्ति विवरणिकाएँ, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) के लेखा मानकों के अनुरूप रखे गये हैं.
- (ई) दि. 31 मार्च, 2014 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन तथा निदेशक मंडल से लिये गये रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के उप बंध (जी) के तहत निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण करने से लेकर दि. 31 मार्च, 2014 तक कोई भी निदेशक अक्षम नहीं पाया गया.

कृते - लक्ष्मीनिवास नीठ अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002460S

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24 जुलाई 2014

दयानिवास शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 216244



लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल को प्रस्तुत इसी तारीख की 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक अनुच्छेद-7 के संबंध में उद्धृत)

- (i) (ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूर्ण विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है.
- (बी) हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया जो कंपनी के विस्तार और परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ठीक है. ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई.
- (सी) वर्ष के दौरान कंपनी के स्थायी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग को बेचा नहीं गया है और इससे कंपनी की कारोबारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.
- (ii) (ए) हमें दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार प्रबंधन ने वर्ष के दौरान तीसरी पार्टी के साथ स्थित सामग्री (जो भौतिक रूप से सत्यापित हैं) छोड़कर सभी सामग्री-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है. हमारी राय में ये सत्यापन पर्याप्त अंतराल से किये गये हैं.
- (बी) हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार सामग्री सूचियन के प्रत्यक्ष सत्यापन की जो पद्धति प्रबंधन ने अपनायी है वह कंपनी के आकार और संव्यवहार की दृष्टि से उचित है.
- (सी) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामग्री सूचियों के समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है. स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच के दौरान उपर्युक्त में से बुक रिकॉर्ड अनुसार कोई खास कमी नहीं पायी गयी.
- (iii) (ए) हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन पंजी में सूचीबद्ध फर्म/कंपनी या अन्य पार्टियों से न तो ऋण लिया है और न ही किसी को ऋण दिया है.
- (बी) हमें बताये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के ऋण नहीं दिये गये. अतः यह उपबंध लागू नहीं होता है.



- (iv) हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार और संव्यवहार की प्रकृति के अनुरूप सामग्री की खरीद, स्थायी परिसंपत्तियों और उत्पादों की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया व्यवहृत है. लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में निरंतर असफलता नहीं पायी.
- (v) हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी संविदा या अनुबंध के अनुकरण में कोई संव्यवहार अथवा व्यवस्थाएँ नहीं की है जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत पंजी में रखी जानी आवश्यक होती है.
- (vi) हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए, 58एए के किसी अन्य संबंधित प्रावधान या तत्संबंधी नियमावली के अंतर्गत जनता से किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है.
- (vii) हमारे विचार से कंपनी में अपने आकार और संव्यवहार प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है.
- (viii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के अधीन हमने कंपनी की सामग्री, मजदूर तथा अन्य मदों से संबंधित लेखे की विस्तृत समीक्षा की है. हमारी राय में मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है. तथापि, इन अभिलेखों की सटीकता या पूर्णता के बारे में अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की गई है.
- (ix) (ए) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा परीक्षित कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी द्वारा भविष्य निधि, इन्वेस्टर एजुकेशन अण्ड प्रोटेक्शन फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सी ई एस एस तथा अपने लिए लागू सभी अन्य सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराया जाता है.
- (बी) ₹ 9073.23 लाख की विवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास मामले लंबित होने के कारण जमा नहीं की गई है, इनका विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	संविधि का नाम	बकाया राशि का प्रकार	किस फोरम के पास मामला लंबित है	(₹ लाखों में)
1	सी एस टी अधिनियम	सी एस टी	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1462.67
2	सी एस टी अधिनियम	सी एस टी	आंध्र प्रदेश बिक्री कर अपीली न्यायाधिकरण	7269.19
3	सी एस टी अधिनियम	सी एस टी	अपीलेट उप आयुक्त (सीटी) पंजागुट्टा प्रभाग	290.62
4	वित्त अधिनियम	सेवा कर	आयुक्त हैदराबाद-II सेवा कर	43.11
5	ए पी वेट अधिनियम	वेट	अपीलेट उप आयुक्त (सीटी) पंजागुट्टा प्रभाग	8.13
6	ए पी वेट अधिनियम	वेट	सहायक आयुक्त (सीटी)एलटीयू	2.53



- (सी) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण अनुसार, बिक्री कर, आय कर, सेवा कर, म्युनिसिपल कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और संपत्ति कर की अविवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं है.
- (x) हमारी राय में दि. 31 मार्च, 2014 या उसके तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ है और न ही कंपनी ने किसी प्रकार की नकदी गँवायी है.
- (xi) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संगठन, बैंक या डिबेंचर धारकों से ऋण नहीं लिया है.
- (xii) हमारी राय में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेंचर या प्रतिभूति बंधक कर के आधार पर किसी भी प्रकार के ऋण या अग्रिमों का अनुदान नहीं किया है. तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के उपबंध 4 (xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे.
- (xiii) हमारी राय में कंपनी कोई चिटफंड, निधि या परस्पर लाभ-निधि संस्था नहीं है. अतः इस पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 की धारा 4 (xii) लागू नहीं है.
- (xiv) हमारी राय में कंपनी किसी प्रकार के शेयरों की खरीद-फरोख्त, प्रतिभूति, डिबेंचर और अन्य किसी प्रकार के निवेश नहीं करती है. अतः इस पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 की धारा 4 (xiv) लागू नहीं है.
- (xv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण अनुसार, कंपनी ने किसी के द्वारा बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लिये ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है.
- (xvi) कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिये हैं.
- (xvii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के तुलन-पत्र के निरीक्षण के आधार पर, कहा जा सकता है कि कंपनी ने किसी अल्पावधि आधार पर कोई राशि नहीं ली और न ही इसे किसी दीर्घकालीन निवेश में लगाया है.
- (xviii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये बही में सूचित किसी पार्टी को अधिमान्यता के आधार पर शेयरों का आबंटन नहीं किया है.
- (xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया. अतः इस पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 की धारा 4 (xix) लागू नहीं है.



- (xx) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के ज़रिये किसी भी प्रकार की राशि नहीं जुटायी है. तदनुसार, इस पर कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 की धारा 4 (xx) लागू नहीं है.
- (xxi) वित्तीय विवरणिकाओं की वास्तविक व पारदर्शी प्रस्तुति के उद्देश्य से अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इस वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं है.

कृते - लक्ष्मीनिवास नीठ अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002460S

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24 जुलाई 2014

दयानिवास शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 216244



सं. / No.

Insp/BDL Accnts(2013-14)/2014-15/94

88

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बंगलूर-560 001.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD,
BANGALORE - 560 001.

दिनांक / DATE : 27.08.2014

सेवा में,
श्री एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
पो.ओ. कंचनबाग
हैदराबाद-500058.

महोदय,

विषय: कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत
के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

मैं, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी शून्य टिप्पणियाँ प्रमाण-पत्र अग्रेषित करता हूँ.

यह सुनिश्चित किया जाए कि टिप्पणियाँ -

- (i) बिना किसी संस्करण के संपूर्णतः मुद्रित किया जाए
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (5) के अनुसार ए जी एम के
समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा,
- (iii) वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के बाद रखा जाए
और अनुक्रमणिका में इसे उचित रूप से दर्शाया जाए.

कृपया पत्र की पावती दें.

भवदीय,

हस्ता./-

(वी के गिरिजावल्लभन)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संलग्नक : यथोपरि

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

पहला तल, बसवा भवन, श्री बसवेश्वरा रोड, बंगलूर - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bangalore - 560 001

दूर. भा. / Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स / Fax : 080-2226 2491



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है. इन वित्तीय विवरणों पर राय देने का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का है जो इस अधिनियम की धारा 227 के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होगी. लगता है उनकी दिनांक 24 जुलाई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह दी जा चुकी है.

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की ओर से दि. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है. यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी जो प्रथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है. मेरे द्वारा दी गई लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट / अनुपूरक रिपोर्ट पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया.

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता./-

(वी के गिरिजावल्लभन, आई ए अण्ड ए एस)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बेंगलूरु

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26 अगस्त 2014

अतिथि आगमन VIP VISITS



दि. 06 सितंबर, 2013 को मेजर जनरल पी एम हरीज़, सेमे, विसेमे, एडीजी मैक फोर्स, भारतीय मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के बी डी एल दौरे के अवसर पर जानकारी देते हुए श्री एल धनंजय, अधिशासी निदेशक (डी अण्ड ई) एवं श्री पी एन ज्ञानेश्वर, अपर महाप्रबंधक (डी अण्ड ई). Shri L Dhanjaya, ED (D&E) and Shri Gyaneswar, AGM (D&E) briefing Maj Gen PM Hariz, SM, VSM ADG Mech Forces. IHQ.of MoD on his visit to BDL on 06 Sep 2013.



दि. 19 अक्टूबर 2013 को श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) बी डी एल दौरे के दौरान बी डी एल उत्पादों की जानकारी देते हुए श्री एस एन मंथा, सी एम डी. Shri SN Mantha, CMD briefing Shri GC Pati, IAS Secretary (Defence Production) about BDL products on his visit to BDL on 19 Oct 2013.



अतिथि आगमन VIP VISITS



दि. 26 दिसंबर, 2013 को एअर वाइस मार्शल बी सुरेश, अविसेमे, विमे, ए सी ए एस ओ पी एस (ए डी) को बी डी एल दौरे के दौरान जानकारी देते हुए श्री एन पी दिवाकर, महाप्रबंधक (आकाश) एवं श्री जी जयराम रेड्डी, महाप्रबंधक (पी एम जी).

Shri NP Diwakar, GM, Akash and Shri G Jai Ram Reddy, GM (PMG) - Akash briefing Air Vice Marshal B Suresh, AVSM, VM, ACAS Ops (AD), Air Hqs on his visit to the company on 26 Dec 2013.



दि. 12 मार्च, 2014 को कमांडोर दीपक बंसल, निदेशक, नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एअरोनॉटिकल टेकनोलॉजी, कोच्ची, बी डी एल दौरे के दौरान जानकारी लेते हुए.

Cmde Deepak Bansal, Director, Naval Institute of Aeronautical Technology, Kochi being briefed on his visit to BDL on 12 Mar 2014.



अतिथि आगमन VIP VISITS



श्री राकेश रंजन, आई डी ए एस, पी सी डी ए ने दि. 13 मार्च, 2014 को बी डी एल का दौरा किया. चित्र में देखे जा सकते हैं श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त), श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन), श्री एम ईश्वर, मुख्य सतर्कता अधिकारी व अन्य अधिकारी.

Shri Rakesh Ranjan, IDAS, PCDA visited BDL on 13 Mar 2014. Seen S/Shri SN Mantha, CMD, SV Subba Rao, Director (Finance), V Udaya Bhaskar, Director (Production), M. Eshwar, CVO and others.



दि. 20 जून, 2014 को श्री ए के कपूर, सलाहकार (कास्ट) एवं श्री जे के टयोटिया, निदेशक (कास्ट), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के बी डी एल दौरे के दौरान उन्हें जानकारी देते हुए श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन) एवं श्री पी एन ज्ञानेश्वर, अपर महाप्रबंधक (डी अण्ड ई).

Shri V Udaya Bhaskar, Director (Production) and Shri PN Gyaneswar, AGM (D&E) briefing Shri AK Kapoor, Advisor (Cost) and Shri JK Teotia, Director (Cost), MoD, Govt. of India, New Delhi visited BDL on 20 Jun 2014.



विभिन्न कार्यक्रम EVENTS



दि. 09 सितंबर, 2014 को अपने बी डी एल दौरे के दौरान सी एम डी तथा निदेशकगण से चर्चा करते हुए ले. जनरल वी के सक्सेना, अविसेमे, थलसेना एअर डिफेंस के महानिदेशक.

Lt Gen V K Saxena, AVSM, Director General of Army Air Defence Interacting with Shri SN. Mantha CMD, Shri. SV Subbarao, Director (Finance), AVM (Retd) N B Singh, Director (Technical) on his visit to the company on 09th Sep 2014.



दि. 13 अगस्त, 2014 को श्रीमती नीता चौधरी, आई ए एस, सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने बी डी एल का दौरा किया. चित्र में श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्री होमनिधि शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) व अन्य अधिकारी.

Smt. Neeta Chowdary, IAS Secy (DOL) address the gathering on Special Meeting of TOLIC (U) on 13 Aug 2014. Seen Shri. SN Mantha, CMD, Homenidhi Sarma, SM (OL) and others.

विभिन्न कार्यक्रम EVENTS



दि. 31 जुलाई, 2014 को बी डी एल के निदेशक मंडल में मनोनीत सरकारी निदेशक के रूप में अपना कार्य-काल पूरा करने पर श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (ई एस) का सम्मान.

Felicitation to Shri. PK Mishra, JS(ES) on completion of his tenure on 31 Jul 2014 as Government Nominee Director on the Board of BDL.



श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (ई एस) के सम्मान का दृश्य. चित्र में बायीं ओर से श्री आर जी विश्वनाथन, अपर वित्त सलाहकार, श्री ए के कपूर, निदेशक, श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (ई एस), श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त), श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन) और ए वी एम एन बी सिंह, निदेशक (तकनीकी).

Felicitation to Shri. PK Mishra, JS (ES). Seen From Left S/Shri. RG Viswanathan, Addl. FA, AK Kapoor, Director, PK Mishra, JS(ES), SN Mantha, CMD, SV Subba Rao, Director (Finance), V Uday Bhaskar, Director (Production) and AVM (Retd) NB Singh, Director (Technical).




अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्पाद - टेक्नोलॉजी अंतरण LICENCED PRODUCTS - TOT


यूनिफाइड लॉन्चर (1984)
UNIFIED LAUNCHER (1984)



कांकूरस (1984)
KONKURS (1984)




मिलान-2 (1981)
MILAN-2 (1981)



एसएस11 बी1 (1970)
SS11B1 (1970)



मिलान-2टी (2008)
MILAN-2T (2008)



इन्वार (2001)
INVAR (2001)



कांकूरस-एम (2002)
KONKURS-M (2002)



सी-303 डिक्ॉय (2005)
C-303 DECOY (2005)



देशीकृत उत्पाद - डी आर डी ओ INDIGENOUS PRODUCTS - DRDO

आकाश (सेम)
AKASH (SAM)




हल्के भार वाला
टॉरपिडो
LIGHT WEIGHT
TORPEDO



नाग (एटीजीएम)
NAG (ATGM)



पनडुब्बी से छोड़े
जाने वाला डिकॉय
SUBMARINE
FIRED DECOY




पृथ्वी (पी-1, पी-2,
धनुष)
PRITHVI (P-1, P-2,
DHANUSH)



आंतरिक रूप से तैयार उत्पाद - बी डी एल IN-HOUSE DEVELOPED PRODUCTS - BDL


लॉन्चर - परीक्षण उपकरण

LUUNCHER
TEST EQUIPEMNT




मिसाइल परीक्षण उपकरण

MISSILE
TEST EQUIPMENT



सिम्युलेटर
SIMULATOR



जुड़वाँ मिसाइल लॉन्चर

TWIN MISSILE LAUNCHER



फ्लेम

FLAME





दि. 25 सितंबर, 2013 को संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने बी डी एल का दौरा किया. चित्र में हैं - श्री प्रदीप टम्टा, श्री अशोक अर्गल, श्री दिनेश चंद्र यादव, श्री गजानंद बाबर, बी डी एल के सी एम डी श्री एस एन मंथा, निदेशक (वित्त) श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (उत्पादन) श्री वी उदय भास्कर व अन्य अधिकारी.

First Sub-committee of Parliamentary Committee on Official Language visited BDL on 25 Sep 2013. Seen in photo are S/Shri Pradeep Tampta, Ashok Argal, Dinesh Chandra Yadav, Gajanand Babar with S/Shri SN Mantha, CMD, SV Subba Rao, Director (Finance), V Udaya Bhaskar, Director (Production) and others.



विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन दि. 30 अक्टूबर, 2013 को श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव (रक्षा उत्पादन) द्वारा किया गया. चित्र में श्री एस एन मंथा, सी एम डी, श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन), डॉ. एन के राजू, अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय नौ सेना के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारीगण.

The third manufacturing unit of BDL was inaugurated at Visakapatnam by Shri GC Pati, IAS, Secretary (Defence Production) on 30 Oct 2013. Seen S/Shri SN Mantha, CMD, V Udaya Bhaskar, Director(Production), Dr NK Raju, ED(P&A) representatives of Navy and others.



भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कंचनबाग, हैदराबाद - 500 058

Bharat Dynamics Limited
(A Govt. of India Enterprise)

Kanchanbagh, Hyderabad - 500 058.

टेलिफोन Tel: 040- 24587466, फैक्स Fax: 091 -40- 24340464

वेबसाइट Website: <http://bdl.ap.nic.in>, ई-मेल e-mail: bdltd@ap.nic.in